ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

मार्च 2022 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

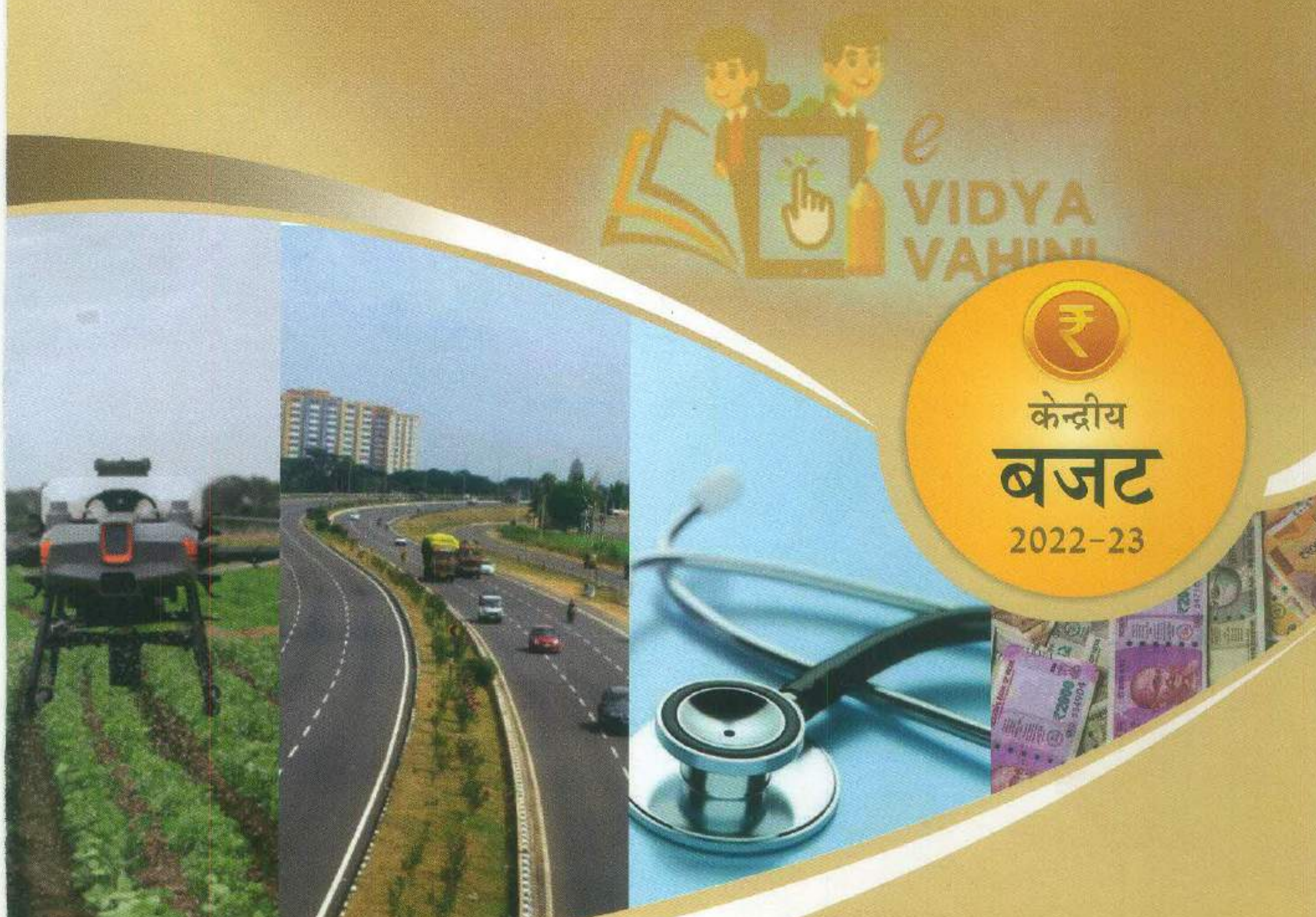

केन्द्रीय बजट 2022-23

विशेष आलेख

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
नितिन गडकरी

संघवाद को मज़बूती
डॉ राजीव कुमार

प्रमुख आलेख

संतुलित बजट
डॉ टी वी सोमनाथन

फोकस

कर प्रस्ताव
तरुण बजाज

आर्थिक समीक्षा 2021-22

अर्थव्यवस्था की स्थिति :

- 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) बढ़ने का अनुमान है।
- 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है।
- आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है।
- 2022-23 के लिए यह अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की क्रमश: 8.7 और 7.5 प्रतिशत रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।
- मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत 7.0 प्रतिशत, सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) 15 प्रतिशत, निर्यात 16.5 प्रतिशत और आयात 29.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- बृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी।
- भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार शामिल रहे।

राजकोषीय मजबूती

- 2021-22 बजट अनुमान (2020-21 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में) 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-नवम्बर, 2021) 67.2 प्रतिशत तक बढ़ गई।
- सालाना आधार पर अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान सकल कर-राजस्व में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।
- अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली।
- कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केन्द्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 59.3 प्रतिशत हो गया, जो 2019-20 में जीडीपी के 49.1 प्रतिशत के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान है।

बाह्य क्षेत्र

- भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज्यादा हो गया।
- पर्यटन से कमजोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया।
- सितम्बर 2021 के अंत तक एक साल पहले के 556.8 बिलियन डॉलर की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर 593.1 बिलियन डॉलर हो गया। इससे आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन के साथ ही ज्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिलते हैं।
- 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसम्बर, 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
- नवम्बर, 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था।

मूल्य तथा मुद्रास्फीति

- औसत शीर्ष सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी।

शेष भाग कवर 3 पर...

विशेषांक

योजना

वर्ष : 66
अंक : 03

मार्च 2022
फाल्गुन-चैत्र, शक संवत् 1944

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 68

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

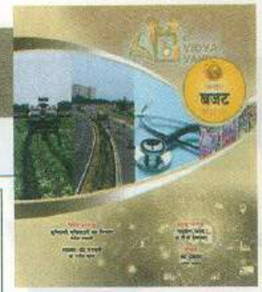

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ
आवरण : बिंदु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-65** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष : 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@dpd_india

इस अंक में

विशेष आलेख

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
नितिन गडकरी....................................7

संघवाद को मज़बूती
डॉ राजीव कुमार, रवींद्र प्रताप सिंह,
रणवीर नगाइच....................................11

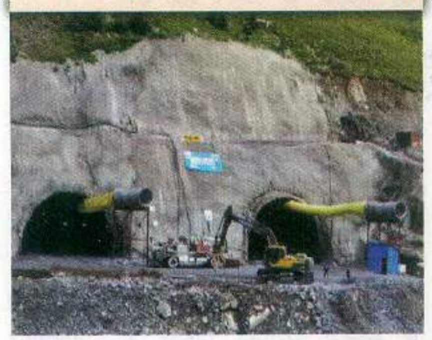

प्रमुख आलेख

संतुलित बजट
डॉ टी वी सोमनाथन..........................17

फोकस

कर प्रस्ताव
तरुण बजाज....................................19

बहुआयामी प्रभाव के लाभ
डॉ सज्जन सिंह यादव..........................25

भारत में कॉरपोरेट ऋण
अविनाश मिश्रा, प्रियंका आनंद..............29

बैंकिंग और डिजिटल मुद्रा
शिशिर सिन्हा....................................33

वैश्विक परिप्रेक्ष्य
पूनम गुप्ता, अभिनव त्यागी....................37

युवा आबादी का लाभ
जतिंदर सिंह......................................41

रोज़गार और मानव संसाधन विकास
अरुण चावला....................................45

आधुनिक और लाभकारी कृषि
डॉ जगदीप सक्सेना..............................49

ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल
चरणजीत सिंह..................................53

हरित अर्थव्यवस्था
डॉ एस सी लाहिड़ी..............................59

आर्थिक समीक्षा 2021-22............कवर-2

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा
प्रवासी क्रांतिकारी..............................63

नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?
वर्ष 2023 - मोटे अनाज का
अंतरराष्ट्रीय वर्ष.................................62

अगला अंक : फिनटेक

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 32

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

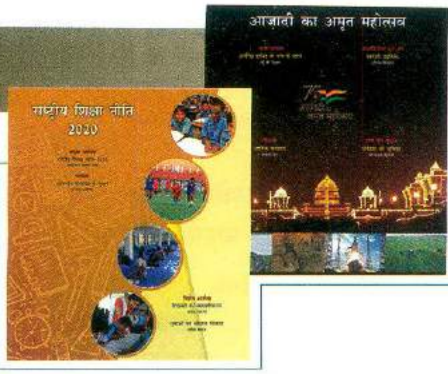

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना पत्रिका का जनवरी 2022 का अंक 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' सही मायने में आगे बढ़ते भारत की समग्र तस्वीर को दिखाता है। हम अपने आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हमें भारत की विकास यात्रा पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। आज़ादी के समय से ही भारत के विकास में सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो और डीआरडीओ हो या कृषि और औद्योगिक विकास हो, सभी में विकास हो रहा है।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया की भूमिका हो चाहे सिनेमा जगत की विकास यात्रा हो इनसे समाज को हमेशा ही नई दिशा मिलती है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते हुए भारत की तस्वीर को एक अंक में समेटना गागर में सागर जैसी खुबसूरत प्रस्तुति है।

– मनीष रमन
अलवर राजस्थान

सोशल मीडिया का महत्व

योजना के जनवरी अंक में वैसे तो सभी आलेख बहुत अच्छे लिखे गए हैं। लेकिन आलेख 'मीडिया की भूमिका' में जिस तरह मीडिया की भूमिका को समझाया गया है वह अतुलनीय है। आज के समय में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से आम लोग किस तरह परेशान हैं और लगभग 64 प्रतिशत भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में लेखक ने बताया है कि किस तरह से पत्रकारिता का अपना शुरू से ही अलग महत्व रहा है और आज के समय में भी प्रिंट मीडिया का अपना अलग महत्व है। आज के आजाद भारत में सुखी और समृद्ध देश के लिए सकारात्मक खबरों की बहुत जरूरत है। लेखक ने इस आलेख में बहुत ही बारीकी से सोशल मीडिया की अच्छाई व बुराइयों को पाठकों के सामने रखा है।

– हरि मुख मीना
कठहैडा, राजस्थान

शैक्षिक स्तर स्वभाषा में हो

योजना पत्रिका के फरवरी 2022 के अंक के सभी लेख ज्ञानवर्धक और रोचक हैं। हमेशा की तरह ही इस अंक में भी लेखों ने एक सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। विशेषकर 'युवाओं का कौशल विकास' शिक्षा और समुदायों को जोड़ती है। एनईपी 2020 लेख उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लेख में शिक्षा का सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य, पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौर तरीकों में बदलाव, शिक्षा में न्यायसंगतता और समावेशन की श्रेणी न सिर्फ इस लेख को रुचिकर बनाती है बल्कि इतने कठिन विषय की सरलीकरण भी करती है, जिससे यह ज्ञापित होता है कि शिक्षा नीति में बदलाव छात्रों के लिए नए अवसर के द्वार खुलेंगे। शिक्षा में भाषा अब तक एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो छात्रों की रचनात्मकता की वृद्धि होगी।

– आद्या
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

शिक्षा का सर्वव्यापीकरण

योजना का फरवरी अंक नई शिक्षा नीति 2020 का समग्र विश्लेषणात्मक परिचय प्रस्तुत करता है। आलेख पाठकों के विवेचनात्मक व तार्किक दृष्टिकोण का निर्माण करने में अति उपयोगी है। नई शिक्षा नीति ऐसी शैक्षणिक प्रणाली को अमली जामा पहनाने का प्रयास है जिसमें शिक्षा के मूलभूत और उच्च अधिकार से कोई वंचित न रहे। प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सभी वर्गों के बच्चों को न्यायपूर्ण तरीके से ज्ञानार्जन व कौशल विकास का अवसर मिले।

प्रस्तुत उपयोगी अंक तैयार करने के लिए विशेषज्ञ, लेखकगण के साथ-साथ संपादकीय टीम प्रशंसा तथा साधुवाद के पात्र हैं।

– प्रांजलि
नई दिल्ली

शिक्षकों का सशक्तीकरण

योजना पत्रिका के फरवरी-2022 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अंक में 'शिक्षकों का सशक्तीकरण' लेख शिक्षा के महत्व को भारत के समावेशी विकास की कल्पना से जोड़ने का काम करता है। इस लेख में बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

शिक्षक सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, प्रभावशीलता, सृजनात्मकता, कल्पना, नियंत्रण, प्रबंधन, स्वमूल्यांकन एवं स्वसंयमन की क्षमताओं का संवर्धन किया जाता है। शिक्षक शिक्षा कार्यनीति का उद्देश्य शिक्षकों को भविष्य की पीढ़ी के निर्माण करने के साथ-साथ शिक्षण को कम पाठ्यपुस्तक उन्मुख बनाना और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना भी है।

– अरिहंत
नई दिल्ली

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

संपादकीय

चुनौतियों का बजट

कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले दो साल विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। कोविड-19 के विभिन्न विषाणुओं की बार-बार आने वाली लहर, आपूर्ति शृंखला में बाधा और वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से नीति-निर्माताओं की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। उनके लिए भी यह चुनौतीपूर्ण समय है। जैसा कि 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, केंद्र सरकार ने ऐसी रणनीति का विकल्प चुना है, जिसमें कारोबारी क्षेत्र और समाज के वंचित तबकों पर कोविड के होने वाले प्रभावों को कम करने की बात है। इसके तहत, आधारभूत संरचना के लिए पूंजीगत खर्च में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, ताकि मध्यम अवधि में मांग को तेज़ किया जा सके। साथ ही, आपूर्ति पक्ष से जुड़े उपायों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि के विस्तार के लिए तैयार किया जा सके। बजट में लचीला और बहुस्तरीय रुख अपनाया गया है। इसके तहत, रियल-टाइम डेटा की निगरानी और अलग-अलग स्तर पर मिले सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, आने वाले वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश देखने को मिल सकता है। देश की वित्तीय हालत अच्छी है और यह अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगी। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 का असर सबसे कम रहा और वित्त वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र की विकास दर 3.9 प्रतिशत रही। पिछले साल यह विकास दर 3.6 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र में शानदार वापसी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2020-21 में जहां इस क्षेत्र में 7 प्रतिशत की गिरावट हुई थी, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में 11.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। विनिर्माण, निर्माण और खनन जैसे उप-क्षेत्रों में इसी तरह का उछाल देखने को मिला। हालांकि, बुनियादी सेवा मुहैया कराने वाले क्षेत्र यानी यूटिलिटी सेगमेंट में इस तरह का उछाल नहीं देखने को मिला। इसकी वजह यह है कि बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहीं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस क्षेत्र की विकास दर 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसमें 8.4 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि संकट के समय में वित्तीय क्षेत्र को लेकर खतरा हमेशा ज्यादा होता है। हालांकि, भारत के शेयर बाजारों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और भारतीय कंपनियों को रिकॉर्ड स्तर पर जोखिम फंड इकट्ठा करने का अवसर मिला। आर्थिक सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की गई है, जिसे 'प्रक्रियागत सुधार' नाम दिया गया है। यह मामला उन प्रक्रियाओं को आसान बनाने से जुड़ा है, जिनमें सरकार नियामक या समन्वयक की भूमिका में है।

केंद्रीय बजट 2022 में पीएम गतिशक्ति के चार स्तंभों, समावेशी विकास, उत्पादन में बढ़ोतरी और निवेश, नए अवसरों, ऊर्जा रूपांतरण और जलवायु संबंधी कार्रवाई से जुड़े निवेश पर फोकस किया गया है। पीएम गति शक्ति का मकसद नए तरीके से सतत आर्थिक विकास की दिशा में काम करना है। गति शक्ति के संचालन का आधार सात इंजन हैं- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स संबंधी आधारभूत संरचना। बजट में पूर्वोत्तर भारत के लिए 'पीएम डिवाइन' नामक योजना का ऐलान किया गया है। इसे पूर्वोत्तर परिषद के जरिये लागू किया जाएगा और इसके तहत आधारभूत संरचना के लिए फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, तो किसान ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक और रसायन-मुक्त जैविक/प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति से जुड़ी पहल, 'एक कक्षा-एक टीवी चैनल' को ध्यान में रखते हुए पीएम ई-विद्या के 'एक कक्षा-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम की पहुंच 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक सुनिश्चित की जाएगी। इससे सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। साथ ही, डिजिटल विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा, ताकि देशभर के छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ा सिस्टम पेश किया जाएगा, ताकि सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। कोविड-19 महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है, लिहाजा 'राष्ट्रीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' यानी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, ताकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों को बेहतर सलाह और सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, 2022 में सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर सरकार ने देश के 75 जिलों में व्यावसायिक बैंकों की 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। बजट में डिजिटल रुपये का भी ऐलान किया गया है। इसमें ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर कर लगाने के मकसद से बजट में किसी भी वर्चुएल डिजिटल संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की गई है। इस बजट का मकसद अर्थव्यवस्था को समावेशी और कल्याणकारी तरीके से आगे बढ़ाना है। साथ ही, इसका इरादा डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त-तकनीक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा रूपातंरण और जलवायु संबंधी कार्रवाई और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। ■

विशेष आलेख

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

नितिन गडकरी

प्रशासन का मुख्य दायित्व आर्थिक प्रगति के अवसर जुटाना और उस प्रगति के लाभ सभी तक पहुंचाना है। प्रगति के लाभ सभी को भली प्रकार पता हैं और इनसे ही हर नागरिक का कल्याण होता है और सब लोगों की अपेक्षाएं-आशाएं पूरी होती हैं। नए आर्थिक अवसर जुटाने के लिए सही परिस्थितियां तैयार करने वाली नीतियां जीवन-स्तर सुधारने और जीवन को सरल बनाने का आधार विकसित करती हैं। आर्थिक प्रगति में तेज़ी आने से सामाजिक विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध होने लगता है जिससे प्रगति और विकास का लगातार सिलसिला बनता चला जाता है। 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी अवश्य है और इसे प्राप्त करने की नीति प्रगति के अनुकूल परिवेश विकसित करने पर केंद्रित रखनी होगी। इसकी नींव इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात् बुनियादी सुविधाओं के विकास पर तथा आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करने पर रखनी होगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम इस विकास यात्रा की भी शुरुआत कर रहे हैं।

आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए सरकार 2014 से ही बुनियादी सुविधाओं- इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में प्रयासरत है। सरकार का मुख्य ध्यान भौतिक मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने पर रहा है। एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) इस दिशा में बहुत ही सफल पहल सिद्ध हुई है।

शुरू में यूपीआई के माध्यम से भुगतान में इतनी आसानी हो जाने का अनुमान लगाना मुश्किल था परन्तु आज कोई भी व्यक्ति रेहड़ी पर चाय बेचने वाले को यूपीआई के जरिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भुगतान करके चाय पीने का आनंद प्राप्त कर सकता है। बैंकिंग क्षेत्र की शक्ति उसकी शाखाओं की संख्या के आधार पर आंकी जाती है लेकिन सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से लोग वित्तीय सुविधाओं के लाभ प्राप्त कर रहे हैं और वह भी तब जबकि उन्हें इस सबके लिए बैंक जाना भी नहीं पड़ता। ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट; आधार; आयुष्मान भारत; डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी मदद से समावेशी वित्तीय और सामाजिक व्यवस्था बनाना और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से प्रशासन तंत्र में बदलाव लाना संभव हो सका है।

भौतिक बुनियादी सुविधाओं का आर्थिक विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है और तभी इन सुविधाओं का विकास भी ज़रूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं से उत्पादकता बेहतर होती

लेखक भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं। ईमेल: nitin.gadkari@nic.in

है और आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए गुणवत्ता में सुधार लाते रहने की आवश्यकता है। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश निरंतर बढ़ा रही है क्योंकि इससे रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, माल-सामान लाने-ले जाने की लागत कम हो जाती है, घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में निर्माण क्षेत्र के उद्योगों में स्पर्धा की भावना बढ़ती है और लोगों के लिए जीवन आसान हो जाता है।

मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए बहुत विशाल निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं का प्रारूप निश्चित करने का निर्णय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत 111 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इससे बाजारों को सरकार की महत्वाकांक्षा का स्पष्ट संकेत मिल गया और निवेशकों को पक्का विश्वास हो गया कि इस दिशा में व्यापक पहल शुरू हो गई है। बुनियादी ढांचे में निवेश के अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के इरादे से योजना के बारे में सरसरी तौर पर सोचना और योजना के क्रियान्वयन में देरी इन दोनों कारकों से पूरी तरह बचना होगा। एनआईपी और हाल में शुरू किए गए 'गतिशक्ति कार्यक्रम' के समन्वयन से समग्र पहल और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी और समन्वयन तथा योजना-निर्माण भी बेहतर तरीके से हो पाएगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' कार्यक्रम के तहत रेल और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अर्थात् बुनियादी सुविधाओं को आपस में जोड़ने की योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एंड जिओ-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से एक शक्तिशाली भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा जिसमें सभी संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की विशेष कार्य योजनाओं के सारे डाटा (आंकड़े) एक ही व्यापक डाटाबेस में संग्रहित किए जाएंगे।

हमारे जैसे विविधताओं से भरे देश में बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाने और अनेकानेक सुविधाएं जुटाने की जरूरत है। यह प्रक्रिया देश के लिए योजना बनाने और सड़कों और राजमार्गों के समूचे नेटवर्क का विवरण तैयार करने से शुरू होती है। भारतमाला परियोजना से हमें राजमार्ग विकास का समन्वित प्रारूप प्राप्त हो गया है। इस प्रारूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारंभिक कार्य शुरू करने, एलाइनमेंट्स को अंतिम रूप देने, भू-सर्वेक्षण करने जैसे कामों में सहायता मिलेगी। भारतमाला परियोजना राजमार्गों के विकास का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी कल्पना देशभर में बुनियादी सुविधाओं की खामियां दूर करने के उद्देश्य से की गई है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की तीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा 34,800 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाने का कार्य पूरा किया जाना है। ये तीन एजेंसियां हैं- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई-90 प्रतिशत; सड़क परिवहन, राजमार्ग और सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्रालय (6 प्रतिशत) और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम लिमिटेड - एनएचआईडीसीएल- (4 प्रतिशत)। इस कार्यक्रम में कॉरिडोर-आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था अपनाई जा रही है जिसके अंतर्गत देश के 550 से अधिक जिलों को जोड़ने वाले राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा जिन पर देश का कुल 70 से 80 प्रतिशत माल लाया-ले जाया जाता है। इस समय कुल प्रायोजित 34,800 किलोमीटर के राजमार्गों में से 19,470 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों के निर्माण के ठेके दिए जा चुके हैं।

भौतिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आर्थिक प्रगति पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। अच्छी गुणवत्ता वाली मूलभूत सुविधाएं होने से उत्पादकता में सुधार आता है और इसे बनाए रखने के लिए प्रगति का आधार उत्पादकता में सुधार होना ही चाहिए।

एक्सप्रेसवेज़ को ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट के रूप में बनाने की दृष्टि से इस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ब्राउनफील्ड विस्तार और राजमार्ग सुधार से तो एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ है परन्तु सामान लाने-ले जाने की लागत कम करने के हिसाब से देखें तो एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज़ का निर्माण महत्वपूर्ण है जिनके तैयार होने पर माल के मूल गंतव्य केंद्रों को जोड़ा जा सकेगा। तभी तो 5 प्रमुख एक्सप्रेसवेज़ और 17 एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर भारतमाला चरण-1 के हिस्से के रूप में विकसित किए जा रहे हैं जिन पर कुल पूंजीगत लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी। दिल्ली-मुंबई, अहमदाबाद-धोलेड़ा, बेंगलुरू-चेन्नई, दिल्ली-अमृतसर-कटरा और कानपुर-लखनऊ की पांच एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की कुल लंबाई 2,485 किलोमीटर है जिन पर कुल पूंजी लागत 1.63 लाख

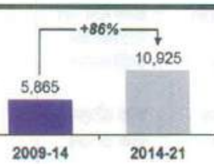

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
लंबाई कि.मी.	3,715	10,279	9,794	1,916	3,620	7,972	10,098	15,948	17,055	5,493	8,948	10,964

चित्र-1 वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2020-21 के बीच औसत ठेके देने का रुझान

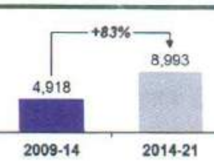

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
लंबाई कि.मी.	5,145	4,439	5,013	5,733	4,260	4,410	6,061	8,231	9,829	10,855	10,237	13,327

चित्र-2 वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हुए वार्षिक निर्माणों का रुझान

करोड़ रुपये आएगी। इसके साथ ही 5,924 किलोमीटर लंबाई के 17 एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर (जिनमें रायपुर-विशाखापत्तनम, अंबाला-कोटपुतली, अमृतसर-बठिंडा-जामनगर कॉरिडोर आदि शामिल हैं) भी कुल 1.97 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लागत से बनाए जा रहे हैं। इन 8,400 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में से क़रीब 5,000 किलोमीटर लंबाई के कॉरिडोर बनाने के ठेके दिए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 1,000 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर आगामी कुछ महीनों में यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे।

हाल में शुरू किए गए गति शक्ति कार्यक्रम और एनआईपी के संयुक्त प्रयासों से बेहतर समन्वयन और आयोजन के आधार पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने तथा समय पर कार्य पूरे करने में मदद मिलेगी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समेकित योजना तैयार करके उसे लागू करने का कार्यक्रम है।

सरकार का मुख्य दायित्व आर्थिक लाभों को सभी तक पहुंचाना है और ये एक्सप्रेस-वे उन क्षेत्रों से होकर जाएंगे जहां सड़कों का अभाव रहा है और इसी कारण ये क्षेत्र पिछड़े भी रह गए हैं। अब इन परियोजनाओं के बनकर तैयार होने से इन इलाकों के लोगों के लिए आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को विकास के फ़ायदे मिलने लगेंगे। अब हमारे लिए भारतमाला कार्यक्रम के चरण-2 का कार्य शुरू करने का समय है और देशभर के लोगों की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं को देखते हुए हमारे हौंसले काफी बढ़े हुए हैं।

बेहतर परिप्रेक्ष्य के लिए नेटवर्क की कुल लंबाई और उसके विस्तार की लंबाई के आंकड़ों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के ठेके देने की गति लगभग दुगुनी हो गई है; जहां वित्त वर्ष 2009-10 में प्रति वर्ष कुल 5,900 किलोमीटर राजमार्गों के ठेके दिए जाते थे वहीं वित्त वर्ष 2014-15 में प्रति वर्ष 11,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाने के ठेके दिए गए हैं (देखें चित्र-1)।

इसी तरह प्रतिवर्ष राजमार्ग निर्माण की गति भी वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2013-14 के बीच 4,900 किलोमीटर थी जो वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़कर 9,000 किलोमीटर हो गई (देखें चित्र-2)।

विशेषकर विगत वर्ष के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 37 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क निर्माण दर हासिल कर ली जो एक रिकॉर्ड है और एक वर्ष में 13,327 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त की गई है।

माल-सामान लाने-ले जाने की लागत कम होनी चाहिए और इसके लिए कुछ हद तक राजमार्गों का विकास करना जरूरी है लेकिन राजमार्ग-निर्माण पर किए जाने वाले भारी निवेश की तुलना में इनसे होने वाली बचत कहीं कम रह जाती है। इसलिए हमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क एमएमएलपी बनाने की ज़रूरत है जो राजमार्गों, जलमार्गों, हवाई अड्डों और रेलमार्गों से जुड़े रहें और माल-सामान बिना किसी अड़चन या रुकावट के सही प्रकार लाया-ले जाया जा सके। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क्स एमएमएलपी की पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में निर्धारित विज़न के अनुरूप समेकित और कुशल तथा सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने में बहुत अहम भूमिका है। एमएमएलपी की सुविधा हो जाने पर सामान को विभिन्न साधनों और माध्यमों तक सरलता से पहुंचाया जा सकेगा और 'हब से हब' अर्थात् 'गंतव्य से गंतव्य' का मॉडल अपनाकर सामान की आवाजाही की सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी तथा इसके लिए रेल/महासागर/अंतर्देशीय जलमार्गों या विशाल आकार वाले ट्रकों और पहला मील/अंतिम मील के आधार पर सुचारू ढंग से सामान को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। एमएमएलपी के निर्माण और विकास की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इन पार्कों में भंडारण की उन्नत सुविधाएं तथा 'फर्स्ट एंड लास्ट लाइन कनेक्टिविटी' अर्थात् आरंभ से अंत तक पूरी संपर्क व्यवस्था से माल परिवहन नेटवर्कों को जोड़ने तथा कस्टम क्लीयरेंस और लेट-स्टेज प्रोसेसिंग गतिविधियों का इंतजाम भी पूरे पक्के तरीके से उपलब्ध रहेगा। इसलिए यह तो निश्चित है कि एमएमएलपी बन जाने पर माल-परिवहन की लागत कम रहेगी। ये एमएमएलपी माल परिवहन क्षेत्र की अकुशलता या रुकावटें दूर करने के उद्देश्य से देशभर में 35 महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए जाएंगे, जैसे: जोगिग होपा, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरू आदि। ये 35 एमएमएलपी देश में सड़क मार्ग से माल-सामान को लाने ले जाने से जुड़ी 50 प्रतिशत से ज़्यादा मांग की पूर्ति करेंगे।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों में राजमार्गों के विकास पर भी 2014 के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें कि रायपुर से विशाखापत्तनम के बीच एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पिछड़े ज़िलों से होकर जाएगा और इन इलाकों के लिए भी माल परिवहन की सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। भारतमाला परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत निर्माण हेतु चिह्नित कॉरिडोरों के बन जाने से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में भी बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। विकास की चाह रखने वाले जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि चित्र-3 में दर्शाया गया है, 34,800 किलोमीटर लंबाई के प्रायोजित कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में सुविधा पहुंचाने पर भी ध्यान रखा गया है।

राज्य	भारतमाला के अंतर्गत लंबाई (किलोमीटर)
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख सहित	398
नगालैंड	193
मिज़ोरम	361
मेघालय	128
असम	512
मणिपुर	607
त्रिपुरा	75
कुल योग	**2,274**

चित्र 3 : भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों की लंबाई-पूर्वोत्तर राज्य एवं सीमा

चित्र 4 : श्रीनगर-लेह मार्ग पर ज़ो जिला सुरंग का नक्शा

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

चित्र 5 : ज़ो जिला सुरंग में निर्माण कार्य

श्रीनगर लेह मार्ग पर बनाई जाने वाली 14.86 किलोमीटर लम्बी सुरंग एशिया की सबसे बड़ी बाई-डायरेक्शनल टनल अर्थात् दो दिशाओं को जोड़ने वाली सुरंग होगी। इस सुरंग के बन जाने से बालताल (सोनमर्ग) और लद्दाख के मीनामर्ग तक का रास्ता 40 किलोमीटर की जगह सिर्फ़ 13 किलोमीटर रह जाएगा और इस दूरी को तय करने में अब कुल 15 मिनट लगेंगे जबकि पहले इसमें तीन घंटे का समय लगता था।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत विशाल पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। बाज़ार को निवेश संबंधी जरूरतों की अग्रिम जानकारी देना ज़रूरी है और इस दिशा में पहला क़दम है एनआईपी। योजना को समय पर पूरा करने और ज़रूरत होने पर सरकार की ओर से उपाय किए जाने से निवेशकों में इन कार्यों के प्रति भरोसा बढ़ाने में मदद मिलती है (इस दिशा में गतिशक्ति एक अहम पहल है)। समस्या के समाधान की दिशा में अगला क़दम है वित्तीय बाजारों का रुख समझकर वित्त जुटाने के नए तरीके खोजना और निवेश के नए माध्यम या तौर-तरीके ढूंढना। राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने InVT (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट) शुरू किया है ताकि सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके। इन परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए InVT को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संस्थागत निवेशकों के बीच रखा गया। NHAI InVT ने दो अंतरराष्ट्रीय पेंशन कोषों का ध्यान आकर्षित किया, ये कोष हैं- कैनेडियन पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड और ओंटेरियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड और ये दोनों ही मुख्य निवेशक हैं।

प्रारंभिक पोर्टफोलियो 5 सड़कों के निर्माण का था जिसके अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपये एकत्र हुए जिसमें से 50 प्रतिशत निवेश विदेशी निवेशकों से जुटाया गया था। उम्मीद है कि बाद में InVT के तहत और सड़कें भी जोड़ दी जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- एनएचएआई ने एनएमसी के लिए विविध प्रकार के उत्तम निवेशकों को आकर्षित करके अपनी योग्यता सिद्ध की है।

अंत में और सबसे जरूरी बात यह है कि बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और विकास करते समय पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संतुलन बनाए रखने की प्रभावी गतिविधियां करते रहना भी ज़रूरी है। मेरा प्रयास यही रहता है कि स्थितियों में आते बदलावों के हिसाब से पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण कार्य की देखरेख और निगरानी तो मैं स्वयं करता हूं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरित गलियारे (ग्रीन कॉरिडोर) बनाने की आवश्यकता को समझा और सितम्बर, 2015 में हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति लागू की। इसका उद्देश्य राजमार्गों के किनारों पर हरित गलियारे विकसित करके पर्यावरण सुधार की प्रक्रिया को सतत बनाये रखना है। इसके परिणामस्वरूप ही एनएचएआई समय-समय पर पर्यावरण-अनुकूल राजमार्ग विकसित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाता रहता है। इस उद्देश्य के लिए अन्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां भी प्राधिकरण चलाता है। 2016-17 से 2012-21 की अवधि में 2 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। नवंबर, 2021 तक एनएचएआई ने 63 लाख नए पौधों का मीडियम रोपण किया।

इनके साथ ही, वृक्षारोपण कार्यों की देखरेख और निगरानी के लिए मौके पर जाकर जांच करने जैसे परंपरागत तरीकों को अपनाने के साथ ही ड्रोन वीडियोग्राफी की नवीनतम और आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जा रही है और जिओ-टैगिंग भी की जा रही है। ■

संघवाद को मज़बूती

डॉ राजीव कुमार
रवींद्र प्रताप सिंह
रणवीर नगाइच

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में बताया गया कि जीएसटी 'स्वतंत्र भारत का सहकारी संघवाद को दर्शाने वाला ऐतिहासिक सुधार' रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जीएसटी परिषद देखती है, जिसमें राज्य बराबर के साझेदार हैं। इस वर्ष के बजट में भी भारत की संघवाद की व्यवस्था को मज़बूती देने वाले सुधार, नीतियां एवं उपाय जारी रखे गए हैं।

भारत महाद्वीप सरीखा बड़ा देश है और इसकी विविधता इसकी ताकत है। संघवाद का मॉडल आजाद भारत के लिए सबसे सही रहता, इसीलिए उसे ही चुना गया। संपूर्ण राष्ट्र के तेज विकास की ज़रूरत और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभार तथा संसाधनों में अधिक से अधिक हिस्सेदारी की कोशिश को देखते हुए देश में संघवाद पहले से कहीं अधिक केंद्र में आता दिखता है। संघवाद की राजनीति में लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन की परिपाटी से हटकर अधिक विकेंद्रीकृत एवं सहभागिता पूर्ण व्यवस्था अपनाते हुए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी, 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की स्थापना की गई। राज्यों पर नीतियां थोपने वाली और खुद मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए ही धन आवंटन करने वाली नीति आयोग जैसी संस्था के स्थान पर हमें ऐसी संस्था मिल गई, जहां नीति निर्माण में राज्यों की अधिक सहभागिता होती है और जो अपने आधुनिक तथा सुविधा संपन्न संसाधन केंद्र के ज़रिये विशेषज्ञता भरा मार्गदर्शन एवं नीतिगत सलाह मुहैया कराती है।

सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक ही सिक्के - 'संघवाद' - के दो पहलू हैं। 'नए भारत' को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से आगे ले जाने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। एक ओर राज्यों को संसाधनों तथा उचित नीतिगत सलाह के रूप में मदद चाहिए, दूसरी ओर उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अपनी स्थापना के समय से ही नीति आयोग दोनों में संतुलन बिठाने में सफल रहा है और राज्यों को आवश्यक सहायता भी मुहैया कराता रहा है।

सहकारी संघवाद

नीति आयोग सहकारी संघवाद को मज़बूत करने के लिए राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं की ऐसी साझी दृष्टि पर काम कर रहा है, जिसमें राज्यों की भी सक्रिय

डॉ राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ईमेल: vch-niti@gov.in
रवींद्र प्रताप सिंह उपाध्यक्ष के प्रधान सचिव हैं।
रणवीर नगाइच नीति आयोग में सार्वजनिक नीति सलाहकार हैं।

सहभागिता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति की प्रशासनिक परिषद में सभी मुख्यमंत्री तथा केंद्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल एवं भारत सरकार के कुछ चुनिंदा मंत्री बराबरी के सदस्य हैं। देश के आर्थिक विकास की साझी परिकल्पना तैयार करने के लिए वर्ष में एक बार प्रशासनिक परिषद की बैठक होती है। 20 फरवरी, 2021 को प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक में एक अनूठी कवायद की गई, जिसमें प्रशासनिक परिषद के विचार के लिए एजेंडे को अंतिम रूप देने हेतु नीति आयोग, मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच सघन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

नीति आयोग का आकांक्षी जनपद कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी, 2018 में आरंभ हुआ, जिसके तहत देश में स्वास्थ्य एवं पोषण; शिक्षा; कृषि तथा जल संसाधन; मूलभूत बुनियादी ढांचा; और वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सबसे कम विकास वाले 112 ज़िलों पर ध्यान दिया गया।

अपनी स्थापना के बाद नीति आयोग की एक बड़ी पहल 2017 में रणनीति दस्तावेज़ (India@75) तैयार करना रही है। इसे बहुत सहभागिता के साथ तैयार किया गया। दस्तावेज तैयार करते समय सरकार - केंद्र, राज्य एवं ज़िला स्तर - में मौजूद 800 से अधिक हितधारकों तथा लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों से मशविरा किया गया। रणनीति दस्तावेज़ में ऐसे नीतिगत माहौल में और सुधार लाने पर ध्यान दिया गया, जिसमें निजी निवेशक एवं अन्य हितधारक 2002 के नए भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में एवं भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पूरी तरह योगदान कर सकें।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कई कदम उठाए हैं। ये कदम उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा मिलकर तैयार किए गए विकास के खाके में नज़र आते हैं। अच्छे तौर-तरीकों को नियमित रूप से साझा करना, नीतिगत सहायता एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों का क्षमता विकास अन्य क्षेत्र हैं, जहां नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करता है।

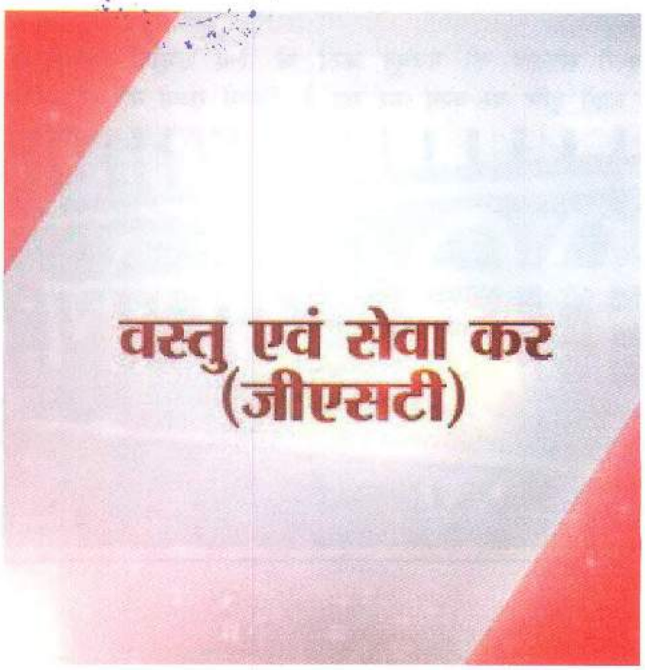

देखा गया है कि राज्यों के साथ नीति के संवाद से संस्थागत स्तर पर अनेक परिवर्तन आए हैं और कई राज्यों ने अपने योजना तथा वित्त विभागों की भूमिकाओं को नए सिरे से सोचा है। सतत विकास के लक्ष्यों के अंतर्गत 17 लक्ष्य एवं 169 ध्येय एक दूसरे पर निर्भर हैं एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही उनके लिए विभिन्न विभागों के भीतर समवेत तथा समन्वित तरीके से कार्य करना होगा। लक्ष्यों की इसी प्रकृति ने राज्यों को सरकारी संस्थाओं में अपने खेमे के भीतर ही काम करने की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए विवश किया है। ऐसे गठजोड़ के कारण विकास की योजनाएं एक साथ आई हैं, कई बार एक से अधिक योजनाओं में एक ही कार्यक्रम या लाभार्थी होते हैं, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और परिणाम भी बेहतर मिले हैं। इस प्रकार राज्य एवं उप-राज्य स्तरों पर अभिनव एवं लक्ष्योन्मुखी साझेदारियों के लिए नई व्यवस्थाएं आरंभ की गई हैं। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने ऐसे संस्थागत विकास का प्रयास किया है और उसके लिए अनूठे रास्ते तैयार किए हैं।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

नीति आयोग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बेहतर प्रदर्शन में मदद कर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सूचकांक की व्यवस्था और पारदर्शी रैंकिंग, समीक्षा की प्रणालियां तैयार कर तथा सहारा देकर क्षमता निर्माण के जरिये राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तेज करता है। राज्यों को कारोबारी सुगमता से लेकर सतत विकास के लक्ष्य मापने वाले विभिन्न सूचकांकों के ज़रिये रैंक दी जाती हैं। परिमाणात्मक उद्देश्यों के मापदंड पर आधारित सामाजिक सूचकांकों पर रैंकिंग के कारण राज्यों (और ज़िलों) को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का हौसला मिला है।

कायाकल्प करने वाले एक बड़े कार्यक्रम के तहत नीति आयोग आकांक्षी ज़िलों के प्रदर्शन में हर महीने होने वाले बदलाव की रैंकिंग भी जारी करता है। नीति आयोग का आकांक्षी जनपद कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी, 2018 में आरंभ हुआ, जिसके तहत देश में स्वास्थ्य एवं पोषण; शिक्षा; कृषि तथा जल संसाधन; मूलभूत बुनियादी ढांचा; और वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सबसे कम विकास वाले 112 ज़िलों पर ध्यान दिया गया। इन रैंकिंग का उद्देश्य प्रशासन में बेहतर कुशलता तथा एकीकरण लाकर एवं मासिक आधार पर ज़िलों की रैंकिंग कर तुरंत सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है। ज़िलों को चुनौती एवं प्रोत्साहन दिया जाता है कि सबसे पहले अपने ही राज्य में सर्वश्रेष्ठ ज़िले के बराबर पहुंचें और उसके बाद संघवाद की प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी भावना के साथ दूसरों से मुकाबला कर एवं सीखकर राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ ज़िला बनने की आकांक्षा अपने भीतर लाएं। प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देते हुए ज़िलों को अपने यहां मुख्य परियोजनाओं पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार से अनुपूरक राशि प्रदान की जाती है। सर्वोच्च रैंक वाले आकांक्षी ज़िले को 10 करोड़ रुपये, दूसरी रैंक वाले को 5 करोड़ तथा क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले ज़िलों को 3-3

करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए सूचकांकों में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक और सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक शामिल हैं।

सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर ज़ोर

2018 से नीति ने राष्ट्रीय विकास की मुख्य प्राथमिकताओं पर आधारित सतत विकास के लक्ष्यों पर हो रही राष्ट्रीय प्रगति देखने के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। उसने इन लक्ष्यों पर राष्ट्र की प्रगति की निगरानी हेतु अपना पहला ढांचा - एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड तैयार किया। उसके बाद से इस ढांचे को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से मिलने वाली प्रतिक्रिया तथा मंत्रालयों के साथ सलाह के बाद लगातार संशोधित किया गया है और एसडीजी आधारित निगरानी के ढांचे का दायरा बढ़ाया गया है। एसडीजी इंडिया सूचकांक के नवीनतम प्रारूप में 100 से अधिक सूचकांक हैं। चौथे वर्ष में आते-आते इसे संस्थागत स्वरूप मिल चुका है और यह राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय प्रगति मापने के लिए देश के प्रधान तथा आधिकारिक नीतिगत उपाय के तौर पर स्थापित हो चुका है। साथ ही इसने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी लगातार बढ़ाया है।

हाल ही में स्थानीयकरण के प्रयासों के तहत नीति ने पहला क्षेत्रीय सूचकांक - पूर्वोत्तर क्षेत्र जनपद एसडीजी सूचकांक भी प्रकाशित किया। यह सूचकांक सतत विकास के लक्ष्यों पर उसके तहत दिए गए अपने-अपने लक्ष्यों पर आठ राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा - के सभी 100 से अधिक ज़िलों का प्रदर्शन मापता है। एसडीजी के स्थानीयकरण के सफल मॉडल को शहरी क्षेत्रों के स्तर तक ले जाते हुए नीति आयोग ने नवंबर, 2021 में एसडीजी शहरी सूचकांक तथा डैशबोर्ड (2021-22) तैयार एवं जारी किया। इसने 56 शहरी क्षेत्रों को 77 एसडीजी सूचकांकों के आधार पर रैंकिंग दी और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर आंकड़ों, निगरानी तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्थाओं में मज़बूती तथा ख़ामी बताईं। इस इंटरैक्टिव साधन का मकसद शहर के स्तर पर एसडीजी का स्थानीयकरण करना तथा ऐसी व्यवस्था के सृजन को तेज़ी देना है, जिसमें सभी हितधारकों के पास आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता हो और वे उसका उपयोग भी करें। स्थानीयकरण की प्रक्रिया उच्च स्तरीय एजेंडों के स्थानीय क्रियान्वयन से कहीं बढ़कर है। उसके बजाय एसडीजी स्थानीयकरण में स्थानीय एजेंडा तैयार करने, निर्णय लेने तथा स्थानीय स्तर पर तैयार सूचकांकों के आधार पर निगरानी रखने जैसे कई तत्व शामिल होते हैं। ये सभी तत्व साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर एसडीजी के सफल क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी स्वामित्व की भावना पैदा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सतत विकास के साधन स्थानीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अधिक अनुरूप एवं प्रासंगिक हों। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विकास एजेंडा प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ घनिष्ठ साझेदारी की है। इस तरह इससे राज्यों तथा केंद्र के बीच विकास की परिकल्पना में एकजुटता लाने के साथ सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मदद मिलती है।

केंद्रीय बजट में यह भी कहा गया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 2022-23 में राज्यों को 4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।

राजकोषीय संघवाद को मज़बूती

राजकोषीय संघवाद को भी 2014 से खासी मज़बूती मिली है। एक के बाद एक वित्त आयोगों ने कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत कर दिया है, जो 2000 से 2005 के बीच केवल 29.5 प्रतिशत था। इससे राज्य सरकारों को अपनी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए अच्छी ख़ासी राजकोषीय गुंजाइश मिल गई है। कर राजस्व का हिस्सा बढ़ाने के साथ ही औपचारिक आर्थिक योजनाओं तथा योजना आयोग को भी खत्म कर दिया गया है। केंद्रीकृत नीति एवं निर्णय के बजाय अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू हो गई है, जिसमें राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार तथा राजकोषीय स्वायत्तता हासिल हो गए हैं।

राज्य सरकारों ने कई बार कहा है कि धनराशि का अंतरण सशर्त के बजाय बिना शर्त होना चाहिए। धन का सशर्त अंतरण आम तौर पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में होता है। आम उद्देश्यों के लिए अंतरण का हिस्सा बिना शर्त होता है और उसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी होती। केंद्र से कुल अंतरण में इसकी हिस्सेदारी 2011-12 में 64.8 प्रतिशत थी, जो 2019-20 में बढ़कर 74.2 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत सशर्त अंतरण यानी विशेष उद्देश्य के लिए अंतरण इसी अवधि में 35.2 प्रतिशत से घटकर 25.7 प्रतिशत रह गया है। राज्यों को कोविड-19 से

लड़ने और आर्थिक वृद्धि में मदद करने के लिए केंद्र ने राजकोषीय सहायता के कई उपाय अपनाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख उपाय है राज्यों की उधारी की सीमा, जिसे केंद्र ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत हिस्से से बढ़ाकर 2020-21 में 5 प्रतिशत कर दिया। इससे राज्यों को 4.3 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल गए।

2022-23 के बजट में बताया गया गया कि जीएसटी 'स्वतंत्र भारत का सहकारी संघवाद को दर्शाने वाला ऐतिहासिक सुधार' रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की जीएसटी परिषद देखती है, जिसमें राज्य बराबर के साझेदार हैं। देश भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बावजूद जनवरी, 2022 में बतौर जीएसटी 1,40,986 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, जो जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संग्रह है। बजट में संशोधित अनुमानों के मुताबिक 2021-22 में कुल जीएसटी संग्रह 23 प्रतिशत बढ़ने की बात कही गई है। जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक जामा पहनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जीएसटी आने से ऐसे सौदे खत्म हो गए, जो बहीखातों में दर्ज ही नहीं किए जाते थे और कर से बच जाते थे। जीएसटी के कारण बेरोकटोक सूचना आने-जाने से न केवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ेगा बल्कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इज़ाफा होगा। दायरे से बाहर रह जाते थे। इसने पहले से कड़े कर अनुपालन और पारदर्शिता लागू कर कर भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी यानी कर चोरी पर रोक लगा दी है।

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक जामा पहनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जीएसटी आने से ऐसे सौदे खत्म हो गए, जो बहीखातों में दर्ज ही नहीं किए जाते थे और कर से बच जाते थे। जीएसटी के कारण बेरोकटोक सूचना आने-जाने से न केवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ेगा बल्कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इज़ाफा होगा। दायरे से बाहर रह जाते थे। इसने पहले से कड़े कर अनुपालन और पारदर्शिता लागू कर कर भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी यानी कर चोरी पर रोक लगा दी है।

सहकारी संघवाद की सच्ची भावना दर्शाते हुए केंद्र सरकार उत्पादक संपदाएं तैयार करने और लाभकारी रोज़गार सृजित करने के मकसद से राज्यों का पूंजीगत निवेश बढ़ाकर उनके हाथ मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि '*पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना*' का राज्यों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान मिले अनुरोधों के अनुरूप इस योजना के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है। 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये (2021-22 के लिए आरंभिक आवंटन का 10 गुना) का आवंटन किया गया है ताकि राज्यों को अर्थव्यवस्था में पूरा निवेश तेज करने में मदद मिल सके। 50 वर्ष के ये ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को मिलने वाली सामान्य उधारी के अतिरिक्त हैं। केंद्रीय बजट में यह भी कहा गया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 2022-23 में राज्यों को 4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।

बजट में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबरी देते हुए राज्य कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। बजट में राज्यों को शहरी नियोजन में सहायता प्रदान करने पर भी ज़ोर दिया गया है। शहरी क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण, शहर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) तथा सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास (टीओडी) के क्रियान्वयन में राज्यों की मदद करेगी। जन परिवहन परियोजनाओं तथा अमृत योजना के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग का उपयोग राज्यों द्वारा टीओडी और टीपीएस लागू करने में मदद के लिए कार्य योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में किया जाएगा।

प्रमुख उपायों में एक नई योजना - पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री का विकास कार्यक्रम (पीएम-डिवाइन) - आरंभ करने की घोषणा थी, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन होगा। इस योजना से पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी।

2022-23 के बजट में सुधार, नीति तथा ऐसे उपाय जारी रखे गए हैं, जिन्होंने भारत की संघवादी व्यवस्था को मज़बूती प्रदान की है। बुनियादी ढांचे पर पहले से अधिक पूंजीगत व्यय के कारण पूरे राष्ट्र में आर्थिक गतिविधियां तेज़ होंगी। सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के साथ राजकोषीय संघवाद भारत को महामारी के उपरांत तेज एवं समान वृद्धि के युग में ले जाएगा, लोगों का जीवन सुगम होगा तथा पर्यावरण भी बना रहेगा। ■

संतुलित बजट

डॉ टी वी सोमनाथन

संसदीय लोकतंत्र में बजट अनेक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आंशिक तौर पर ये सालाना वित्तीय वक्तव्य हैं। यह काम नियमित होने के बावजूद महत्वपूर्ण है। लेकिन बजट नीति संबंधी इरादों को भी जाहिर करते हैं। निजी क्षेत्र के विपरीत सरकारें अपने ग्राहकों को चुन नहीं सकतीं। उन्हें हर किसी की सेवा करनी होती है। उनके सामने अपने मजबूत पहलुओं पर केंद्रित होने का विकल्प नहीं होता। उन्हें संसद की उम्मीदों के अनुरूप सब कुछ करना होता है। वे कई चीजें मुफ्त मुहैया कराती हैं। इसलिये व्यावहारिक आपूर्ति और सामर्थ्य की तुलना में मांग काफी ज्यादा होती है। सरकारें कर लगाती हैं। ये कर जितने अपरिहार्य होते हैं उतने ही अलोकप्रिय भी। इन सब वजहों से बजट बनाना संतुलन की एक बेहद जटिल क्रिया है।

20 22-23 के बजट को इस खास समय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य लगातार दूसरे साल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को समर्थन जारी रखते हुए सार्वजनिक निवेश में विशाल वृद्धि के जरिये विकास और रोज़गार को बढ़ावा देना है। बजट में पूंजीगत व्यय में 35 प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया गया है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम का मकसद अवसंरचना का सिर्फ परिमाणात्मक विस्तार करना नहीं है। इसके तहत सुविचारित योजना निर्माण के जरिये अवसंरचना का गुणात्मक विकास भी किया जाना है। अक्सर सड़क, रेल, मेट्रो और बंदरगाह इत्यादि के बीच तालमेल कमजोर रहता है। समेकित योजना निर्माण और क्रियान्वयन से स्वदेशी उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धिता में काफी इजाफा हो सकता है।

बजट की एक अन्य प्राथमिकता लाभकारी रोज़गार का सृजन है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों रोज़गार पैदा होंगे। इसके अलावा बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिये 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देने के मकसद से एक लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। यह ऋण राज्यों की उधारी की सामान्य अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगा। दो लाख करोड़ रुपये के नये कर्ज प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के लिये ऋण गारंटी योजना में सुधार किया गया है। अत्यंत सफल आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के जरिये आतिथ्य, पर्यटन और कोविड 19 की वैश्विक महामारी से प्रभावित अन्य संबंधित क्षेत्रों को अतिरिक्त कर्ज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये परिव्यय में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा राज्यों को कुछ खास प्राथमिकता वाले वर्गों में उनके हिस्से के लिये पूरक धन प्रदान किया जायेगा।

कृषि क्षेत्र की मदद के लिये उर्वरक सबसिडी और खाद्यान्न खरीद समेत पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष कार्यक्रमों के अलावा नये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से भारत की स्वास्थ्य सेवा क्षमता का स्थायी उन्नयन होगा। पीएम्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर द नार्थ-ईस्ट (पीएम डिवाइन) के नाम से एक नयी, लचीली और आवश्यकता आधारित योजना शुरू की गयी है। यह पूर्वोत्तर की उन परियोजनाओं के लिये है जो सामान्य योजनाओं के दायरे में नहीं आतीं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र प्रायोजित 130

लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव हैं। ईमेल: secyexp@ic.in

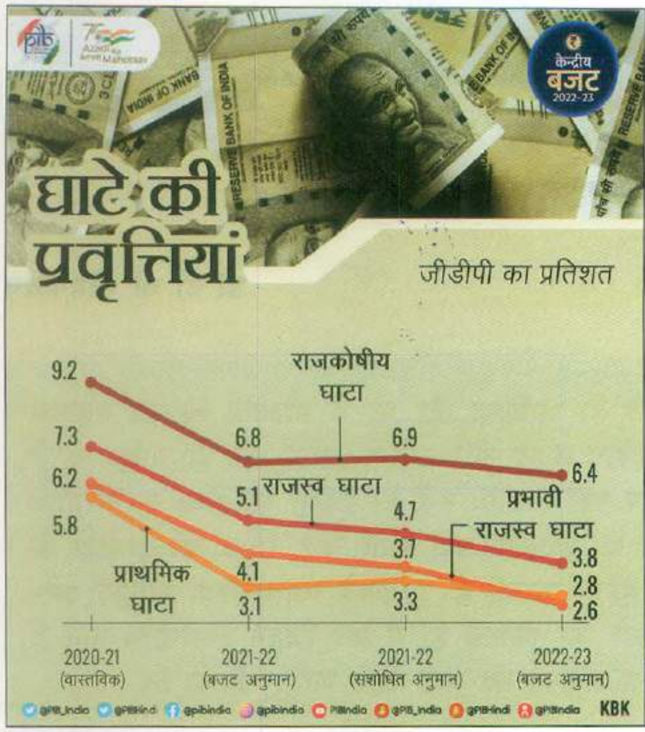

योजनाओं में सुधार किया गया है। उन्हें 65 योजनाओं में पुनर्गठित किया गया है जिससे उनके लचीलेपन और प्रभाव में वृद्धि होगी।

बजट में मौजूदा समय की मुश्किलों से निपटने पर ध्यान दिया गया है। मगर साथ ही इसमें भविष्य की नीति संबंधी समस्याओं के समाधान की बुनियाद भी रखी गयी है। इसके अलावा इसमें 2047 के भारत के लिये व्यापक और सुविचारित धन आवंटन तथा नीतिगत पहलकदमियों को भी शामिल किया गया है। इन पहलकदमियों में विश्वस्तरीय स्वदेशी रेल प्रौद्योगिकी, कृषि के लिये 'किसान ड्रोन', 'सेवा के रूप में ड्रोन', डिजिटल स्वास्थ्य सूचना, दूर-चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, डिजिटल मुद्रा, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, बैटरी अदला-बदली, हरित हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण और सबके लिये ऑप्टिक फाइबर शामिल हैं। बजट की मुख्य विशेषताओं में क्रिप्टो मुद्राओं के कराधान में स्पष्टता, खामियों को दूर किया जाना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों-स्पेशल इकोनॉमिक जोंस (एसईजेड) के सीमा शुल्क प्रशासन का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

बजट में मौजूदा समय की मुश्किलों से निपटने पर ध्यान दिया गया है। मगर साथ ही इसमें भविष्य की नीति संबंधी समस्याओं के समाधान की बुनियाद भी रखी गयी है। इसके अलावा इसमें 2047 के भारत के लिये व्यापक और सुविचारित धन आवंटन तथा नीतिगत पहलकदमियों को भी शामिल किया गया है। बजट की मुख्य विशेषताओं में क्रिप्टो मुद्राओं के कराधान में स्पष्टता, खामियों को दूर किया जाना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों-स्पेशल इकोनॉमिक जोंस (एसईजेड) के सीमा शुल्क प्रशासन का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

महान द्रष्टा सी सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविता 'भारत देशम' में बंगाल की ओर बहने वाले अतिरिक्त जल के मध्य भारत में फसल उगाने में उपयोग का सपना देखा था। उनका निधन 1921 में हो गया। इसके 100 साल बाद केन-बेतवा परियोजना के जरिये नदियों को जोड़ने की पहल की जा रही है।

बजट में इन सब के साथ ही वृहत आर्थिक स्थिरता को बरकरार रखने के लिये सावधानीपूर्वक निर्धारित वित्तीय नीति अपनायी गयी है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक महामारी के कारण खर्चों में इजाफा हुआ और विनिवेश भी लक्ष्य से कम रहा। इसके बावजूद उच्च राजस्व वृद्धि और व्यय पर कड़े नियंत्रण की बदौलत वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) का 6.9 प्रतिशत ही रहा जो बजट में तय स्तर के काफी नजदीक है। यह वित्तीय घाटे में एक साल में आयी सबसे बड़ी गिरावट है। अगले साल वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगर पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष हस्तांतरण को निकाल दें तो प्रभावी वित्तीय घाटा सिर्फ छह प्रतिशत रहता है। राजस्व घाटे में और तेज कमी तथा इसके 4.7 प्रतिशत से घट कर 3.8 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। 2021-22 के बजट में वित्तीय घाटे को 2020-21 के 9.2 प्रतिशत से 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के स्तर पर लाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। ताजा बजट में बिना कोई नया कर लगाये सुदृढ़ीकरण के इस रुझान को बरकरार रखा गया है।

अर्थशास्त्र में संतुलित बजट उसे कहते हैं जिसमें व्यय और राजस्व प्राप्ति बराबर हो। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट एक अलग मायने में संतुलित है। इसमें मौजूदा समय के कदमों को भविष्य की दृष्टि, नजरिये में महत्वाकांक्षा और व्यवहार में विवेक से संतुलित किया गया है। ■

कर प्रस्ताव

तरुण बजाज

बजट के व्यापक लक्ष्यों के मद्देनजर, इस साल के कर प्रस्तावों का भी मकसद भारतीय कर प्रणाली को बेहतर और सक्षम बनाना है, ताकि देश की आर्थिक तरक्की की राह आसान हो सके। यह महसूस किया गया है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न भरने यानी अपनी आय का ब्यौरा देने या इसमें कुछ संशोधन करने के लिए करदाता को पर्याप्त समय नहीं उपलब्ध कराया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से कर प्रशासन को असरदार और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

बर्टेंड रसेल ने कहीं लिखा है, "जो लोग अंधेरे की घाटी से गुजरते हैं, वे आखिर में अलौकिक सौंदर्य वाले देश में पहुंचते हैं...।'' कोविड-19 महामारी का खौफ और प्रकोप कम हो रहा है और भारत मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 9.2 प्रतिशत विकास दर अनुमान के साथ फिर से ऊंची विकास दर के रास्ते पर है। अनुमान का यह आंकड़ा बाकी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। भारत आने वाले वर्षों में भी तेज़ी से बढ़ने वाली दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। बजट के व्यापक लक्ष्यों के मद्देनज़र, इस साल के कर प्रस्तावों का मकसद भी भारतीय कर प्रणाली को बेहतर और सक्षम बनाना है, ताकि देश की आर्थिक तरक्की की राह आसान हो सके। इसके अलावा, भरोसमंद कर प्रणाली को स्थापित करने के लिए कई सुधारों को पेश किया गया है। इसके तहत, कर प्रणाली को आसान बनाना, करदाताओं द्वारा नियमों का स्वैच्छिक पालन और मुकदमेबाज़ी के मामलों को कम करना है। प्रत्यक्ष कर को लेकर कुछ अहम प्रस्ताव और उनकी वजहों के बारे में यहां जानकारी दी जा रही है।

रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा

कर संग्रह सरकार का अधिकार है। इसके तहत, अगर किसी व्यक्ति की आय एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है, तो उसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत रिटर्न भरना पड़ता है। इस कानून के तहत उन लोगों को भी देर से रिटर्न भरने की अनुमति दी जाती है, जो तय समयसीमा के अंदर अपना रिटर्न नहीं भर पाते हैं। समयसीमा के भीतर रिटर्न नहीं भरने वाले करदाता संबंधित कर निर्धारण वर्ष के आखिर से लेकर तीन महीने पहले तक रिटर्न भर सकते हैं। तय समयसीमा के भीतर और देर से भरे गए रिटर्न में, संबंधित कर निर्धारण वर्ष के खत्म होने से 3 महीने पहले तक या कर निर्धारण पूरा होने तक (जो भी पहले हो) कितनी बार भी संशोधन किया जा सकता है। यह महसूस किया गया है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न भरने यानी अपनी आय का ब्यौरा देने या इसमें कुछ संशोधन करने के लिए करदाता को पर्याप्त समय नहीं उपलब्ध कराया जाता है। कर विभाग में डेटा संग्रह और डेटा साझा करने का दायरा व्यापक होने पर, रिटर्न भरने या इसमें संशोधन करने के

लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। ईमेल: rsecy@nic.in

लिए समय की कमी विभाग के लिए भी चिंता का विषय हो जाती है। हालांकि, बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से कर प्रशासन को असरदार और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके तहत, करदाता के लिए रिटर्न के पुराने प्रारूप के बदले नया प्रारूप पेश करने का प्रस्ताव है। इस तरह, कर विभाग करदाताओं को बेहतर ढंग से इस बात की ताकीद कर सकेगा कि वे खुद से कर नियमों का पालन करें। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि तय समयसीमा के भीतर रिटर्न नहीं भरने वाले, आय के बारे में जानकारी में संशोधन करने वाले या किसी अन्य वजह से आय की गलत जानकारी देने वाले को स्क्रूटनी की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है, जो काफी लंबी, थकाऊ और महंगी होती है। साथ ही, इसमें जुर्माना और अन्य तरह की कार्रवाई के आसार होते हैं। अतः, वित्त विधेयक, 2022 में प्रस्ताव किया गया है कि इस तरह के करदाता संशोधित रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर संबंधित कर निर्धारण वर्ष की आखिरी तारीख के दो साल बाद तक रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक भरा जा सकता है और इसे 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 तक अपडेट किया जा सकता है। स्वैच्छिक रूप से कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से कर प्रशासन को असरदार और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके तहत, करदाता के लिए रिटर्न के पुराने प्रारूप के बदले नया प्रारूप पेश करने का प्रस्ताव है। इस तरह, कर विभाग करदाताओं को बेहतर ढंग से इस बात की ताकीद कर सकेगा कि वे खुद से कर नियमों का पालन करें। करदाता संशोधित रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर संबंधित कर निर्धारण वर्ष की आखिरी तारीख के दो साल बाद तक रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।

अगर किसी करदाता ने तय समयसीमा के भीतर या संशोधित रिटर्न नहीं भरा है, तो वह भी अपडेट किया हुआ रिटर्न भर सकता है। रिटर्न को अपडेट करने वाले करदाता को उस आय पर अतिरिक्त आयकर देना होगा, जो उसके शुरुआती रिटर्न में शामिल नहीं की गई है। अगर अपडेट किया गया रिटर्न कर निर्धारण वर्ष के आखिर से 12 महीने के भीतर भरा गया है, तो यह अतिरिक्त कर ऐसी नई आय पर कुल कर का 25 प्रतिशत होगा और इस पर ब्याज भी लगेगा। इसके अलावा, अगर अपडेट किया गया रिटर्न 12 महीने के बाद भरा जाता है, तो अतिरिक्त कर की राशि कुल कर का 50 प्रतिशत होगी। किसी एक कर निर्धारण वर्ष के लिए सिर्फ एक बार ही रिटर्न को अपडेट किया जा सकेगा। इस कानून के तहत, आयकर रिटर्न नहीं भरने पर अभियोजन आदि से भी सुरक्षा का प्रावधान है। हालांकि, इस प्रावधान का मकसद उन करदाताओं की गलती को क्षमा नहीं करना है, जो कर चोरी में शामिल हैं। अगर किसी करदाता के मामले में जांच, सर्वे आदि प्रक्रिया हुई है, तो वह उस कर निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकता। इसी तरह, अगर किसी करदाता के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण या फिर से कर निर्धारण की कार्यवाही हुई है तो उस कर निर्धारण वर्ष में रिटर्न को अपडेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स के खिलाफ काला धन अधिनियम, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के तहत गंभीर अपराध के मामले हैं, तो वह अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकेगा। किन अन्य परिस्थितियों में रिटर्न को अपडेट नहीं किया जा सकता है, इस बारे में भी प्रावधान किया गया है। उम्मीद है कि यह प्रस्ताव कर नियमों के स्वैच्छिक पालन का मार्ग प्रशस्त करेगा और पारदर्शिता व भरोसे का माहौल तैयार हो सकेगा।

स्टार्टअप और नई विनिर्माण इकाइयां

सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देकर और नए विनिर्माण उद्योगों की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए सरकार ने इस तरह की इकाइयों के लिए आयकर में कटौती और अन्य तरह की छूट दी। हालांकि, कोरोना की वजह से ये इकाइयां समय पर अपना काम शुरू नहीं कर सकीं, ताकि वे इन छूटों का फायदा उठा सकें। इन इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने इन उद्यमों की स्थापना की समयावधि की शर्त में बदलाव किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इकाइयां इस प्रावधान का लाभ उठा सकें। इस तरह की इकाइयों के लिए कर की व्यवस्था बेहद अनुकूल है और उनके लिए कॉरपोरेट कर की दर सिर्फ 15 प्रतिशत होगी।

आईएफएससी के लिए छूट

सरकार 'गिफ्ट सिटी' में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को वैश्विक वित्तीय हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इस केंद्र को कई तरह के प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिए जा रहे हैं।

'गिफ्ट सिटी' के लिए आकर्षण की मुख्य वजह यह है कि हमें दुनिया भर के अन्य ठिकानों से वित्तीय सेवाओं को ऐसी जगह पर स्थानांतरित करने की जरूरत है, जहां कर में छूट मिले। नतीजतन, 'गिफ्ट सिटी' वित्तीय गतिविधियों का केंद्र बन रहा है और बड़ी संख्या में इकाइयां और फंड आईएफएससी का रुख कर रहे हैं। आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई और उपाय किए गए हैं। इसके तहत, किसी प्रवासी भारतीय के ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या विदेशी बैंकिंग इकाइयां द्वारा काउंटर डेरिवेटिव से होने वाली आय, रॉयल्टी संबंधी आय, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से होने वाली आय आईएफएससी में कुछ शर्तों के साथ करमुक्त होगी।

आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई और उपाय किए गए हैं। इसके तहत, किसी प्रवासी भारतीय के ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या विदेशी बैंकिंग इकाइयां द्वारा काउंटर डेरिवेटिव से होने वाली आय, रॉयल्टी संबंधी आय, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से होने वाली आय आईएफएससी में कुछ शर्तों के साथ करमुक्त होगी।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर कर

दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटाइजेशन ने सरकारों के सामने निगरानी, नियंत्रण और कर वसूलने से जुड़ी नई चुनौतियां पेश की हैं। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह निवेश जोखिमपूर्ण है और सरकार ने पाया है कि ऐसे निवेश में काफी ज़्यादा लाभ या नुकसान हो सकता है। चूंकि इस तरह के लेनदेन का प्रचलन काफी बढ़ गया है और बड़े पैमाने पर ऐसे लेन-देन देखने को मिल रहे हैं, लिहाज़ा सरकारों द्वारा राजस्व के नुकसान से बचने के लिए इन लेन-देन पर कर लगाना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, एक तय सीमा से ज्यादा की रकम पर वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री होने की स्थिति में 1 प्रतिशत टीडीएस काटने की भी बात है। हालांकि, यह कर प्रणाली ऐसे लेन-देन को उस तरह से वैधता नहीं प्रदान करती है, जिस तरह से क्रिप्टो को दी गई है। इस उद्देश्य के लिए अलग से प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, अंतरिम अवधि के दौरान कर तय करने का प्रावधान किया गया है।

मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए प्रावधान

पिछले कुछ साल में यह देखने को मिला है कि मुकदमेबाज़ी के मामलों में बढ़ोतरी से आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है। मुकदमेबाजी की वजह से एक तरफ जहां राजस्व अटक जाता है, वहीं अदालतों पर भी इसका बोझ बढ़ता है। ऐसे मामलों के लंबा खिंचने पर कर प्रणाली में अनिश्चितता का माहौल तैयार होता है और बेहतर आर्थिक व्यवस्था की राह में बाधा पहुंचती है। प्रत्यक्ष कर से जुड़े मुकदमों और कर विवादों से निपटने के लिए पिछले कुछ साल में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा तय करना, विवाद निपटारा कमेटी बनाना, अग्रिम कीमत समझौता (एपीए) के जरिये मामलों को निपटाना, दोहरा कराधान अपवंचन समझौता आदि उपाय शामिल हैं।

मुकदमेबाजी के मामलों को कम करने के लिए इस वित्त विधेयक में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अगर किसी करदाता के मामले में कोई ऐसा सवाल है जो पहले से ही किसी अन्य मामले के तहत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उस मामले में अपील दायर करने का मामला तब तक के लिए टल जाएगा, जब तक इस पर संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता।

उपकर (सेस) का वर्गीकरण

कर वसूली के लिए 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' को आय का हिस्सा मानने को लेकर अस्पष्टता की वजह से मुकदमेबाजी के कई मामले देखने को मिले हैं। कुछ अदालतों ने 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' को कारोबारी खर्च मानने की अनुमति दी है, जो सही नहीं जान पड़ता है। आयकर से जुड़ा उपकर या अधिभार कंपनियों के लाभ-हानि खाते में खर्च नहीं हो सकता। इन अदालती फैसलों की वजह से प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याएं हुई हैं। साथ ही, कुछ मामलों में करदाता अपील दायर कर इसका गैर-ज़रूरी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः, इसका कानूनी पहलू सुनिश्चित करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के अधिभार या उपकर को कारोबारी खर्च नहीं माना जा सकता और इसे आय पर लगने वाले कर के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

बोनस और लाभांश स्ट्रिपिंग के प्रावधानों का विस्तार

बजट में बोनस स्ट्रिपिंग के प्रावधानों को प्रतिभूतियों (शेयर समेत) पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। बोनस स्ट्रिपिंग का मतलब ऐसी स्थिति से है, जहां करदाता उस तारीख को प्रतिभूतियां (शेयर वगैरह) खरीदता है, जब कंपनी ने बोनस शेयरों को आवंटित

करने का ऐलान किया था। करदाता को इस तारीख को बोनस शेयर आवंटित किए जाते हैं। मान लीजिए कि बोनस शेयरों के आवंटन के बाद शेयरों (बोनस वाले और खरीदे गए, दोनों तरह के शेयरों में) में गिरावट होती है। ऐसे में अगर करदाता बोनस शेयरों के आवंटन के कुछ समय बाद, खरीदे गए शेयरों को ट्रांसफर कर देता है, तो उसे नुकसान सहना पड़ेगा। इस नुकसान की भरपाई कर योग्य अन्य आय के आधार पर की जा सकती है। इसे पहले कर नियोजन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

इसी तरह, लाभांश स्ट्रिपिंग का मतलब ऐसी स्थिति से है, जहां कोई शख्स लाभांश की घोषणा के लिए तय की गई तारीख से कुछ समय पहले शेयर खरीदता है और इस तारीख के कुछ समय बाद शेयर बेच देता है। चूंकि भुगतान की जाने वाली लाभांश राशि (जिस हिसाब से शेयरों की खरीद की गई है) आम तौर पर बेचे जाने वाले शेयरों की लाभांश राशि से कम होती है, लिहाजा ऐसे लेन-देन पर नुकसान होता है और साल की अन्य आय से इसकी भरपाई की जा सकती है। ब्याज स्ट्रिपिंग के मामले में भी यही नियम लागू होता है, जहां किसी इकाई पर मिलने वाले ब्याज पर कर की छूट मिल सकती है। म्यूचुअल फंडों के मामले में बोनस और लाभांश स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए पहले से प्रावधान मौजूद हैं। इसके दायरे में कुछ और इकाइयों को शामिल करने के लिए बजट 2022 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत, आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, वैकल्पिक निवेश फंड आदि को शामिल करने की बात है।

> **वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह निवेश जोखिमपूर्ण है और सरकार ने पाया है कि ऐसे निवेश में काफी ज़्यादा लाभ या नुकसान हो सकता है। चूंकि इस तरह के लेनदेन का प्रचलन काफी बढ़ गया है और बड़े पैमाने पर ऐसे लेन-देन देखने को मिल रहे हैं, लिहाज़ा सरकारों द्वारा राजस्व के नुकसान से बचने के लिए इन लेन-देन पर कर लगाना जरूरी है।**

सामाजिक ट्रस्टों से जुड़े प्रावधान

इन ट्रस्टों का सामाजिक योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनके योगदान को देखते हुए सार्थक कार्यों के लिए उन्हें कर में छूट दी जाती है। हालांकि, कुछ मौजूदा प्रावधानों में अस्पष्टता की वजह से ट्रस्टों से जुड़े कर विवाद के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे प्रावधानों में स्थिति साफ करने के लिए बजट में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। मोटे तौर पर, आयकर अधिनियम के खंड 10(23सी) और खंड 11 व 12 में बदलाव किए गए हैं। ये दोनों खंड ट्रस्ट और ऐसे संस्थानों के संचालन संबधी नियमों से जुड़े हैं।

'फायदों' को छिपाना

कारोबार या अन्य गतिविधियों के दौरान मिलने वाले फायदों/अतिरिक्त सुविधाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। हालांकि, आयकर रिटर्न भरते समय इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसके मद्देनजर ऐसे फायदों/अतिरिक्त सुविधाओं की राशि 20,000 रुपये से ज़्यादा होने पर टीडीएस काटने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क में छूट से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा

सीमा शुल्क से जुड़े छूट के 400 से ज़्यादा मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की गई है। इस सिलसिले में MyGov.in प्लेटफॉर्म के जरिये सुझावों को इकट्ठा किया गया। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग समूहों के साथ सलाह-मशविरा भी किया गया। समीक्षा के बाद, उन आइटम पर कर छूट को वापस लिया जा रहा है, जिनकी घरेलू उपलब्धता पर्याप्त है। साथ ही, उन आइटमों पर भी छूट को खत्म किया जा रहा है, जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं।

सीमा शुल्क का आसान ढांचा

सीमा शुल्क शेड्यूल के आधार पर सीमा शुल्क का ढांचा तय किया जाता है। हालांकि, अधिसूचना के ज़रिये सीमा शुल्क दरों में कमी की जा सकती है। अलग-अलग तरह के छूटों ने शुल्क प्रणाली को जटिल बना दिया है। इसके अलावा, भारत के सीमा शुल्क ढांचे का अध्ययन करने वालों को यह लग सकता है कि इसकी दरें काफी ऊंची हैं। सीमा शुल्क ढांचे को आसान बनाने के लिए, 1 मई 2022 से नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत, अलग-अलग अधिसूचना के जरिये जारी किए गए शुल्क नियमों के बदले शुल्क शेड्यूल के आधार पर ही नियमों का संचालन होगा। इससे सीमा शुल्क ढांचे को आसान बनाने का रास्ता साफ होगा।

सीमा शुल्क दरों में बदलाव

कुछ सामान पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती की गई है, ताकि इनपुट लागत कम हो, दरों के ढांचे को आसान बनाया जा सके, शुल्क ढांचे में सुधार किया जा सके और कारोबार करने में सुविधा हो सके। साथ ही, इन कदमों का मकसद कृषि, रत्न और आभूषण,

धातु व पूंजीगत सामान जैसे क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना है। कुछ सामान के लिए बुनियादी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, ताकि घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा दिया जा सके और किसानों, एमएसएमई क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों के लिए बाजार में एक जैसे अवसर उपलब्ध हो सकें।

पूंजीगत सामान वाले सेक्टर से जुड़े बदलाव

पूंजीगत सामान और परियोजना निर्यात पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है। पूंजीगत सामान और परियोजना निर्यात पर सीमा शुल्क से जुड़ी 42 छूटों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। छूटों को तर्कसंगत बनाए जाने के बाद ज़्यादातर पूंजीगत सामान पर काफी कम यानी 7.5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लिया जाएगा और इससे लागत में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी।

शुल्क-रहित निर्यात

हस्तकला से जुड़े आइटम, वस्त्र, चमड़े का सामान जैसी चीजों के निर्यातकों को सजावट से जुड़ी चीजें, बटन, डिज़ाइन, जिपर, चमड़ा, लाइनिंग, फिटिंग आदि आइटम का आयात करने की ज़रूरत होती है। निर्यातकों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों का आयात करना पड़ता है। नई व्यवस्था के मुताबिक, इन निर्यातकों को इन खास आइटमों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

अलग-अलग सेक्टर (क्षेत्र) की खास जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर

वियरेबल डिवाइस (स्मार्टघड़ी), सुनने में मदद करने वाले डिवाइस (वायरलेस ईयरफोन/हेडफोन, पोर्टेबल ब्लूटुथ स्पीकर) और स्मार्ट मीटर के उत्पादन को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत श्रेणीबद्ध आयात शुल्क ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और सीमा शुल्क दरों में असमानता को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम के छोटे-छोटे ज़रूरी कल-पुर्ज़ों, मसलन मोबाइल के कैमरा मॉड्यूल निर्माताओं के लिए कैमरा लेंस और चार्जर/एडेप्टर आदि बनाने वालों के लिए ट्रांसफ़ॉर्मर पर सीमा शुल्क दर में कमी की गई है।

कपड़ा सेक्टर

कपड़ा सेक्टर में काफी हद तक शुल्क के नियम को आसान बनाया गया है। कपड़े पर सीमा शुल्क की दरों का संचालन अब कस्टम टैरिफ के ज़रिये होगा। सोफे के गद्दे वाले कपड़ों और अन्य कपड़ों पर शुल्क को बराबर रखा गया है। परिधान और वस्त्र पर सीमा शुल्क के ढांचे को आसान बनाया गया है और कई आइटम पर खास दरों को खत्म किया गया है।

उत्पाद शुल्क की दर में बदलाव

पेट्रोल में एथनॉल और डीज़ल में बायोडीज़ल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए, बिना मिलावट वाले पेट्रोल और डीज़ल पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हमारा देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है और सरकार भी करदाताओं को ज़रूरी सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दुनिया के आर्थिक नक्शे में भारत खास जगह बना सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इसके अलावा, बजट के ज़रिये यह भी उम्मीद जताई गई है कि हमारे करदाता अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को पूरा करने यानी कर नियमों का खुद से पालन करने में सरकार को सहयोग करेंगे। ■

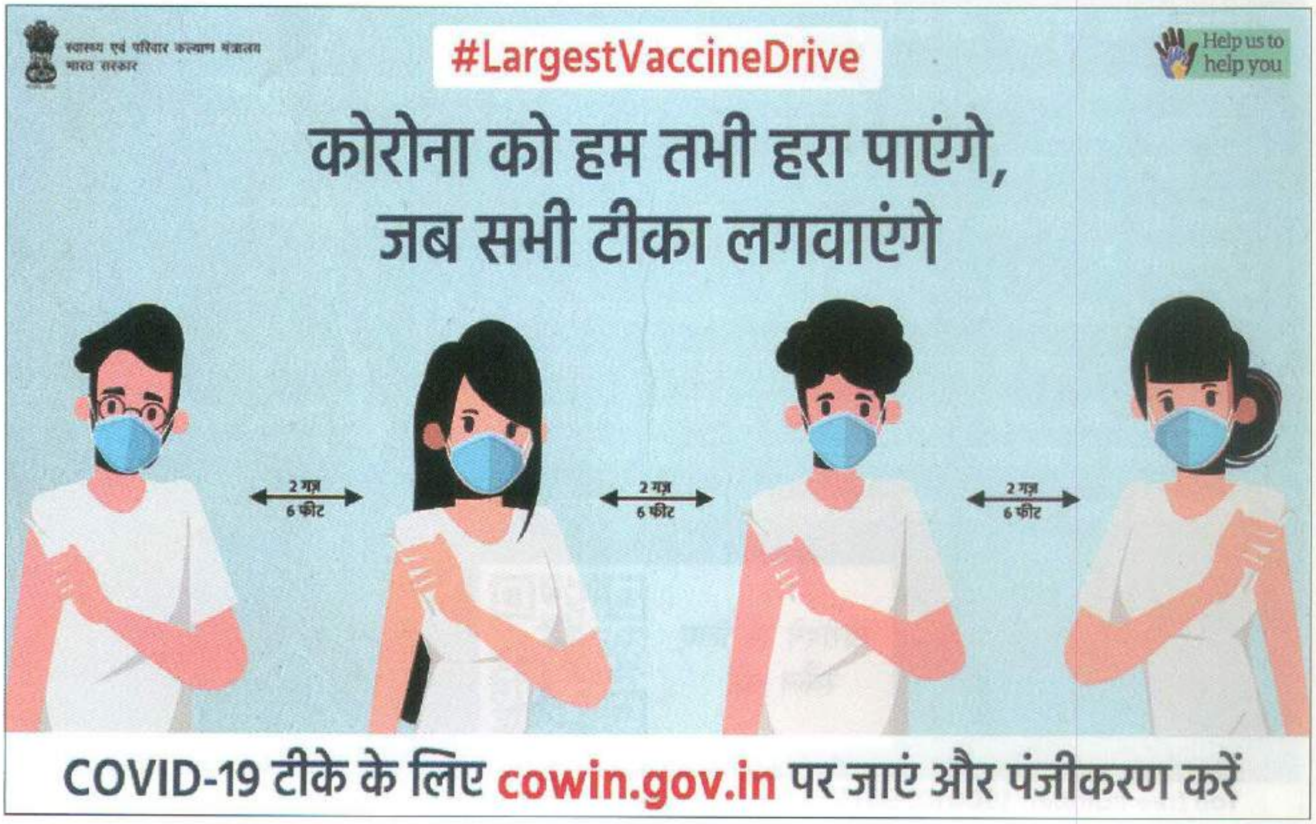

बहुआयामी प्रभाव के लाभ

डॉ सज्जन सिंह यादव

2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को तेज़ी से बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि की गति तेज करने की क्रांतिकारी धारणा पर आधारित पहल सामने रखी है। इस पहल के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी व्यय को जोरदार प्रोत्साहन देने पर विशेष बल दिया जाएगा। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले ग़ैर-आवर्ती दीर्घावधि व्यय को ही पूंजी व्यय माना जाता है। आखिर पूंजीगत व्यय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अध्ययनों से पता चला है कि पूंजीगत व्यय का गुणक अल्पावधि में 2.45 और दीर्घावधि में 4.8 होता है।[1] सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि पूंजी पर खर्च की जाने वाली 1 करोड़ रुपये की राशि से सकल घरेलू उत्पाद में 2.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकेगी जबकि दीर्घावधि में संचित प्रभाव से सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। इस गुणक प्रभाव या बहुआयामी प्रभाव का मूल कारण क्या है?

पूंजीगत व्यय से आय बढ़ती है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं, सहायक उद्योगों और सेवाओं का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादक क्षमता बढ़ती है और मांग में तेज़ी आती है। सरकारी पूंजी व्यय से निजी निवेश को आकर्षित करने की स्वचालित प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। साथ ही अर्थव्यवस्था की साख बढ़ती है और विदेशी निवेश भी आने लग जाता है।[2]

वित्त मंत्री ने 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्र के पूंजीगत व्यय के लिए 35.4 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करके 2021-22 के 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है।[3] 2022-23 के लिए किया गया यह प्रावधान 2019-20 के पूंजी व्यय प्रावधान से 2.2 गुणा अधिक है। इसके अलावा राज्यों को विभिन्न केंद्र-समर्पित योजनाओं के लिए पूंजीगत संपत्तियां बनाने के लिए अनुदान राशि भी मिलेगी। इस राशि को मिलाकर 2022-23 का पूंजीगत व्यय बढ़कर 10.68 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा।[3]

वित्तमंत्री के 2022-23 के बजट भाषण की विशेष उल्लेखनीय बातों में राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता देने की योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये की बड़ी केपैक्स सहायता राशि उपलब्ध कराना है।[4]

राज्यों में पूंजी-व्यय में तेज़ी लाना

मार्च, 2020 में कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने से ये केंद्र और राज्य सरकारों को कर-राजस्व कम होने के कारण कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा था। महामारी से निपटने की गतिविधियां चलाने और पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के कार्यों से वित्तीय संसाधनों पर भी दबाव बढ़ गया था।

वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान जैसे दायित्व तो राज्य सरकारों को निभाने ही थे और उनसे बच पाना आसानी से संभव नहीं था। नतीजा यह रहा कि पूंजी व्यय को स्थगित करने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। इसलिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्तीय संसाधनों पर जबरदस्त

2022-23 के लिए बजट अनुमान
(₹ करोड़ में)

कुल जोड़ 39,44,909

पेंशन	2,07,132	ब्याज	9,40,651
रक्षा	3,85,370	आईटी और दूरसंचार	79,887
प्रमुख सब्सिडी	3,17,866	योजना एवं सांख्यिकी	5,720
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,51,521	ग्रामीण विकास	2,06,293
वाणिज्य और उद्योग	53,116	वैज्ञानिक विभाग	30,571
पूर्वोत्तर का विकास	2,800	सामाजिक कल्याण	51,780
शिक्षा	1,04,278	कर प्रशासन	1,71,677
ऊर्जा	49,220	राज्यों को अंतरण	3,34,339
विदेश मामले	17,250	परिवहन	3,51,851
वित्त	21,354	संघ राज्य क्षेत्र	58,757
स्वास्थ्य	86,606	शहरी विकास	76,549
गृह	1,27,020	अन्य	1,13,301

KBK

लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। ईमेल: sajjan95@gmail.com

दबाव के बावजूद 2020-21 में राज्य सरकारों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना चलाने का फैसला किया। इस योजना का नाम 'राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना' रखा गया और इसके तहत 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

इस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी। ये ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य ऋणों के अतिरिक्त थे। इन ऋणों का इस्तेमाल राज्य अपने हिसाब से नई या पहले से चल रही पूंजीगत योजना के लिए कर सकते थे। राज्यों को यह छूट भी थी कि वे चल रही परियोजनाओं से जुड़े बकाया बिलों का भुगतान भी इस ऋण-राशि से कर सकते थे। योजना का प्रारूप बहुत सरल रखा गया था और राज्यों को परियोजनाओं का चयन करने के मामले में पूरी छूट दी गई थी। फिर, प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण बहुत ही सरल फॉर्म के जरिए मांगा गया था और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देना भी इतना ज़रूरी नहीं रखा गया था।

पूंजीगत व्यय से आय बढ़ती है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं, सहायक उद्योगों और सेवाओं का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादक क्षमता बढ़ती है और मांग में तेज़ी आती है।

राज्यों ने इस योजना का बहुत स्वागत किया। तमिलनाडु को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया। राज्यों की ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने पर वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को दूसरे रूप में 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू किया गया। संशोधित अनुमानों में यह प्रावधान 50 प्रतिशत बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु ने भी 2020-21 में इस योजना को अपना लिया है और फिर 2022-23 के बजट पूर्व विचार-विमर्श में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इस योजना को जारी रखने और इसके प्रावधान बढ़ाने का आग्रह किया था।

वित्त मंत्री ने राज्यों की मांग पर विचार करके सहकारी संघवाद के अनुरूप फैसला लेते हुए 2022-23 के केंद्रीय बजट में लीक से हटकर घोषणा की है। उन्होंने *राज्यों को पूंजी व्यय के लिए वित्तीय सहायता* योजना को वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रखने की घोषणा के साथ ही 2021-22 के बजट अनुमानों की अपेक्षा इस योजना के प्रावधान को दस गुणा बढ़ाने की घोषणा कर दी। 1 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित आबंटन से राज्यों को अर्थव्यवस्था के समग्र निवेश में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि यह आबंटित राशि **'पीएम गतिशक्ति योजना'** से जुड़े कार्यों और पूंजी निवेश के अन्य कार्यों पर भी इस्तेमाल की जा सकेगी। साथ ही, इस योजना के तहत मिलने वाली राशि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क परियोजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पूरक कार्यों में भी इस्तेमाल की जा सकती है तथा इसे राज्य के हिस्से के खर्च में भी जोड़ा जा सकेगा। इस योजना में राज्यों को अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सुधार कार्य चलाने के वास्ते प्रेरित करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल भुगतान और ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल) नेटवर्क का अधूरा काम पूरा करना भी शामिल हैं तथा टाउन प्लानिंग योजनाओं, पारगमन आधारित विकास, भवन-निर्माण नियमों और हस्तांतरणीय अधिकारों से संबद्ध सुधार भी शामिल होंगे।

राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष छूट सहायता योजना, संस्करण 1.0

इस योजना के मूल प्रारूप में तीन भाग थे पहले भाग में पूर्वोत्तर के आठ राज्य और दो पर्वतीय राज्य शामिल किए गए थे। इस भाग में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 450-450 करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि असम के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

शेष सात पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। योजना के दूसरे भागों में अन्य सभी राज्य कवर किए गए थे और उन सभी के लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इन राज्यों को केंद्रीय करों में अपने आबंटन के अनुपात में यह राशि बांट दी गई क्योंकि वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग ने यही व्यवस्था दी थी। योजना के तीसरे भाग में 2,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था विशेष रूप से उन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में देने के लिए की गई थी जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्रित मानकों में से कम से कम तीन मानक पूरे कर लेंगे।

राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना, संस्करण 2.0

इस योजना के दूसरे संस्करण के भी तीन भाग हैं। पहले भाग में पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों पर ज़ोर दिया गया है। असम को छोड़कर शेष सात पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 400-400 करोड़ का प्रावधान किया गया था। शेष राज्यों के लिए कुल 7,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जो उनके बीच केंद्रीय करों में उनके अंशदान के अनुपात में बांट दी गई जैसी 15वें वित्त आयोग ने व्यवस्था दी थी। योजना के तीसरे भाग में राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश तथा सरकारी परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है।

चिह्नित नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधार

कोविड-19 महामारी के गंभीर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए और इस महामारी से निपटने के लिए राज्यों की अधिक संसाधनों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर जनता तक उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने राज्यों को वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत सीमा तक अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस आशय के विस्तृत दिशानिर्देश व्यय विभाग ने 17 मई, 2020 को जारी किए थे। लेकिन दीर्घावधि ऋण जारी रखने की पक्की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह शर्त लगा दी गई कि राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने, राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादक राजस्व व्यय घटाने होंगे और यह शर्त भी रखी गई कि अतिरिक्त ऋणों का 50 प्रतिशत भाग तभी दिया जाएगा जब राज्य नागरिक केंद्रित चारों क्षेत्रों में सुधार कार्य पूरे कर लेंगे। सुधार कार्यों के लिए चिह्नित किए गए ये चार क्षेत्र हैं- एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना; कारोबार करने में सरलता लाने की व्यवस्था (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) करना; शहरी स्थानीय निकाय/सुविधा सुधार; और बिजली क्षेत्र के सुधार।

तालिका-1 : एसएएससीई के तहत आबंटित और जारी की गई राशि

करोड़ रुपये में

क्र.	राज्य का नाम	2021-22	2020-21
		आबंटन-जारी राशि	आबंटन-जारी राशि
1.	आंध्र प्रदेश	335.00 - 0.00	688 - 688
2.	अरुणाचल प्रदेश	200.00 - 0.00	233.97 - 232.97
3.	असम	400.00 - 200.00	450 - 450
4.	बिहार	831.00 - 831.00	843 - 843
5.	छत्तीसगढ़	282.00 - 282.00	286 - 286
6.	गोवा	33.00 - 33.00	97.66 - 97.66
7.	गुजरात	288.00 - 144.00	285 - 285
8.	हरियाणा	90.00 - 45.00	91 - 91
9.	हिमाचल प्रदेश	400.00 - 200.00	533 - 533
10.	झारखंड	273.00 - 109.50	277 - 277
11.	कर्नाटक	301.00 - 150.50	305 - 305
12.	केरल	159.00 - 0.00	163 - 81.5
13.	मध्य प्रदेश	649.00 - 908.09	1320 - 1320
14.	महाराष्ट्र	522.00 - 249.73	514 - 514
15.	मणिपुर	200.00 - 18.62	317.16 - 317.16
16.	मेघालय	200.00 - 81.20	200 - 200
17.	मिज़ोरम	200.00 - 100.00	200 - 200
18.	नगालैंड	200.00 - 95.00	200 - 200
19.	ओडिशा	374.00 - 143.12	471.5 - 471.5
20.	पंजाब	149.00 - 74.50	296.5 - 296.5
21.	राजस्थान	498.00 - 443.41	1002 - 1002
22.	सिक्किम	200.00 - 100.00	200 - 200
23.	तमिलनाडु	337.00 - 0.00	0.00 - 0.00
24.	तेलंगाना	174.00 - 40.20	358 - 358
25.	त्रिपुरा	200.00 - 0.00	300 - 300
26.	उत्तर प्रदेश	1483.00 - 741.50	976 - 976
27.	उत्तराखंड	400.00 - 0.00	675 - 675
28.	पश्चिम बंगाल	622.00 - 311.00	630 - 630

एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को और खासकर प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज का अपना कोटा देश में कहीं भी और किसी भी उचित दर की दुकान से लेने की सुविधा उपलब्ध कराना था। कारोबार करने में सरलता लाने की योजना का उद्देश्य देश में कारोबार करने वालों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराके लोगों को अर्थव्यवस्था की भावी वृद्धि में तेज़ी लाना था। स्थानीय निकायों को सशक्त और कार्यकुशल बनाने संबंधी सुधारों का उद्देश्य इन निकायों/संस्थानों के वित्तीय संसाधन बढ़ाना था ताकि लोगों को बेहतर बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सेवाएं मिल सकें। बिजली क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) नुकसान अर्थात् तकनीकी और व्यापारिक कारणों से होने वाली समग्र हानि की पूर्ति हो सके, औसत सप्लाई

तालिका-2 : राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधार

नागरिक केंद्रित क्षेत्र	निर्धारित सुधार पूरे करने वाले राज्यों की संख्या
एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था	17
कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार	20
शहरी स्थानीय निकाय/सुविधा सुधार	11
बिजली क्षेत्र के सुधार (पूरे या आंशिक)	17
सकल तकनीकी और व्यापारिक नुकसान (एटीएंडसी)	5
एसीएस-एआरआर अंतर कम करना	7
बिजली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजना	15

लागत और औसत प्राप्त राजस्व का अंतर (एसीएस-एआरआर अंतर) को कम किया जा सके और मुफ्त बिजली देने के बजाय किसानों को यह लाभ सीधा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए।

चिह्नित किए गए चार क्षेत्रों में से कम से कम तीन में 31 दिसंबर, 2020 तक सुधार कार्य लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के वास्ते पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना, 2020-21 के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया।

विनिवेश और मौद्रिकरण

वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में कुशलता सुधारों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश और राज्यों की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण/रीसाइक्लिंग के माध्यम से राज्यों द्वारा राजस्व संसाधन जुटाने पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्यों को 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

एसपीएसई में थोड़े भाग को विनिवेश किए जाने पर राज्यों को, विनिवेश से हुई आय के 50 प्रतिशत तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन एसपीएसई के नीतिगत विनिवेश की स्थिति में राज्यों को इससे प्राप्त राजस्व के 100 प्रतिशत जितनी प्रोत्साहन राशि मिल सकती थी। नीतिगत विनिवेश का मतलब है प्रबंधन में नियंत्रण हस्तांतरित करने के साथ ही एसपीएसई में सरकार की भागीदारी में से 50 प्रतिशत शेयरों की बिक्री कर देना।

परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण/सरकारी परिसंपत्तियों की रीसाइकलिंग यानी पुनर्निर्माण क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा था। परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करने से उनकी कीमत सामने आ जाती है, उनकी शेयर लागत खत्म हो जाती है और सार्वजनिक धनराशि नई परियोजनाओं में लगाई जा सकती है। परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करने पर राज्यों को उन परिसंपत्तियों से होने वाली आय के 33 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह शर्त भी रखी गई कि परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण/रीसाइकलिंग से प्राप्त आय को राज्य केवल पूंजी व्यय पर खर्च करेंगे।

योजना का प्रदर्शन कैसा रहा

पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की योजना बहुत सफल रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल आबंटित राशि 12,000 करोड़ रुपये रखी गई थी जबकि 11,912 करोड़ रुपये की लागत वाली पूंजीगत योजनाएं स्वीकृत की गईं और राज्यों को कुल 11,830 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान 10,000 करोड़ रुपये के थे जबकि 3 फरवरी, 2022 तक 9,115 करोड़ रुपये की लागत वाली पूंजी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और राज्यों को तब तक कुल 5,301 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इससे राज्यों को बड़ी संख्या में पूंजीगत योजनाएं चलाने में काफी मदद मिली जो वैसे आर्थिक तंगी के कारण रोकनी पड़तीं। इस योजना के तहत किए राज्यवार आबंटन और जारी की गई सहायता राशि का विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

यह योजना न केवल पूंजी निवेश बढ़ाने और पूंजीगत परियोजनाएं पूरी करने में सफल रही बल्कि सुधार कार्यों में तेज़ी लाने में भी बहुत सहायक सिद्ध हुई है। योजना के पहले संस्करण में जिन विभिन्न नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधार कार्य किए गए उन्हें तालिका-2 में दर्शाया गया है। इसके तहत 17 राज्यों ने 'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना लागू की और 20 राज्यों ने कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार कार्य पूरे किए। 11 राज्यों में स्थानीय निकाय सुधार लागू किए गए और 17 राज्यों में बिजली क्षेत्र के सुधार पूर्णरूप से अथवा आंशिक तौर पर लागू किए गए। राज्यों द्वारा सुधार प्रक्रिया पूरी किए जाने का प्रमाणन संबंधित मंत्रालयों ने किया।

23 राज्यों ने चिह्नित क्षेत्रों में से कम से कम एक में सुधार लागू किया। दो राज्यों- केरल और उत्तराखंड ने चारों चिह्नित क्षेत्रों में सुधार लागू किए। ग्यारह राज्यों ने तीन या अधिक क्षेत्रों में सुधार पूरी तरह लागू किए- (ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा और तेलंगाना)।

पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2021-22 से राज्यों को निर्धारित सुधारों के लिए प्रोत्साहन मिला। योजना के इस भाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश को एसपीसीई के विनिवेश और परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए 518.17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

आशा है कि बजट भाषण में वित्त मंत्री के आश्वासन के अनुरूप ही 1 लाख करोड़ रुपये के विशाल आबंटन से पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की योजना 2022-23 के तीसरे और अंतिम संस्करण में आए व्यापक सुधार से पूंजी निवेश और अंतिम आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी और राज्य सुधार कार्य अपनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। ■

संदर्भ

1. बोस एस और भानुमूर्ति एन आर. फिस्कल मल्टिपल्स फॉर इंडिया. एनआईएफपीएम. https://www.nipfp.org.in/publications/one-pagers/fiscal-multipliers-india/
2. बहल जी, रयस्सी एम, तुलिन वी. क्राउडिंग-आउट या क्राउडिंग-इन भारत में सरकारी और निजी निवेश. वर्ल्ड डेवलपमेंट. 2018 सितंबर 1:109:323-33
3. बजट भाषण 2022-23. https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
4. 2022-23 में सकल निवेश में तेज़ी जाने के उद्देश्य से राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति-1 फरवरी, 2022. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794144

भारत में कॉरपोरेट ऋण

अविनाश मिश्रा
प्रियंका आनंद

भारतीय वित्तीय बाजारों में व्यापार मात्रा, बाजार पूंजीकरण, कारोबार और सूचीबद्ध शेयरों की संख्या के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय 1990 के दशक में शुरू किए गए कई सुधारों को दिया जा सकता है, जैसे, पूंजी बाजार नियामकों की स्थापना, अनाम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली, जोखिम के कुशल प्रबंधन के लिए समाशोधन निगम, वायदा कारोबार और डिपॉजिटरी की स्थापना। इनसे वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ी है और लेनदेन लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वित्तीय साधनों के एक विविध पूल ने भी निवेशकों के आधार को विस्तृत किया है और कॉरपोरेट्स को देश में बड़े पैमाने पर निवेश तथा रोज़गार सृजन के लिए पूंजी जुटाने में मदद की है।

इक्विटी बाजारों के अलावा, वाणिज्यिक बैंक भारतीय कॉरपोरेट जगत को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र जैसे ऋण बाजार स्रोतों को धीरे-धीरे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2019-2020 के अंत में 32.5 लाख करोड़ रुपये और 3.4 लाख करोड़ रुपये के क्रमश: कॉरपोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र बकाया थे। 2020-2021 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 19 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट बॉन्ड के कारोबार के साथ व्यापार मात्रा भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है। साथ ही, कंपनियों ने कम ब्याज दरों और कम स्प्रेड के कारण 2020-21 में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के माध्यम से 7.8 लाख करोड़ रुपये जुटाए।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तेज़ी का श्रेय सरकार द्वारा किए गए कई उपायों को दिया जा सकता है जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना, कॉरपोरेट बॉन्ड रिपोर्टिंग की स्थापना, देश में स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए कॉरपोरेट ऋण लेन-देन के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए समाशोधन तथा निपटान सुविधाओं का प्रावधान, कॉरपोरेट बॉन्ड पर रेपो की शुरुआत और कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की सुविधा के लिए बीएसई तथा एनएसई के ऋण खंडों में त्री-पक्ष रेपो मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, कॉरपोरेट ऋण के निजी प्लेसमेंट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म (ईबीएम) की शुरुआत की गई जो प्राथमिक बाजार में 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के इश्यू साइज के साथ ऋण प्रतिभूतियों के सभी निजी प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करता है। कई अन्य पहलें जैसे ऋण सूची समझौते का सरलीकरण, बड़ी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से 25 प्रतिशत उधार, पेंशन फंड द्वारा निवेश के लिए न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग आवश्यकताओं को कम करना, कॉरपोरेट बॉन्ड में द्वितीयक बाजार व्यापार में पारदर्शिता के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा आरएफक्यू प्लेटफॉर्म की शुरुआत, योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान और खुदरा निवेश के लिए न्यूनतम लॉट साइज में कमी की गई है।

कई सक्षम प्रावधानों के बावजूद, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, संपूर्ण भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक छोटा हिस्सा है। भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार का हिस्सा केवल 17 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 123 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 74 प्रतिशत और सिंगापुर में 34 प्रतिशत है। कई संरचनात्मक बाधाओं ने देश में एक जीवंत बॉन्ड बाजार के विकास में बाधा डाली है। न्यूनतम प्रकटीकरण, जारी करने की कम लागत और अनुकूलित अनुबंधों की उपलब्धता के कारण वर्तमान में ऋण की निजी प्लेसमेंट, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने पर हावी है। 2019-20 में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से लगभग 98 प्रतिशत धन जुटाया गया था, जबकि सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से केवल मामूली राशि जुटाई गई थी। इसके अलावा, उच्च-रेटेड बॉन्ड कम-रेटेड बॉन्ड की तुलना में अधिक राशि को आकर्षित करते

अविनाश मिश्रा, नीति आयोग में सलाहकार हैं। ईमेल: amishra-pc@gov.in
प्रियंका आनंद, नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं। ईमेल: priyankanand.23@gmail.com

हैं। एएए, एए और ए-रेटेड बॉन्डों की हिस्सेदारी 2019-20 में कुल निर्गमों में क्रमशः 74 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत थी।

बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि वे बाजार के लिए चिह्नित हैं। निवेश के उद्देश्य से खरीदे गए बॉन्डों को या तो 'बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)', 'परिपक्वता तक धारित' या 'ट्रेडिंग' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एएफएस और ट्रेडिंग श्रेणियों के मामले में, कॉरपोरेट बॉन्ड होल्डिंग्स पर हानि या लाभ बैंकों द्वारा बुक किया जाता है, जो उनकी लाभप्रदता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, बॉन्ड अनुबंधों को ऋण अनुबंधों की तुलना में मानकीकृत किया जाता है, जिसमें बैंक ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खंड जोड़ सकते हैं। क्रेडिट डाउनग्रेड की स्थिति में भी, बॉन्ड की कीमत बहुत तेज़ी से कम होती है, जबकि कॉरपोरेट ऋण के मामले में ऐसा नहीं है।

विवेकपूर्ण मानदंड, वित्तीय संस्थानों के निवेश को प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि उनसे संबंधित नियामक कॉरपोरेट बॉन्ड में केवल एक विशिष्ट स्तर के निवेश को अनिवार्य करते हैं। देश में कॉरपोरेट बॉन्ड के मूल्यांकन की पद्धति भी एकसमान नहीं है जो द्वितीयक बाजार व्यापार को प्रभावित करती है। इसके अलावा, फिर से जारी करने पर स्टांप शुल्क की पुनः अदायगी और परिपक्वता तिथियों पर पुनः अदायगी देनदारियों के समूहन के कारण भी कॉरपोरेट बॉन्ड के पुनर्निर्गम में तेज़ी नहीं आई है।

अच्छी तरह से विकसित ऋण बाजार भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाले हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) ने वित्त वर्ष 2020 और 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है, जो कि वित्त वर्ष 2014 और 2019 के बीच 51 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निवेश के दोगुने से अधिक है।

अच्छी तरह से विकसित ऋण बाजार भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाले हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) ने वित्त वर्ष 2020 और 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है, जो कि वित्त वर्ष 2014 और 2019 के बीच 51 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निवेश के दोगुने से अधिक है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के उच्च स्तर को देखते हुए बुनियादी ढांचे के वित्त के लिए बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में संभव नहीं है। मजबूत बॉन्ड बाजार बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी निवेश अंतर को समाप्त कर सकते हैं और बैंकिंग प्रणाली पर बोझ कम कर सकते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भी कंपनियों के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि, ये देश के लिए बाहरी झटके का एक स्रोत भी बन सकते हैं, जैसा कि 2007 में सबप्राइम संकट के बाद ईसीबी में गिरावट और 2013 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के दौरान देखा गया था। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत में एक पूर्ण कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार विकसित करने के लिए सभी नीतिगत उपाय किए जाएं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक ऋण जारी करने के लिए समय और लागत को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण और सूचीबद्धता आवश्यकताओं को काफी कम किया जाना चाहिए और उन्हें लगातार ऋण मुद्दों के लिए केवल वृद्धिशील प्रकटीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से उठाए गए कॉरपोरेट ऋण की राशि अप्रैल-नवंबर 2021 में 9,000 करोड़ रुपये रही जो कि अप्रैल-नवंबर 2020 में 4,000 करोड़ रुपये थी। चूक के बारे में सटीक सार्वजनिक घोषणा करने के लिए, बॉन्ड जारीकर्ताओं को चाहिए कि संबंधित डिपॉजिटरी को ब्याज और प्रतिदान राशि का भुगतान करें जो इसे निवेशकों को दे सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को क्रेडिट रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स को अधिक बार प्रकाशित करना चाहिए ताकि बाजार सहभागियों को उन शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड आदि में क्रेडिट जोखिम के बारे में पता चल सके जिसमें वे व्यापार कर रहे हैं। क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है ताकि क्रेडिट रेटिंग कंपनियां क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता ले सकें और क्रेडिट रेटिंग कंपनियां संबंधित क्रेडिट डेटाबेस तक पहुंच सकें।

अच्छी तरह से काम करने वाला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजार भी एक जीवंत कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के लिए पूर्व-आवश्यकताओं में से एक है। हाल ही में पेश किया गया

'भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) निर्देश (सीडीएस), 2021 बैंकों, एनबीएफसी, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लिखने की अनुमति देता है। सीडीएस, फायर-सैल जोखिम को कम करते हैं और बॉन्ड बाजार में तरलता प्रदान करते हैं। ये खुदरा उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट जोखिम को कम करने में सक्षम बनाएंगे और निवेशकों को कम-रेटेड बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले से जारी बॉन्डों के लिए द्वितीयक बाजार चलनिधि सृजित करने के लिए किसी भी नए निर्गम को अधिमानतः पुनः जारी किया जाना चाहिए।

हाल ही में पेश किया गया 'भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) निर्देश (सीडीएस), 2021 बैंकों, एनबीएफसी, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लिखने की अनुमति देता है।

वर्तमान में खुदरा निवेशक देश में जारी किए जाने वाले कुल बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है। ऋण योजनाओं में खुदरा निवेश बढ़ाने के लिए ऋण उत्पादों पर पूंजीगत लाभ कर कम किया जाना चाहिए और इक्विटी उत्पादों के बराबर लाया जाना चाहिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भी कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है क्योंकि वे मौजूदा निवेश सीमा के केवल 20 प्रतिशत का उपयोग करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड में बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा निवेश पर नियामक प्रतिबंधों में भी ढील दी जानी चाहिए।

वर्तमान में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत की सीमा तक एए की न्यूनतम रेटिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा को बढ़ाने और कम रेटिंग वाले बॉन्ड तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी तरलता समायोजन सुविधा के तहत कॉरपोरेट बॉन्ड को अनुप्रासंगिक के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों में तरलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूतिकृत बॉन्ड और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए बाजार विकसित करने का भी प्रयास किया जा सकता है।

आरबीआई और सेबी ने देश में अच्छी तरह से विकसित ऋण बाजार बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के लिए बाजार निर्माताओं का एक समूह बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। ये संस्थाएं बाजार में खरीद तथा बिक्री दोनों उद्धरण प्रदान करेंगी और आपूर्ति तथा मांग के अस्थायी बेमेल को अवशोषित करने में मदद करेंगी, और बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करेंगी। पूंजी बाजार नियामक भी एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहा है जो ट्रेडों के गारंटीकृत निपटान को सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित रूप से स्टॉक और सरकारी प्रतिभूतियों के समान मिलान करता है। विभिन्न हितधारकों के साथ एक उपयुक्त ऋण बाजार सूचकांक तैयार करने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। आरबीआई ने यह भी सुझाव दिया है कि कॉरपोरेट बॉन्ड को 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें बॉन्ड होल्डिंग्स को मार्केट में चिह्नित नहीं किया जाता है।

अच्छी तरह से विकसित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार भारत में एक स्थायी ग्रीन बॉन्ड बाजार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 'इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021' रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अगले दो दशकों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी। भारतीय कंपनियों द्वारा हरित बॉन्ड जारी करने की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और स्थायी बॉन्डों में 16.3 बिलियन डॉलर की राशि बकाया है। हालांकि, देश में कुल कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने में ग्रीन बॉन्ड का प्रतिशत मामूली है और इसलिए, हरित निवेश को बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

ग्रीनवाशिंग को रोकने और फंड जुटाने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन बॉन्ड के प्रमाणीकरण और मानकीकरण के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। 'क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव' ने क्लाइमेट बॉन्ड के प्रमाणीकरण के लिए 'क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड' विकसित किये हैं, जबकि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ने 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' पेश किये हैं, जिनमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश शामिल हैं। ग्रीन बॉन्ड के मानकों और सिद्धांतों का पालन निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकता है। पर्याप्त बचाव उपायों की उपलब्धता से भी ग्रीन बॉन्ड में विनिमय दर जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, भारतीय कंपनियों की पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) रूपरेखा देश में हरित वित्त को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

एक जीवंत कॉरपोरेट ऋण बाजार अर्थव्यवस्था में प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुमान है कि वित्तवर्ष 2025 के अंत तक, बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करना 33 लाख करोड़ रुपये के दोगुना से अधिक 65-70 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जबकि मांग 60-65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसे देखते हुए, उद्योग को समय पर और पर्याप्त ऋण का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को पाटने के वास्ते आवश्यक नीतिगत और नियामक उपाय लागू किए गए हैं। अच्छी तरह से विकसित बॉन्ड बाजार के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न नियामकों, यानी सेबी, आरबीआई और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच समन्वय और सहयोग सर्वोपरि है। इसके अलावा, कुशल सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, भारत में एक मजबूत कॉरपोरेट ऋण बाजार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स (ईएमबीआई) में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने के बाद भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।

इस पृष्ठभूमि में, खासकर महामारी के मद्देनजर जब दुनिया भर में उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करने के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए। यह भारतीय कंपनियों के लिए अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और अपने निवेश के पैमाने को बढ़ाने के लिए उपयुक्त समय है बशर्ते कि सस्ता और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। दक्ष बॉन्ड बाजार इस उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। ■

(व्यक्त विचार निजी हैं)

संदर्भ

1. भारतीय ऋण बाजार पर क्रिसिल इयरबुक 2021
2. सेबी - कॉरपोरेट बॉन्ड में ट्रेडिंग का विवरण - पुरालेख - नया
3. बांडिंग टु गैदर - द हिंदू बिजनेस लाइन
4. इंडियाज़ कॉरपोरेट बॉन्ड मार्किट: इशुज इन मार्किट माइक्रोस्ट्रक्चर
5. भारतीय ऋण बाजार 2021 पर क्रिसिल इयरबुक
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
7. एफपीआई निवेश की ऋण उपयोगिता स्थिति
8. (बैकस्टॉप गारंटर के साथ कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत), परियोजना बॉन्ड की कुल राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत के आधार पर
9. भारत में हरित वित्त: प्रगति और चुनौतियां

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

बैंकिंग और डिजिटल मुद्रा

शिशिर सिन्हा

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया था। यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास तथा नवाचार को और अधिक बढ़ावा देगी, तथा सरकार को देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी।

बैंकिंग यूनिट से लेकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तक आम बजट के ठीक पहले रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (आरबीआई-डीपीआई), सितम्बर 2021 में 304.06 पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2021 में यह 270.59 और सितम्बर 2019 में 173.49 पर था। इस इंडेक्स को तैयार करने में पांच मापदंडों – पेमेंट इनबेलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर-डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉरमेंस और कंज्यूमर सेंट्रीसिटी को शामिल किया जाता है। मतलब इंडेक्स का ताजा स्तर जहां एक ओर डिजिटल माध्यमों से लेन-देन में भारी बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, साथ ही यह भी बता रहा है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी व्यवस्था भी काफी बेहतर हुई है।

अब बेहतरी और तेज रफ्तार से हो, इसके लिए सरकार की ओर से कुछ और बड़े कदमों की अपेक्षा थी। साथ ही यह भी जरूरी था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों पर लगाम लगायी जाए जिससे लोग सुरक्षित डिजिटल वित्तीय माध्यम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। इसी सब को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने बजट में पांच खास ऐलान किए –

1. डिजिटल पेमेंट्स के लिए निरंतर वित्तीय समर्थन
2. डिजिटल बैंकिंग यूनिट
3. डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन
4. क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल असेट के लिए कर की नयी व्यवस्था
5. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

डिजिटल पेमेंट्स के लिए निरंतर वित्तीय समर्थन

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया था। अब नए बजट में कहा गया है कि यह योजना वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा, इससे डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है।

योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले (दो हजार रुपये तक) भीम-यूपीआई लेन-देन (उपयोग करने वाले व्यक्ति-से-व्यापारी यानी यानी पर्सन टू मैनेजमेंट या पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस योजना को बीते वर्ष दिसम्बर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी जिसके तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन-देन के मूल्य (पी2एम) का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुई योजना के तहत एक वर्ष के लिए 1300 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान

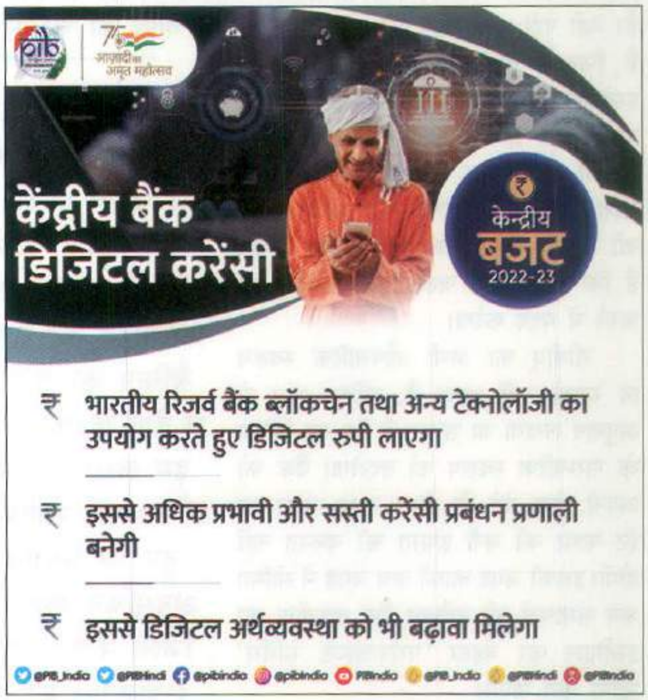

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

किया गया। अभी तय नहीं कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी रकम खर्च की जाएगी।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह योजना अधिग्रहण करने वाले बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड तथा भीम-यूपीआई डिजिटल लेन-देन को सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने एवं देश में डिजिटल भुगतान को और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही यह योजना औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के तरीकों का निर्माण करने में मदद करेगी।

मंत्रालय यह भी कह रहा है कि भारत आज दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक है। ये विकास भारत सरकार की पहल और डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के विभिन्न दिग्गजों के नवाचारों का परिणाम है। यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास तथा नवाचार को और अधिक बढ़ावा देगी तथा सरकार को देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट

बजट भाषण में कहा गया कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनवीन कार्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है जिससे डिजिटल बैंकिंग का लाभ 'यूजर फ्रेंडली' ढंग से देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) की स्थापना की जाएगी।

इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग के जरिए लेन-देन बढ़ा है, फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बैंक की शाखा जाता है, कतार में लगता है और बैंकिंग लेन-देन करता है। यही नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरनेट वगैरह की जानकारी है, फिर भी वे ऐप या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने में सहज नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण इलाके और अर्धशहरी इलाकों में तकनीक का इस्तेमाल कर और बेहतर तरीके से बैंकिंग सेवा मुहैया कराने की जरूरत महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि ऐसी तमाम जरूरतों को डीबीयू पूरा करने में मदद करेगा।

डीबीयू का अभी औपचारिक स्वरूप तो सामने नहीं आया है, लेकिन नाम से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बैंकिंग के पारम्परिक स्वरूप को बदलेगा। बैंक को अपनी सेवा देने के लिए जगह-जगह पर ईंट-पत्थर की बनी इमारत की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह काफी कम जगह में सीमित श्रम संसाधनों की बदौलत बैंक तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर 'पर्सनलाइज्ड सर्विस' मुहैया करा पाएंगे।

फिनटेक से जुड़े लोग कहते हैं कि डीबीयू जहां एक ओर ग्रामीण इलाकों में नयी-नयी सेवा देने का मौका मुहैया कराएगा, वहीं दूसरी ओर डिजिटल माध्यमों से लेन-देन को और बढ़ावा देगा। ऑनलाइन ई-बिलिंग सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी। यह एक कागज रहित और 'एंड-टू-एड इनक्रिप्शन' आधारित व्यवस्था होगी जिससे व्यापारियों-कारोबारियों को कम से कम समय और लागत में भुगतान करने की सुविधा देने में मदद मिलेगी।

हालांकि डिजिटल माध्यमों के जरिए लेन-देन में सुरक्षा को लेकर संशय हमेशा बना रहता है, लेकिन जानकारों को लगता है कि व्यवस्था सुरक्षित है और जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच संशय दूर करने की पहल को और व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में डीबीयू मददगार साबित होगा।

इसी के साथ वित्तीय समावेशन में भी डीबीयू काफी कारगार साबित हो सकता है। गौर करने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 44.58 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 1.57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है। इसी के साथ जन-धन से जन सुरक्षा के तहत काफी कम प्रीमियम पर जीवन बीमा व दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है। जाहिर है कि वित्तीय समावेशन के मामले में स्थिति काफी सुधरी है और अब इसे और बेहतर बनाने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और वित्तीय विविधीकरण के लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्था तैयार करनी है जिसमें डीबीयू मददगार साबित हो सकता है।

डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस)

वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय विविधीकरण की सोच डाकघरों के बगैर अधूरी रहेगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि डाकघर समय के हिसाब से हो रहे बदलाव में दूसरी वित्तीय संस्थाओं से पीछे नहीं रहे। कुछ इसी तरह की सोच को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने 'किसी भी समय कहीं से भी डाकघरों में बचत' के तहत घोषणा की।

2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे 'फाइनेंशियल इंक्लूजन' संभव होगा और नेटवर्किंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा, यहां मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम की सुविधा भी होगी और डाक घर के खाते से बैंक खाते के पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटर-ऑपरेबिलटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन' की सुविधा उपलब्ध होगी।

सीबीएस दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें बैंक, वित्तीय संस्था या ऐसी ही किसी संस्था की सभी शाखाएं इंटरनेट के जरिए जुड़ जाती है। इससे ग्राहक को एक जगह विशेष से ही लेन-देन की पाबंदी नहीं होती। साथ ही कार्य के घंटे की भी चिंता नहीं करनी होती है। इन सब के अलावा वित्तीय व्यवस्था के दूसरे अंग से भी जुड़ना संभव होता है। अब जैसे किसी सरकार या निजी बैंक का उदाहरण ले लीजिए। आज के दिन में कहीं से भी पैसा निकालने या जमा कराने की सुविधा मिल जाती है और

बजट भाषण में कहा गया कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनवीन कार्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है जिससे डिजिटल बैंकिंग का लाभ 'यूजर फ्रेंडली' ढंग से देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) की स्थापना की जाएगी।

नेट बैंकिंग के माध्यम से कहीं से भी खाते पर नजर रखी सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरे बैंक से आसानी से पैसा आ सकता है या जमा कराया जा सकता है। भुगतान वगैरह में भी सुविधा मिलती है। अब इसी तरह की व्यवस्था सही डाक घरों में और उनके जरिए देने का प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि देश में कुल 1,56,434 डाक घर हैं, जिनमें से 1,41,055 ग्रामीण इलाके में है। सरकार यह भी कह रही है कि देश के सभी गांव डाक घर के दायरे में आते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि देश के 25006 डाक घरों में सीबीएस सुविधा मुहैया करायी गयी है, वहीं सभी 25,109 विभागीय डाक घर पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। इसके अलावा 1,29,238 शाखा डाक घरों को 'सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल यानी सिम आधारित हैंड हेल्ड प्वाइंट ऑफ सेल्स' मशीनें मुहैया करायी गयी है, ताकि ऑनलाइन सेवा दी जा सके। यही नहीं कई जगहों पर एटीएम सुविधा उपलब्ध है।

मतलब साफ है कि आधुनिकीकरण तो काफी बड़े पैमाने पर हुआ है और अब इसे अगले चरण में ले जाने की जरूरत है। 2022 में सभी डाकघरों को सीबीएस पर लाया जाना इसी दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि वित्तीय सेवा के मामले में गांव के डाकघर और शहर की बैंक शाखा के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इसके अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी), सुकन्या समृद्धि योजना और डाकघर मासिक आय योजनाओं में पैसा जमा कराने और निकालने में और सुविधा होगी। यह देश में जमा करने की आदत को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल असेट के लिए कर की नयी व्यवस्था

वित्तीय व्यवस्था में तमाम सहूलियत देने के साथ यह भी जरूरी है कि लोगों को ऐसे माध्यमों से बचाए जाए जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा हो, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं ले, जिसके पीछे कोई आधारभूत परिसंपत्ति नहीं हो और जिसके बारे में यह पता नहीं हो कि उसे जारी किस संस्था ने किया है। ऐसा ही एक माध्यम है क्रिप्टोकरेंसी। हाल के वर्षों के दौरान सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से बार-बार आगाह करने के बावजूद लोगों ने काफी पैसा लगाया है जबकि अभी तक इसके नियमन की कोई व्यवस्था नहीं है।

अहम बात यह है कि भले ही यह माध्यम क्रिप्टोकरेंसी के नाम से जाना जाए, लेकिन इसे करेंसी या मुद्रा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपवाद को छोड़ दे तो दुनिया के तमाम देशों में एक ही मुद्रा, भले ही अलग-अलग स्वरूप में उपलब्ध हो, चलती है, उसे देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है और उसके पीछे सरकार की ओर से कानूनी समर्थन दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी जैसे

2022 में शत प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे 'फाइनेंशियल इंक्लूजन' संभव होगा और नेटवर्किंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा, यहां मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम की सुविधा भी होगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटर-ऑपरेबिलटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन' की सुविधा उपलब्ध होगी।

आभासी माध्यम को 'वर्चुअल डिजिटल असेट (वीडीए)' का नाम देते हुए वित्त मंत्री ने तीन खास प्रस्ताव रखे–

- सभी वीडीए से हुई आमदनी पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। घाटे के समायोजन की अनुमति नहीं होगी।
- वीडीए के लेन-देन पर 1 फीसदी की दर से स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस की व्यवस्था होगी जिससे लेन-दन पर नजर रखने में सहूलियत हो।
- वीडीए अगर उपहार के तौर पर दिया गया है तो उपहार प्राप्त करने वालों को कर देना होगा। यह कर बाजार कीमत के हिसाब से लगेगा।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कर लगाना वीडीए को स्वाभाविक तौर पर वैध नहीं बनाता। वीडीए को वैध या अवैध बनाने या फिर नियमन को लेकर अलग से राय-मशविरा जारी है और इसके बाद ही कानून बनेगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

क्रिप्टोकरेंसी जैसे वीडीए ब्लॉकचेन पर आधारित होते हैं। सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि उसे ब्लॉकचेन तकनीक को लेकर कोई आपत्ति नहीं है और वो इस तकनीक का सार्थक प्रयोग करने के पक्ष में है। यही आधार है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। इस बारे में वित्त मंत्री ने कहा– सेंट्रल बैंक डिजिटिल करेंसी (सीबीडीसी) को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसीलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है।

सीबीडीसी के लिए वित्त विधेयक के जरिए रिजर्व बैंक कानून 1934 में बदलाव करने का प्रावधान किया है। कानून बनने के बाद रिजर्व बैंक को भौतिक या डिजिटल, किसी भी स्वरूप में बैंक नोट जारी करने की अनुमति होगी। डिजिटल स्वरूप में जारी किये गए नोट को कागजी नोट या धातु के सिक्के की तरह फिएट करेंसी माना जाएगा और उसके पीछे कानून का समर्थन होगा। ध्यान रहे कि सीबीडीसी कानूनी मुद्रा का एक स्वरूप है ना कि कोई नयी मुद्रा।

इस समय नाइजीरिया व आठ कैरेबियन देशों में सीबीडीसी चलता है। दूसरी ओर 87 देश (जो विश्व के 90 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए जवाबदेह है) सीबीडीसी जारी करने की संभावना टटोलने में लगे हैं। चीन व दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों में सीबीडीसी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं दूसरी ओर भारत में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होना है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत में सीबीडीसी दो स्वरूप में होगा, 1. सीबीडीसी-डब्ल्यू और 2. सीबीडीसी-आर। पहला किस्म थोक व्यापार या बड़े लेन-देन के लिए होगा जबकि दूसरा आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। संकेत है कि पहले सीबीडीसी-डब्ल्यू जारी किया जाएगा। ■

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

पूनम गुप्ता
अभिनव त्यागी

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे अक्सर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। हालांकि, अगर अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय (2,000 डॉलर) के लिहाज़ से देखा जाए, तो हमारा देश आय के मामले में निम्न-मध्य वर्ग वाला देश है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह 140वें पायदान पर है। ऐसे में आर्थिक विकास भारत की अहम प्राथमिकता है। बजट में की गई घोषणाओं को कार्यान्वित कर भारत को वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और मज़बूत बनने में मदद मिलेगी।

इस बार के बजट (2022-23) में देश के आर्थिक ढांचे को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि भारत में आर्थिक विकास की संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। बजट में नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की गई है। दरअसल, पिछले कुछ साल में नीतिगत मोर्चे पर हुए प्रयासों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट तैयार किया गया है। बजट का मकसद आधारभूत संरचना के निर्माण की रफ्तार तेज़ करना, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स (सामानों का आवागमन आदि) में सुधार करना और डिजिटल माध्यमों के जरिये विकास को नई गति देना है। राजकोषीय स्थिति और व्यापक नीतिगत ढांचे को ध्यान में रखते हुए इन प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। इस बजट का लक्ष्य देश में प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार करना और निजी क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए आधारभूत संरचना और अनुकूल नीतियां तैयार करने जैसे कदमों को बढ़ावा देने की बात है, ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और कर राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। उम्मीद है कि इन कदमों से बेहतर आर्थिक विकास के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

बजट 2022 में दो अलग-अलग और अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पहला, यह बजट ऐसे वक्त में तैयार किया गया है, जब कोरोना महामारी की वजह से पिछले दो साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब हो गई है। हाल में हमें इस बीमारी की तीसरी लहर भी देखने को मिली, जिसका बड़े पैमाने पर फैलाव देखने को मिला। इसका मतलब है कि कोरोना संबंधी चुनौतियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और ज़रूरतमंदों तक हरसंभव मदद मुहैया करानी होगी। भारत में खपत का स्तर अब भी 2019-20 के स्तर से 3 प्रतिशत कम है। अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में अब भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं दिख रही है। होटल, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में यह आंकड़ा 2019-20 के स्तर के मुकाबले 10 प्रतिशत कम है (रेखाचित्र 1)। हालांकि, मांग और आपूर्ति पक्ष से जुड़ी गतिविधियों में उछाल देखने को मिला है और ये 2019-20 के स्तर को पार कर गई हैं (रेखाचित्र 1 और 2)। उदाहरण के लिए, निर्यात और सरकारी खपत का स्तर 2019-20 के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है।

दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत और इससे ऊपर

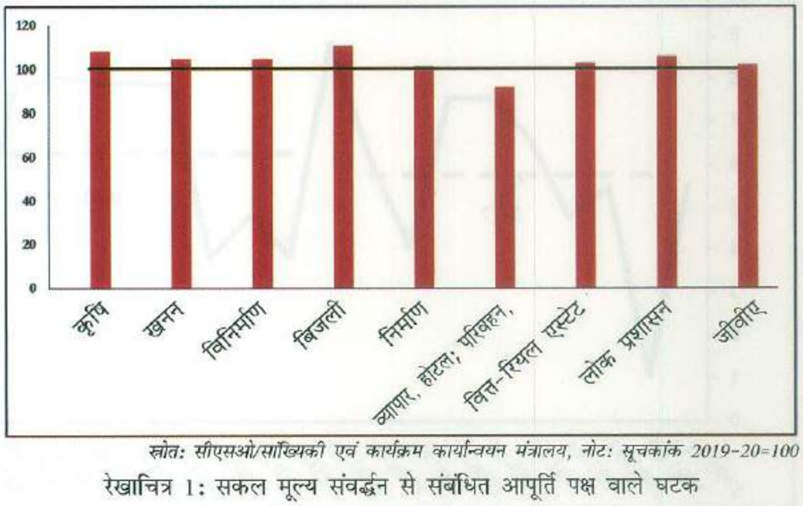

स्रोत: सीएसओ/सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नोट: सूचकांक 2019-20=100

रेखाचित्र 1: सकल मूल्य संवर्द्धन से संबंधित आपूर्ति पक्ष वाले घटक

पूनम गुप्ता एनसीईआर में महानिदेशक हैं। ईमेल: pgupta@ncaer.org
अभिनव त्यागी एनसीईआर में रिसर्च एसोसिएट हैं। ईमेल: abhinav@ncaer.org

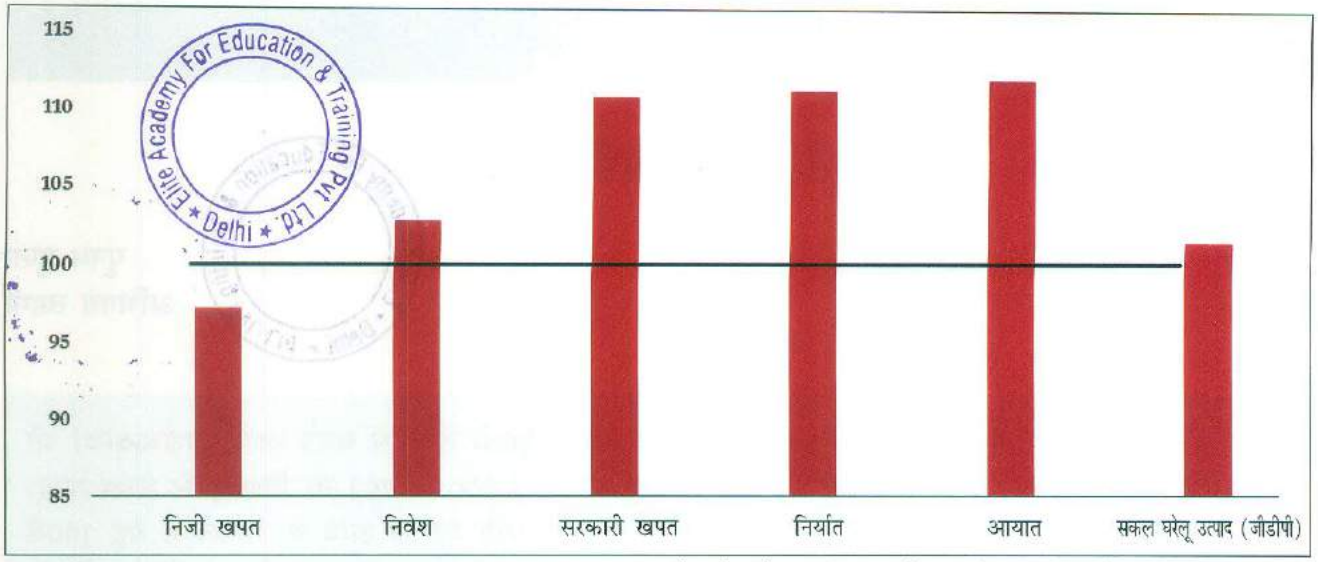

स्रोत: सीएसओ/सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नोट: सूचकांक 2019-20=100

रेखाचित्र-2: सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित मांग पक्ष वाले घटक

के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन कोरोना से पहले यानी 2019-20 में इसकी विकास दर घटकर 4 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। हाल के वर्षों में भारत 7 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करने में नाकाम रहा है (रेखाचित्र 3)। बजट में विनिर्माण क्षेत्र को विशेष तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इसके तहत, आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक निवेश पर फोकस किया गया है। इसके अलावा, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में अंतर-मंत्रालय समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार ने 'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान' की शुरुआत की है। बजट में इस क्षेत्र के लिए अन्य उपायों का भी ऐलान किया गया है, मसलन सौर विनिर्माण उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली की सुविधा के साथ डाकघरों का डिजिटल एकीकरण, एमएसएमई के लिए क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की सुविधा में एक साल की बढ़ोतरी और हॉस्पैटिलिटी और इससे जुड़े उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ के अतिरिक्त कवर का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कौशल को बढ़ावा देने के लिए बजट में देश-स्टैक ई-पोर्टल का प्रस्ताव किया गया है। बजट के ज़रिये मौजूदा राजकोषीय चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। इसके तहत, मुख्य तौर पर खर्च की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात है। केंद्र और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा कोरोना महामारी से पहले ही काफी बढ़ा हुआ था (रेखाचित्र 4 और 5) और महामारी के दौरान इसमें और बढ़ोतरी हुई। महामारी और राजकोषीय घाटा, दोनों चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा वित्त वर्ष के

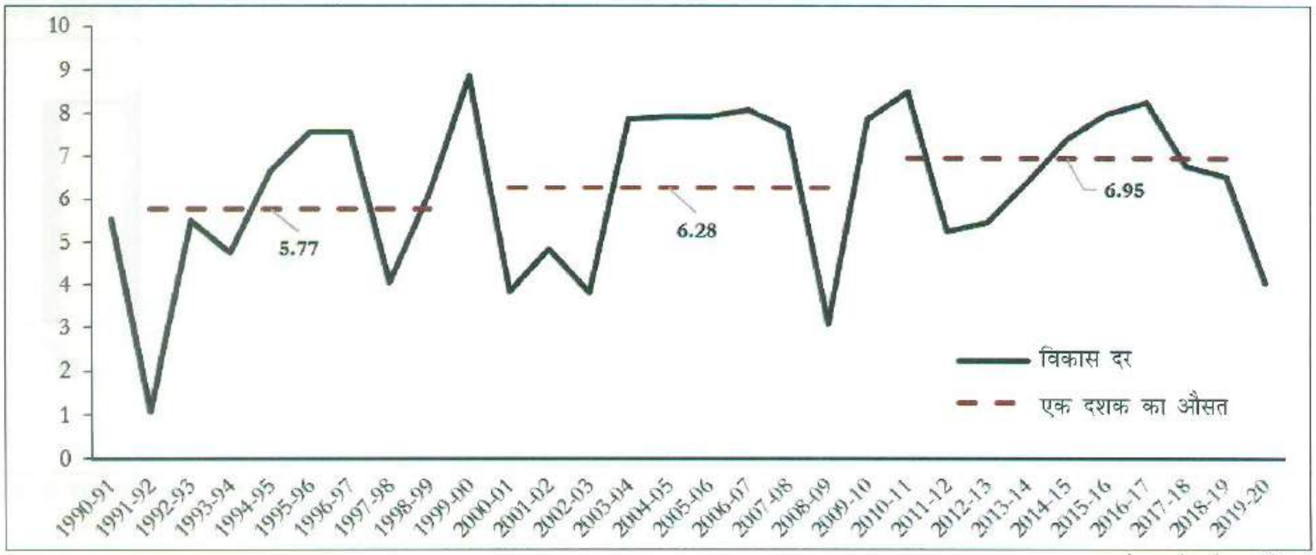

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

नोट: 1991-2000, 2001-2010 और 2011-19 के दशक के लिए औसत पेश किया गया है

रेखा चित्र-3: वास्तविक जीडीपी विकास दर

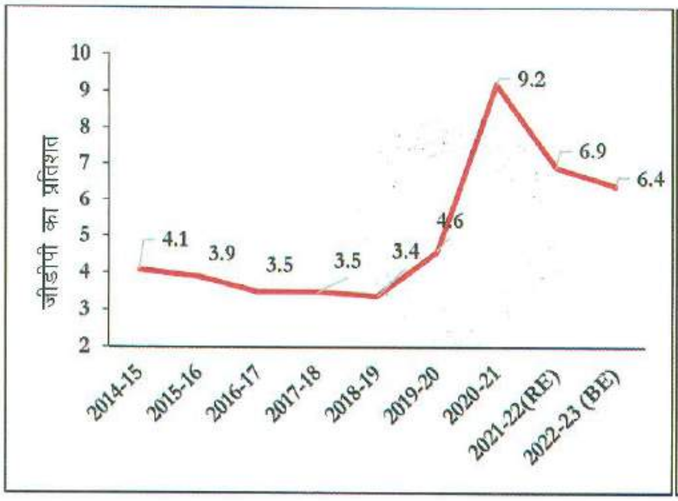

रेखाचित्र 4: केंद्र का राजकोषीय घाटा

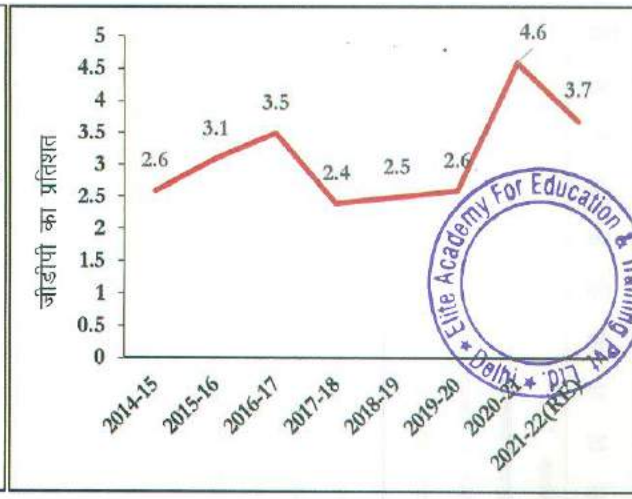

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

रेखाचित्र 5: राज्य सरकार का सकल घाटा

लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.9 प्रतिशत तय किया गया था, जिसे घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस लक्ष्य को घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही, वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे घटाकर 4.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है (रेखाचित्र 4)।

बजट में राज्य सरकारों के लिए पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की भी पेशकश की गई है। इसके तहत, राज्य सरकारों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत हिस्से तक राजकोषीय घाटा रखने की अनुमति होगी, जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत यह आंकड़ा 3 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बजटीय प्रावधानों के तहत, लंबी अवधि वाले ब्याज मुक्त कर्ज़ बांटने के लिए राज्य सरकार को भी फंड उपलब्ध कराए जाएंगे।

कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट में राजकोषीय घाटे से जुड़ी वास्तविकताओं का ध्यान रखा गया है। इस बार के बजट में सरकार के खर्च में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में, वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के मुकाबले खर्च में सिर्फ 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, राजस्व खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि पूंजीगत खर्च में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है (रेखाचित्र 6 और 7)। पूंजीगत खर्च में वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील सब्सिडी में बड़े पैमाने पर कमी की जाएगी, जबकि राजस्व अनुमानों को अपेक्षाकृत कम रखा गया है। इसके तहत कर राजस्व में 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है, जबकि गैर-कर राजस्व में 14 प्रतिशत का अनुमान पेश किया गया है।

आने वाले वर्षों में इन तीन मुद्दों पर ज़्यादा स्पष्टीकरण की ज़रूरत होगी, ताकि देश में नीतिगत ढांचे को लेकर चीज़ें साफ हो सकें। पहला, मौजूदा समय में राजकोषीय घाटे में बड़ी कटौती उचित नहीं है। हालांकि, अगर सरकार मध्यम अवधि में इस कटौती के लिए रोडमैप बनाती है तो यह बेहतर होगा। हाल के कुछ आर्थिक सर्वेक्षणों से संकेत मिलते हैं कि राजकोषीय ढांचे को लेकर सरकार के नज़रिए में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर मौजूदा बजट में इससे जुड़ा रोडमैप पेश किया जाता है, तो इससे काफी हद तक मदद मिलती।

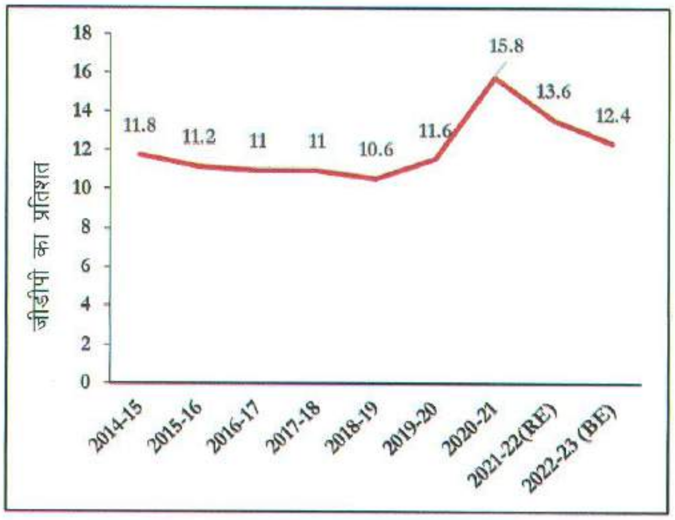

रेखाचित्र-6: चालू खर्च

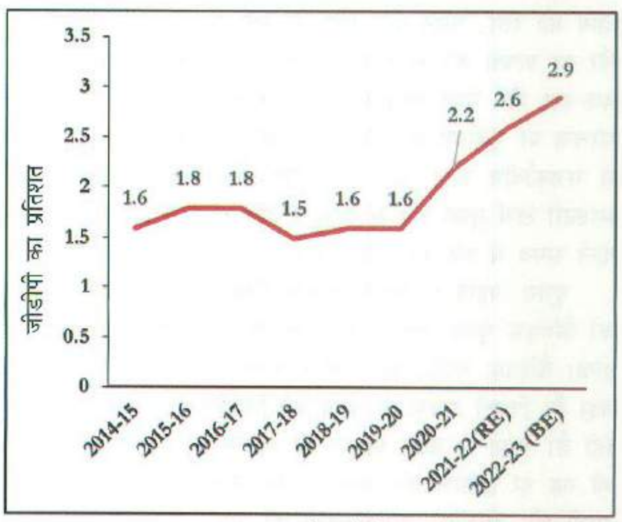

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज (खर्च प्रोफाइल)

रेखाचित्र 7: पूंजीगत खर्च

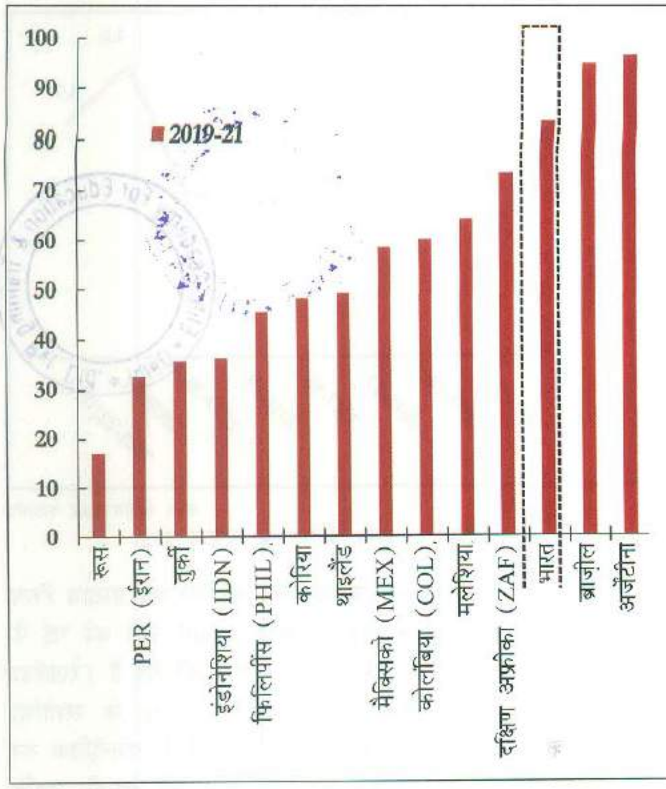

रेखाचित्र 8: सामान्य सरकारी खर्च (सकल), जीडीपी का प्रतिशत

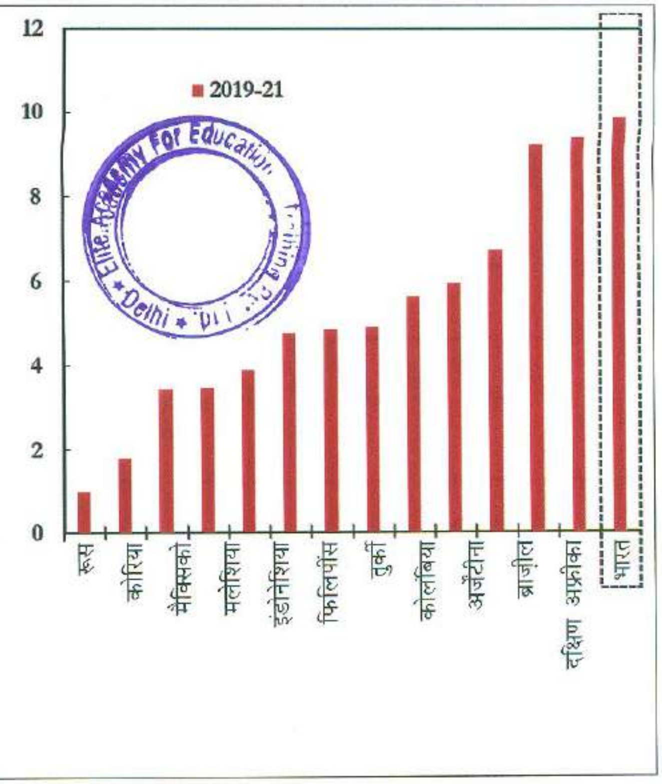

रेखाचित्र-9: सरकार का बजट घाटा, जीडीपी का प्रतिशत

भारत की आर्थिक बुनियाद मज़बूत है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले कर्ज़ को लेकर इसकी स्थिति मिली-जुली है। भारत का सरकारी कर्ज़ और राजकोषीय घाटा (जीडीपी में हिस्सेदारी) अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले दशक में भारत का कर्ज़-जीडीपी अनुपात औसतन 68 प्रतिशत था, जबकि राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात औसतन 7 प्रतिशत रहा, जो कई अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। जीडीपी में कर राजस्व की हिस्सेदारी मोटे तौर पर स्थिर रही है या इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में अब तक किए गए प्रयास ज़्यादा कारगर नहीं रहे हैं। भारत में कर राजस्व संग्रह उन देशों के मुकाबले कम है, जिनकी आय का स्तर, भारत की आय के स्तर के आसपास ही है। खास तौर पर प्रत्यक्ष कर संग्रह काफी कम है। सरकार के कुल खर्च में, बार-बार होने वाले खर्च की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि आधारभूत संरचना पर पूंजीगत खर्च सिर्फ 3.5 प्रतिशत रहा।[1] कोरोना की वजह से राजकोषीय घाटा और कर्ज, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सरकारी खर्च मुख्य रूप से घरेलू है और रुपये में ही है, लेकिन आने वाले समय में इसे कम करना होगा।

दूसरा, पहले से ज़्यादा आर्थिक विकास दर के लिए हमें भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ जोड़ने की दिशा में काम करना होगा। वैश्विक बाज़ार का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था से 30 गुना बढ़ा है। पिछले दशक में भारत की विकास दर औसतन 7 प्रतिशत रही है। भारत ने घरेलू बाज़ार की ताकत के दम पर ऐसे वक्त में भी यह दर हासिल की, जब वैश्विक स्तर पर कारोबारी माहौल में सुस्ती थी। हालांकि, अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर पहुंचाने यानी 8-10 प्रतिशत या इससे ज़्यादा विकास दर हासिल करना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वैश्विक बाज़ारों में मौजूद अवसरों का कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। भारत ने इस वित्त वर्ष में वैश्विक बाज़ार की तेज़ी का जमकर फायदा उठाया है, लेकिन अब भी इसकी पूरी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाना बाकी है। वैश्विक बाज़ार में वस्तुओं की आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5 प्रतिशत है, जबकि सेवाओं के मामले में यह हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत है। आने वाले समय में इस हिस्सेदारी में दोगुनी बढ़ोतरी की ज़रूरत है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की 2005 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के सफल अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्यात में तेज़ बढ़ोतरी के लिए विदेशी बाज़ारों की उपलब्धता और घरेलू आपूर्ति क्षमता, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जो देश निर्यात के मामले में आगे हैं, उनके यहां अलग-अलग तरह की वस्तुओं की उपलब्धता होती है और कृषि से लेकर उद्योग जगत तक में उनकी सक्रियता नज़र आती है। साथ ही, किसी देश की घरेलू क्षमता परिवहन संबंधी आधारभूत संरचना, व्यापक आर्थिक संरचना और संस्थागत माहौल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक से तय होती है। बाकी जो चीज़ें मायने रखती हैं, उनमें कारोबार करने से जुड़ी सहूलियत, वैश्विक मांग के मद्देनजर क्षमता बढ़ाने के संसाधन, बेहतर विनिमय दर, कामकाजी पूंजी की उपलब्धता आदि शामिल हैं। बजट में की गई घोषणाओं को कार्यान्वित कर भारत को वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और मज़बूत बनने में मदद मिलेगी। ■

संदर्भ

1. बैरी ई, पूनम गुप्ता एंड ऋषभ चौधरी (2021), "द टेपर दिस टाइम", एनसीईआर वर्किंग पेपर नंबर डब्ल्यूपी 121, नवंबर।

युवा आबादी का लाभ

जतिंदर सिंह

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

प्रत्येक युवा में परिवर्तन लाने और विश्व को बेहतर बनाने की क्षमता तथा ताकत होती है। बढ़ते आर्थिक मौकों के लिए युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने में मुख्य हितधारकों की भूमिका आती है। साथ ही इस यात्रा में निष्ठा तथा नम्रता के मूल्य समाहित करना आवश्यक है। युवाओं को अक्सर नए जोश, उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी कौशल और खेलों से जोड़ा जाता है, जो देश के लिए सम्मान लेकर आते हैं। उनकी छिपी हुई क्षमता और नवाचारी स्वभाव का इस्तेमाल करने से वांछित बदलाव आ सकते हैं और सभी समृद्ध भी हो सकते हैं। भारतीय युवा मुश्किलों से उबरने की अपनी क्षमता और नवाचार के लिए पहचाना जाता है। भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी है; भारत की स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में उनके विकास पर ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। राष्ट्र की वृद्धि और विकास में उन्हें साझेदार बनाने के लिए तंत्र खड़ा करना अनिवार्य है।

केवल 28 वर्ष की माध्य आयु वाले भारत के 1.38 अरब लोग दुनिया की सबसे युवा आबादियों में शुमार हैं। अधिक विकसित और आर्थिक रूप से अधिक स्थिर चीन तथा अमेरिका भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। इस समय दुनिया की युवा आबादी का पांचवां हिस्सा हमारे देश में ही है। हम आबादी के लिहाज़ से फायदे में या जनांकिकी लाभ की स्थिति में हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इस दौर को आबादी की आयु में आए बदलाव के कारण होने वाली आर्थिक वृद्धि कहता है – ऐसा दौर जिसमें कामकाजी उम्र वाली आबादी उस पर आश्रितों की आबादी से अधिक है। हमारी युवा आबादी आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से कीमती संपदा है; वैश्विक महाशक्ति बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करने तथा 2024-25 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने में वह अहम भूमिका निभाएगी। भारत के पास बहुत समय नहीं है। इस जनांकिकी लाभांश का फायदा उठाने के लिए हमारे पास केवल 20 वर्ष बचे हैं।

उद्यमशीलता की क्षमता बढ़ाना

श्रमबल शिक्षित और रोज़गार योग्य कौशल वाला हो तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की उपलब्धता ने डिजिटल जानकारी वाली आबादी तैयार कर दी है। हमारे युवा ऊंची साक्षरता दर वाले डिजिटल जानकार हैं। हमारे राष्ट्र के पास उद्यमशीलता की नई संस्कृति के साथ रोज़गार सृजन के मौके हैं। उथलपुथल मचा देने वाली प्रौद्योगियों ने स्टार्टअप का तंत्र तैयार कर दिया है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ई-कॉमर्स, कृषि व्यापार तथा कई अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। आकांक्षाओं तथा गुणवत्ता भरे जीवन की चाहत में हमारा युवा कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान तथा इंडस्ट्री 4.0 जैसी नए ज़माने की प्रौद्योगिकियों में एकदम आगे खड़ा है। हमारा युवा उभरता हुआ उपभोक्ता वर्ग है; कंपनियां उसी के मुताबिक कीमत वाले उत्पाद एवं सेवाएं तैयार कर रही हैं। डिजिटल भुगतान, ई-वॉलेट, कम ब्याज़ दर पर कर्ज़ की सुविधाओं ने युवा आबादी की उद्यमिता की चाहत और बढ़ाई है। चूंकि उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, इसलिए बाज़ार बढ़ना तय है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज़ होंगी। हमारी युवा आबादी स्थानीय और वैश्विक निवेश के लिहाज़ से भी आकर्षक है। अपनी उद्यमशील युवा आबादी के कारण भारत निवेश का ठिकाना बन चुका है।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कई कार्यक्रम देश के युवा को कौशल प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन क्रांतिकारी कार्यक्रम है, जो युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने योग्य कौशल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा क्षमता भी बढ़ा रहा है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों ने उद्यमशीलता को और बढ़ावा दिया है तथा रोज़गार के मौके बढ़ाए हैं। समावेशी वृद्धि तभी हो सकती है, जब महिला सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जाए। नारी शक्ति की महत्ता पर सरकार का ज़ोर समावेशी वृद्धि के मुख्य स्तंभों में से एक है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास तथा मज़बूती का रास्ता भी साफ करेगा।

बजट आवंटन

2022-23 के बजट में वृद्धि को गति देने के लिए अमृत काल का खाका पेश किया गया है, जो भविष्योन्मुखी तथा समावेशी है

लेखक पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली में सहायक महासचिव हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

और जिससे शिक्षा, कौशल विकास तथा रोज़गार के लिए उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद मिलती है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 11.86 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, जिससे युवाओं के उन्नयन तथा सशक्तीकरण की मंशा ज़ाहिर होती है। बजट आवंटन का हमारे युवाओं, महिलाओं तथा किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

गति शक्ति आर्थिक वृद्धि एवं सतत विकास का प्रगतिशील मॉडल है; यह उत्पादकता बढ़ाएगा तथा निवेश लाएगा। इस मॉडल को सात इंजनों से गति मिलती है – सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि को तेज़ करेगा, जिससे युवाओं को रोज़गार एवं उद्यमिता के भरपूर मौके मिलेंगे। इससे बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश बहुत बढ़ जाएगा तथा भारत 100 प्रतिशत शिक्षित आबादी के लिए तैयार हो जाएगा।

बजट में कर के मोर्चे पर भी उपाय किए गए हैं, जिनमें कर लाभों का एक वर्ष से अधिक समय के लिए विस्तार करना तथा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना शामिल हैं। स्टार्टअप के लिए शुरुआती वर्षों में कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए युवा उद्यमियों की मदद की रणनीति के तहत कर छूट एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है।

कोविड के बाद के दौर में शिक्षा नई पटरी पर आ गई है, जो प्रौद्योगिकी आधारित मिश्रित शिक्षा है। बजट शिक्षा के समावेशी अवसरों का लक्ष्य लेकर शैक्षिक साधनों को सभी के लिए उपलब्ध एवं सुलभ बनाने की राह खोलता है। बोली जाने वाली सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री तैयार करने की घोषणा हुई है। यह सामग्री डिजिटल शिक्षकों की मदद से इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीविज़न एवं रेडियो के ज़रिये प्रदान की जाएगी। इससे सभी को शिक्षा सुलभ हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शिक्षा प्राप्त कर सशक्त होंगे और उन्हें लगातार सीखने का मौका मिलेगा। इसका मकसद शिक्षा को अधिक सुलभ तथा किफ़ायती बनाना है, जिससे बढ़ती हुई युवा आबादी में उद्यमशीलता तथा कौशल का विकास तेज़ होगा। बजट की एक अन्य बड़ी विशेषता विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को गिफ्ट आईएफएससी (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर) के तहत फिनटेक एवं स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित) पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान किया जाना है। इसे उन विदेशी संस्थाओं को भारत लाने का प्रयास माना जा रहा है, जो भारतीय संस्थाओं के साथ तालमेल की संभावना तलाश रही हैं मगर नियामकीय चुनौतियों के कारण अभी तक ऐसा नहीं कर सकी थीं। इस कदम का देश की आर्थिक वृद्धि पर कई गुना बड़ा प्रभाव होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटन वाली पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) उस क्षेत्र में युवाओं की आजीविका की गतिविधियां बढ़ाएगी।

स्टार्टअप

2022-23 के बजट में नवाचार को बढ़ावा दे रहे स्टार्टअप एवं डिजिटल तंत्र पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कृत्रिम मेधा, भू-आकाशीय तंत्रों, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तंत्र, जीनोमिक्स, हरित ऊर्जा, स्वच्छ मोबिलिटी तंत्र एवं फार्मास्युटिकल्स पर ज़ोर बढ़ा है। यह युवाओं के नेतृत्व वाले नए भारत की आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि का इंजन होगा। युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर तैयार करने के अलावा यह उद्योग को सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। युवाओं की ताकत सामने लाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के प्रति सरकार का संकल्प सराहनीय है। डिजिटल मुद्रा, 5-जी सेवाएं, एम्बेडेड चिप वाले ई-पासपोर्ट जैसी भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी हमारे देश को भविष्योन्मुख एवं आधुनिक बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। कौशल विकास एवं आजीविका के लिए डिजिटल तंत्र-देश-स्टैक ई-पोर्टल आरंभ होने से उद्यमिता के अवसर तो उत्पन्न होंगे ही, युवा आबादी

को सीखने एवं अपना कौशल तराशने की प्रेरणा भी मिलेगी। इससे उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण के ज़रिये कौशल, नए कौशल प्राप्त करने एवं कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। विश्लेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और रचनात्मक सोच पैदा करने की कोशिश में विज्ञान तथा गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और सिम्युलेटेड लर्निंग (मशीनों के द्वारा वास्तविक स्थिति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करना) के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब भी स्थापित की जाएंगी। पीएम ईविद्या कार्यक्रम का विस्तार 12 के बजाय 200 टीवी चैनलों तक किए जाने से युवा छात्रों को सीखने के बेहतर नतीजे मिलेंगे।

रोज़गार दिलाने वाले कौशल की कमी हमारे युवा के लिए बड़ी चुनौती है। उसके पास उद्योग की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक कौशल होने चाहिए। डिजिटल विश्वविद्यालय आरंभ होने से सुदूर इलाकों में भी गुणवत्ता भरी शिक्षा की पहुंच बढ़ जाएगी। यह काम हब एंड स्पोक (एक मुख्य केंद्र और उससे जुड़े दूर के केंद्र) मॉडल पर काम कर रहे सरकारी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के ज़रिये होगा।

बजट ने एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक) कार्य बल बनाने की सिफारिश भी की, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं का इस्तेमाल करने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक मांग पूरी करने के लिए देसी क्षमता तैयार करने के तरीके सुझाएगा। इससे प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाली हमारी युवा आबादी को इस क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

2022-23 के बजट में वृद्धि को गति देने के लिए अमृत काल का खाका पेश किया गया है, जो भविष्योन्मुखी तथा समावेशी है और जिससे शिक्षा, कौशल विकास तथा रोज़गार के लिए उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद मिलती है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 11.86 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, जिससे युवाओं के उन्नयन तथा सशक्तीकरण की मंशा ज़ाहिर होती है। बजट आवंटन का हमारे युवाओं, महिलाओं तथा किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

युवा उद्यमिता

भारत के पास मजबूत स्टार्टअप तंत्र है। 7 फरवरी, 2022 को 63,103 स्टार्टअप उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पास पंजीकृत थे। भारतीय युवा विश्व स्तर के स्टार्टअप खड़े करने में अग्रणी हैं। कोविड-19 के बावजूद 2021-22 में बने यूनिकॉर्न हमारे युवाओं की ताकत दर्शाते हैं। महामारी के दौरान 50 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। बजट में यूनिकॉर्न के लिए सक्रिय नीतियां घोषित किए जाने के साथ ही भारत के पास नवाचार तथा उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ाने की क्षमता है, जिससे रोज़गार के ढेरों मौके तैयार होंगे। बजट में कर के मोर्चे पर भी उपाय किए गए हैं, जिनमें कर लाभों का एक वर्ष से अधिक समय के लिए विस्तार करना तथा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना शामिल हैं। स्टार्टअप के लिए शुरुआती वर्षों में कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए युवा उद्यमियों की मदद की रणनीति के तहत कर छूट एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। महामारी के दौरान मुश्किलों से गुज़रे स्टार्टअप को इस मदद से नई ताकत मिलेगी। कारोबारी सुगमता के उपायों के इस दूसरे चरण से उद्यमियों का हौसला बढ़ेगा और उद्यमशीलता को खासी ताकत मिलेगी। 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहनों की योजना 60 लाख नए रोज़गार सृजित कर सकती है और भारतीय युवाओं के लिए यह ज़बरदस्त शुरुआत होगी, जो इन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है।

बजट के उपाय नए एवं रचनात्मक विचारों से भरे युवा उद्यमियों के लिए मददगार होंगे।

युवा कामकाजी आबादी में बढ़ोतरी ने सामाजिक-आर्थिक वृद्धि के लिहाज़ से भारत के भविष्य के लिए अनूठी संभावनाएं तैयार की हैं। सही समय पर सही मौका दिया जाए तो हमारा देश युवाओं की क्षमताओं का फ़ायदा उठाने में सक्षम होगा। निस्संदेह सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ नीतियां एवं योजनाएं ला रही है मगर आने वाले वर्षों में और बहुत कुछ किया जा सकता है। शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नवाचारी तथा क्रांतिकारी व्यवस्थाएं तैयार करनी होंगी ताकि युवा शैक्षिक एवं बौद्धिक रूप से विकसित हो और भावी नेता के रूप में हमारे राष्ट्र को चलाने की क्षमता हासिल कर सके।

विभिन्न भारतीय भाषाओं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रारूप में पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी

स्वामी विवेकानंद कहते थे, "उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको नहीं।" सभी हितधारकों को याद रहना चाहिए कि उन्हें हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त अवसरों वाला माहौल तैयार करना है, जिसमें वे नई ईजाद कर सकें, रचना कर सकें और हमारे देश के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए अपनी क्षमताओं से परे जा सकें। ■

रोज़गार और मानव संसाधन विकास

Elite Academy For Education & Trai Delhi Pvt. Ltd.

अरुण चावला

कोविड 19 की वैश्विक महामारी ने समूचे विश्व में आबादी की आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक आजीविकाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संकट का असर सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों पर पड़ा है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के रोज़गारों पर बढ़े खतरे, अनिश्चित आय, अल्प बचत और प्रौद्योगिकी समेत संसाधनों तक कम पहुंच की वजह से कमजोर तबके ज्यादा असुरक्षित हो गये हैं। आर्थिक विकास और भारत की जनसांख्यिकीय मजबूती का फायदा उठाने के लिये कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है। अधिकतर विकसित देशों की आबादी की औसत उम्र ज्यादा है। लेकिन भारत की आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। इस जनसांख्यिकीय मजबूती के अगले 25 साल तक बने रहने की उम्मीद है। लिहाजा, भारत के सामने कुशल मानव संसाधन पैदा करने और विश्व में कौशल का केंद्र बनने का यह अच्छा अवसर है।

वैश्विक महामारी ने प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की रफ्तार तेज कर दी है। उसने कामकाज के परिवेश में बदलाव लाने के साथ ही लगातार नवोन्मेष की जरूरत पैदा की है। कृत्रिम मेधा, बिग डाटा, वस्तु इंटरनेट, ब्लॉक चेन, 3डी प्रिंटिंग और डिजाइन, एआर/वीआर, रोबोटिक्स, डाटा विज्ञान, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों से मौजूदा व्यवसायों में बदलाव आया है। इससे ऐसे रोज़गार पैदा हुए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। इसके अलावा आने वाले समय में ऐसे असंख्य रोज़गार पैदा होंगे जिनके बारे में हमने अब तक सोचा नहीं था। बदले हुए हालात में मौजूदा और नये कार्य बल को पहले से ज्यादा चौकन्ना और लचीला होना होगा। उसे अपने ज्ञान और कौशल का लगातार उन्नयन करना होगा। अब शिक्षा का मतलब विश्वविद्यालय की डिग्री के बजाय आजीवन ज्ञानार्जन हो गया है।

कोविड 19 के प्रकोप से पहले ही जी-20 के अनेक देशों में रोज़गार के स्वरूप में बदलाव आना शुरू हो गया था। उनमें ऐसे रोज़गारों की ओर रुझान हो रहा था जिनमें उच्च संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक कौशल की दरकार होती है। आम रोज़गारों का मशीनीकरण होने के अलावा उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा था। कोविड 19 के बाद के समय में भी इस रुझान के जारी रहने की संभावना है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ-फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 'फ्यूचर स्किल रिपोर्ट 2020' के अनुसार कोविड 19 के बाद के युग में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के लिये जिन पांच महत्वपूर्ण कौशलों की जरूरत होगी वे हैं - डाटा साक्षरता, डिजिटल और कोडिंग, तार्किक सोच, सृजनात्मकता और नवोन्मेष तथा प्रौद्योगिकी का ज्ञान।

2022-23 के केंद्रीय बजट में उद्योग की परिवर्तनशील जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। हमारे संभावित कार्यबल को इक्कीसवीं सदी के कौशलों से लैस करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। बजट में कौशल कार्यक्रमों और उद्योग के साथ साझेदारियों में

लेखक भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महानिदेशक हैं। ईमेल: arun.chawla@ficci.com

बदलाव की घोषणा की गयी है ताकि कुशलता में लगातार वृद्धि के अवसरों, संवहनीयता और रोज़गार क्षमता को बढ़ावा मिले। इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क-नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को परिवर्तनशील उद्योग की जरूरतों के अनुरूप ढालने पर जोर दिया गया है। यह रोज़गार क्षमता बढ़ाने और लंबे समय तक संवहनीय बने रहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग की जरूरतों को देखते हुए जिन नये कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है उनमें भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां, ड्रोन (यूएवी/यूएएस/आरपीएएस) पायलट, स्वच्छ परिवहन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा और जीनोमिक्स शामिल हैं। ये उदीयमान क्षेत्र कुशल कार्यबल के लिये बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर पेश करेंगे।

एनएसक्यूएफ को वैश्विक महामारी से पहले विकसित किया गया था। उद्योग की जरूरतों के अनुरूप इसके उन्नयन का यह माकूल अवसर है। उद्योग की भागीदारी को पाठ्यक्रम तैयार करने और एनएसक्यूएफ के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर अपनी राय देने से आगे ले जाया जाना चाहिये। इस भागीदारी में प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिल कर उद्योग के अनुभव वाले प्रशिक्षकों को तैयार करना शामिल होना चाहिये। यह कदम नियोक्ताओं की आवश्यकता और दिलचस्पी वाले व्यवसायों और प्रौद्योगिकी में समय-समय पर क्षमता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने में उपयोगी होगा। इससे युवाओं को भी उद्योग की आवश्यकता वाले कौशलों का ज्ञान और रोज़गार के सही अवसर हासिल करने में मदद मिलेगी।

बजट में कौशल कार्यक्रमों और उद्योग के साथ साझेदारियों में बदलाव की घोषणा की गयी है ताकि कुशलता में लगातार वृद्धि के अवसरों, संवहनीयता और रोज़गार क्षमता को बढ़ावा मिले। इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क-नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को परिवर्तनशील उद्योग की जरूरतों के अनुरूप ढालने पर जोर दिया गया है।

प्रौद्योगिकीय विकास की वृहत तस्वीर को समझना वक्त की जरूरत है। इस पर गौर किया जाना चाहिये कि ये बड़े रुझान कार्य जगत के लिये क्या मायने रखते हैं। उद्योग का परिवेश तेज़ी से बदल रहा है। इसलिये छात्रों को खुद को वैसी क्षमताओं से लैस करने की जरूरत है जो रोज़गार के विभिन्न अवसरों में काम आ सकें और गतिशील औद्योगिक परिवेश में व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिये उनके नजरिये को बदलने में मददगार हों। छात्रों को अपनी योजना मशीनीकृत दुनिया के अनुसार बनाते हुए सिर्फ तकनीकी दक्षता से आगे जाकर सही कौशल प्राप्त करने चाहिये। कोविड 19 के प्रकोप की वजह से जीवन के सभी क्षेत्रों में आयी बाधा की भरपाई के लिये आने वाले समय में भावनात्मक बुद्धिमता, ज्ञानार्जन में चपलता, सृजनात्मकता, संबंध निर्माण और नेतृत्व कौशल जैसे गुणों की काफी मांग होगी।

रोज़गार

एक अनुमान के अनुसार भारत की 62 प्रतिशत आबादी कामकाजी उम्र समूह की है। देश में हर साल रोज़गार की तलाश करने वालों में एक करोड़ नये लोग जुड़ जाते हैं। देश की मौजूदा श्रमबल भागीदारी दर लगभग 49 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि कामकाजी उम्र के सिर्फ लगभग आधे लोग ही पारिश्रमिक वाले काम में लगे हैं। भारत को विश्व की बढ़ती रफ्तार की बराबरी में रहने के लिये 2020 और 2030 के बीच कम-से-कम नौ करोड़ गैर-कृषि रोज़गारों का सृजन करना होगा।

प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति के साथ ही मानव श्रम पर निर्भरता घट रही है। लेकिन रोज़गार के परिदृश्य में भी कुशल कार्यबल की कमी में इजाफा हो रहा है। प्रौद्योगिकी और यांत्रिकीकरण के परिणामस्वरूप कार्य का बड़े पैमाने पर पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संतुलन होगा। उन कामों में लगे कार्मिकों का काफी महत्व होगा जिनका यांत्रिकीकरण नहीं किया जा सकता। नतीजतन, नियोक्ताओं की प्राथमिकता में सृजनात्मकता, नवोन्मेष, कल्पनाशीलता और डिजाइन कौशल काफी ऊपर होंगे। यांत्रिकीकरण और स्मार्ट मशीनें 2030 तक विश्व भर में दो करोड़ से ज्यादा रोज़गारों को बेदखल कर देंगी। लेकिन इसके साथ ही 2022 तक 3.30 करोड़ से ज्यादा नये रोज़गार पैदा होने का भी अनुमान है।

वैश्विक महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण रुझान यह रहा कि दूरस्थ कार्य की मांग में इजाफा हुआ। इसका श्रम बाजार पर

दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर मार्च 2020 से दूरस्थ कार्य वाले रोज़गारों में चार गुना वृद्धि हुई है। यह रुझान रोज़गार चाहने वालों में भी दिखायी दे रहा है। मार्च 2020 की शुरुआत से लिंक्डइन पर रिमोट फिल्टर का इस्तेमाल कर रोज़गार की तलाश में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। दूरस्थ कार्य की शुरुआत ने अधिक आभासी होती दुनिया में आपस में जुड़ने और नेटवर्क बनाने के रास्ते की अड़चनों को घटाया है।

दूरस्थ कार्य के उदय के साथ ही समूचे विश्व में अवसरों का लोकतंत्रीकरण और कौशलों का संचलन देखने को मिलने वाला है। कंपनियां विविध प्रतिभाओं को ज्यादा आसानी से हासिल करने में सक्षम होंगी। वे खास तौर पर उन समूहों से प्रतिभाएं प्राप्त कर सकेंगी जिनका प्रतिनिधित्व उनके क्षेत्र में कम है। दूरस्थ कार्य के विकल्प के जरिये वे उन कौशलों को भी जुटा सकेंगी जो स्थानीय तौर पर कम उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 में एक ऐसे ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है जो रट कर ज्ञानार्जन की मौजूदा परिपाटी को खत्म करने में मददगार हो। यह ढांचा शिक्षा के जिज्ञासा आधारित और परियोजना प्रेरित उत्संस्करण में सहायता करेगा। इससे ज्ञानार्जन के परिणाम बेहतर होंगे और व्यक्तियों के संपूर्ण और समग्र विकास में मदद मिलेगी।

2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गयी। इसका मकसद कार्यबल को डिजिटल तौर पर कुशल बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये नागरिकों के सशक्तीकरण, गांवों और शहरों के बीच अंतर को पाटने तथा सरकारी सेवाओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में अगले कदम के तौर पर 2022-23 के बजट में देश स्टैक (डिजिटल ईकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड) की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है। इस पोर्टल का लक्ष्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिये कौशल का विकास, पुनर्विकास और उन्नयन कर नागरिकों का सशक्तीकरण होगा। यह रोज़गार और उद्यमिता के प्रासंगिक अवसर खोजने के लिये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित विश्वसनीय कौशल, भुगतान तथा तलाश स्तर मुहैया करायेगा। डिजिटल क्रांति भारत की कौशल की कमी को घटाने तथा उच्च विकास दर, ऊंची उत्पादकता और मध्य आय वाला देश बनने की सरकार की दृष्टि को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को जोड़ने का काम सही समय पर किया गया है। उद्यम पोर्टल को सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय ने तैयार किया है। यह उद्यमियों के लिये स्व-घोषणा पोर्टल है। श्रम और रोज़गार मंत्रालय का ई-श्रम असंगठित मजदूरों का केंद्रीकृत डाटाबेस है। इसी मंत्रालय का एनसीएस पोर्टल रोज़गार तलाशने वालों, नियोक्ताओं, कौशल प्रदाताओं और कॅरिअर परामर्शदाताओं को जोड़ता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का असीम पोर्टल बाजार की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिये है। एकदूसरे से जुड़ने के बाद ये जीवंत और बुनियादी डाटाबेस वाले पोर्टल सरकार से नागरिक, व्यवसाय से उपभोक्ता और व्यवसाय से व्यवसाय सेवाएं मुहैया कराएंगे। ये सेवाएं ऋण सुगमता, कौशल विकास और नियुक्ति से संबंधित होंगी जिससे अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ेगा तथा सबके लिये उद्यमिता के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन राष्ट्र की प्रगति में उत्प्रेरक का काम करता है। जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के किफायती समाधान खोजने में कौशल, दक्षता, ज्ञान और दृष्टि जैसे गुण महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन-ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स प्रोजेक्ट 2030 के अनुसार पुराने शैक्षिक मानकों को बदलने की जरूरत है। उनकी जगह एक नया शैक्षिक ढांचा लाया जाना चाहिये जिसमें ज्ञान को सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, संचार और सहयोग के इक्कीसवीं सदी के कौशलों से जोड़ा गया हो। ऐसा सिर्फ कक्षाओं को आभासी ढंग से आयोजित कर नहीं किया जा सकता। इसके लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कौशलों को सिखाने और सीखने के तौरतरीकों में बुनियादी बदलाव लाना होगा। हमें विषयवस्तु के एकतरफा प्रवाह और रटंत विद्या के बजाय व्यक्ति आधारित और स्व-निर्देशित ज्ञानार्जन को अपनाना होगा।

50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का सपना मानव पूंजी के विकास और इसके कुशल प्रबंधन से नजदीक से जुड़ा है। शहरी मानव संसाधन औद्योगिक विकास में अपने प्रभावी योगदान के जरिये हमारे सकल घरेलू उत्पाद-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में उछाल सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभायेगा। भारत 2047 में अपनी आज़ादी के सौवें वर्ष में प्रवेश करेगा। अनुमान है कि तब तक हमारी लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी।1 इस बदलाव के लिये

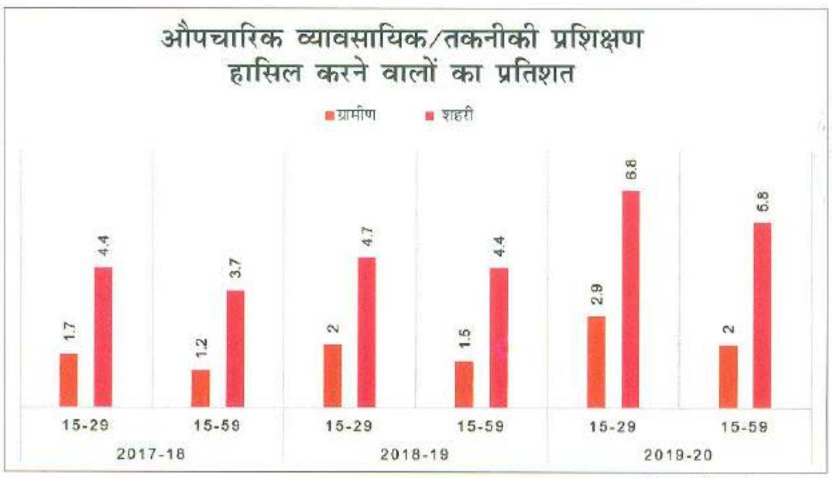

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

हमें दो चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती शहरों की व्यवस्थित योजना की है। दूसरी चुनौती यह है कि हम अपने युवाओं को सामाजिक और आर्थिक प्रगति में लगा कर जनसांख्यिकीय लाभों के दोहन के लिये मानव संसाधन का विकास करें।[2]

बेशक, हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ऊंची (लगभग 88 प्रतिशत) है। लेकिन युवाओं (15-29 वर्ष) और कामकाजी उम्र की आबादी (15-59 साल) में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण बेहद कम है।

शिक्षा प्रदान करने के काम में नियोक्ताओं को भी शामिल करने की जरूरत है। शिक्षा, कौशल उन्नयन, रोज़गार और उद्यमिता-एजुकेशन, स्किलिंग, एंप्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ईएसईई) के परिवेश के निर्माण में भी उन्हें शामिल किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण को प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा और रोज़गार के चरणों तक लागू किये जाने की दरकार है। हमें अपने ईएसईई तंत्र को मजबूत करना होगा ताकि हमारे युवा शहरों और आने वाली ग्रामीण आबादियों की प्रगति के लिये बहुविषयक दृष्टिकोण से लैस हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 में एक ऐसे ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है जो रट कर ज्ञानार्जन की मौजूदा परिपाटी को खत्म करने में मददगार हो। यह ढांचा शिक्षा के जिज्ञासा आधारित और परियोजना प्रेरित उत्संस्करण में सहायता करेगा। इससे ज्ञानार्जन के परिणाम बेहतर होंगे और व्यक्तियों के संपूर्ण और समग्र विकास में मदद मिलेगी। एनईपी में बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करने के साथ ही उदार कलाओं की शिक्षा के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिक्षा बौद्धिक, कलात्मक, सामाजिक, भौतिक, भावनात्मक और नैतिक समेत सभी मानवीय क्षमताओं के समेकित विकास में मददगार होगी।

मौजूदा स्थिति में, मानव संसाधन विकास के संदर्भ में शैक्षिक समुदाय के सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम छात्रों को खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में ज्यादा सक्षम कैसे बनायें। दूसरा, उन्हें उन रोज़गारों के लिये कैसे तैयार करें जिनका सृजन अभी नहीं हुआ है। छात्रों को आपस में जुड़ी उस दुनिया में फलने-फूलने में कैसे सक्षम बनायें जहां उन्हें विभिन्न संदर्भों और वैश्विक विचारों को समझना और आंकना, बाकियों से सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करना तथा संवहनीय और सामूहिक कल्याण के लिये जिम्मेदार तरीके से काम करना होगा। भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन विश्व भर में चल रहे रुझानों से कदमताल कर हम भविष्य के लिये तैयार होने, उसमें फलने-फूलने तथा उसकी दिशा तय करने में खुद तो सक्षम बनेंगे ही, छात्रों को भी ऐसा करना सिखा सकेंगे। ■

संदर्भ

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, अध्याय-7

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	रु. 434	रु. 364
2 वर्ष	रु. 838	रु. 708
3 वर्ष	रु. 1222	रु. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

Elite Academy For Education & Training Pvt. * Delhi *

आधुनिक और लाभकारी कृषि

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

डॉ जगदीप सक्सेना

भारत में कृषि परंपरागत और सबसे पुराना क्षेत्र है जिसने वैश्विक महामारी के अभूतपूर्व संकट के दौर में भी सकारात्मक और सशक्त भूमिका निभाई। कृषि क्षेत्र ने देश के हर भाग में आवश्यक खाद्य सामग्री की निरंतर निर्बाध सप्लाई बनाए रखी और बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय मांग को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। मानसून की अच्छी बारिश होने और सरकार के सही समय पर सतत प्रयासों से ही कृषि क्षेत्र में 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो 2021-22 में बढ़कर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कार्यबल लगा है और इस क्षेत्र ने देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 2021-22 के दौरान 18.8 प्रतिशत का उल्लेखनीय योगदान किया है। इसके साथ-साथ ही कृषि से जुड़े अन्य सहायक क्षेत्रों- पशुपालन, डेयरीपालन और मछली पालन- ने भी कृषि क्षेत्र की सफलता में बड़ा सहयोग दिया।

वैश्विक महामारी के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारने की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में कृषि को अधिक लाभकारी, ज़्यादा मजबूत और आधुनिक बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि के महत्व पर ज़ोर देते हुए 'समावेशी विकास' के लिए अनेक नए प्रावधानों की घोषणा की है।

आबंटन में वृद्धि

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान में 4.5 प्रतिशत वृद्धि करके इसे 2022-23 के लिए 1,32,513 करोड़ रुपये कर दिया गया। यदि हम मुख्य योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए आबंटन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है और जहां 2020-21 में इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये रखे गए थे वहीं यह प्रावधान 2022-23 के लिए बढ़ाकर 10,433 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने कृषि उन्नति योजना (केयूवाई) फिर लाने की घोषणा की है और इसमें अलग-अलग योजनाओं के सैट शामिल किए हैं तथा कुल 7,183 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। इस आबंटन में से लगभग 26 प्रतिशत बागवानी क्षेत्र के लिए है जबकि 21: केयूवाई आबंटन पाम ऑयल, खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। महत्वाकांक्षी पीएम किसान योजना को जारी रखा जाएगा और इसके लिए 6,75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पीएम-फसल बीमा योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत देने पर फिर ज़ोर दिया गया है और इस

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं। ईमेलः jagdeepsaxena@yahoo.com

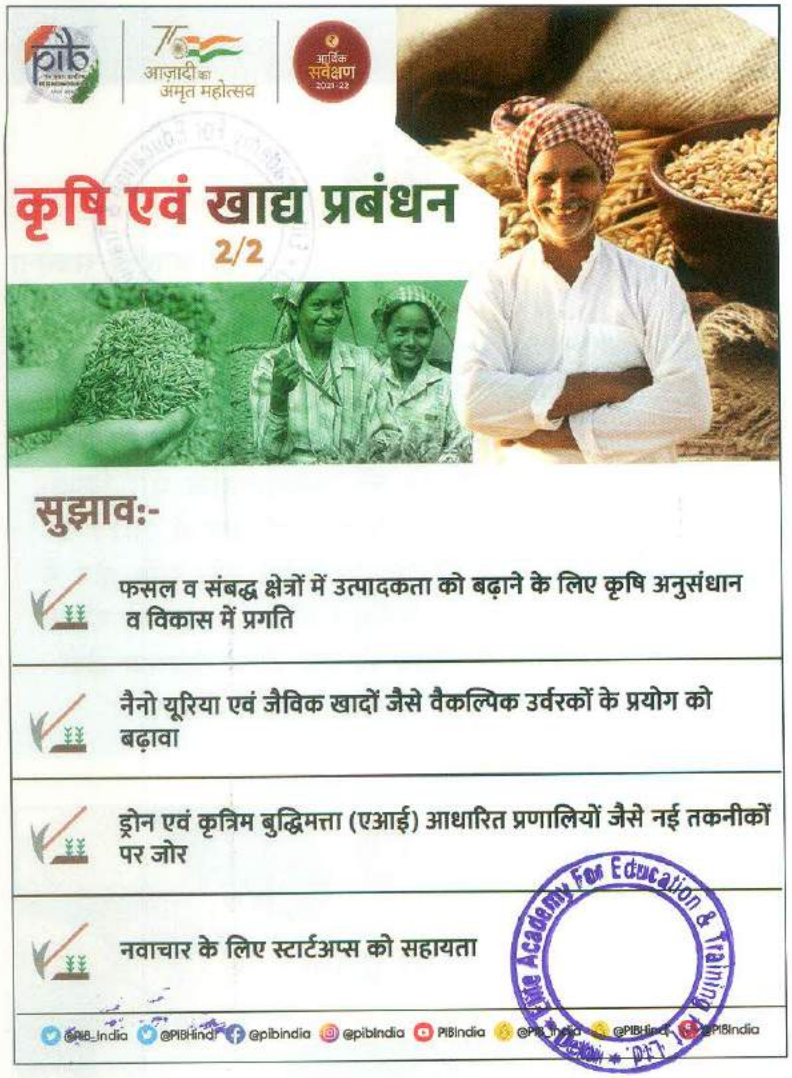

उद्देश्य के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों की आय दुगुनी करने की प्रक्रिया में सहयोगी क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका को समझते हुए सरकार ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरीपालन मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान 41 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मंत्रालय के कुल 6,407.31 करोड़ रुपये के प्रावधान में से ही पशुपालन का बजट 40 प्रतिशत और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का बजट 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय गो-कुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का बजट 20 प्रतिशत बढ़ जाने से सांडों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे डेयरीपालन में लगे आठ करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए करीब 60 प्रतिशत से अधिक प्रावधान किया गया है और इससे पशुधन और देश दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में आशा की बड़ी किरण है। इसीलिए वित्तमंत्री ने किसानों को फल-सब्जियों की उपयुक्त किस्में चुनने और उत्पादन तथा कटाई की सही तकनीकें अपनाने का विकल्प उपलब्ध कराया है। इस मद के लिए बजट प्रावधान भी विगत वर्ष के मुकाबले 2.25 गुणा करके 2,941.99 करोड़ रुपये किया गया है जो 126 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति पहले ही घोषित कर दी है तथा इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन पर बल दिया जा रहा है।

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी बड़ी व्यापक संभावनाएं हैं। यही सोचकर वित्त मंत्री ने किसानों को फल-सब्जियों की उपयुक्त किस्में चुनने और उत्पादन तथा कटाई की अनुकूल तकनीकें अपनाने का विकल्प उपलब्ध कराया है।

बजट प्रस्तावों में सरकार ने फसलें खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा सरकारी खरीद मूल्य (एमएसपी) जारी रखने का संकल्प दोहराया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि "2021-22 में गेहूं की रबी फसल और 2021-22 में धान की खरीफ फसल में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद किए जाने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया जाएगा। सरकारी खरीद मूल्य देकर सरकार सुनिश्चित कर लेती है कि किसानों को उनकी फसल की उचित और पर्याप्त कीमत मिल जाए क्योंकि इस व्यवस्था में सरकार पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान करती है। 2018-19 से सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती आ रही है। फिलहाल 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करके घोषित किया जाता है जिनमें रबी की 14 और खरीफ की 6 फसलें तथा दो व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम और अन्य विशेष निर्धारित एजेंसियां किसानों से उनकी फसल खरीदकर उनके भंडारण और वितरण की व्यवस्था करती हैं और बेहद सब्सिडाइज्ड मूल्य पर 80 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाती हैं। ये एजेंसियां आकस्मिक स्थिति से निपटने के उद्देश्य से फसलों का सुरक्षित भंडार भी बनाकर रखती हैं।

बजट प्रस्तावों में सरकार ने 2022-23 के लिए ऋण-लक्ष्य भी बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है जबकि विगत वित्त वर्ष में यह 16.50 लाख करोड़ रुपये था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2.70 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जा चुके हैं जिससे वे रियायती ब्याज़ दरों पर ऋण ले सकते हैं। पशुपालन और डेयरीपालन में लगे किसानों के लिए 14 लाख से ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

हाई-टेक क्रांति की ओर

वित्त मंत्री ने कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाई-टेक क्रांति लाने के लिए कृषि प्रणालियों

में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ड्रोन (यूएवी-मानवरहित वायुमार्ग वाहन) सुविधाओं के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने कहा कि फसलों का आकलन करने, ज़मीनों के रिकॉर्डों का डिजिटीकरण करने, कीटनाशकों और पोषकों का छिड़काव करने जैसे कार्यों में 'किसान ड्रोन्स' के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न अध्ययनों और अनुभवों से पता चला है कि कृषि ड्रोन्स के प्रयोग से किसानों को विशेष वातावरण के अनुरूप कार्यविधि अपनाने और उसी के अनुरूप विकल्प चुनने का विकल्प मिल जाता है। इस प्रकार एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों से फसलों की सेहत ठीक करने, फसलों का उपचार करने, फसलों की देखरेख करने, सिंचाई, फसल विश्लेषण और फसलों के नुकसान का सही अंदाज़ लगाने में बड़ी मदद मिलती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ड्रोन तकनीक अपनाने से कम से कम समय लगाकर उपज काफी बढ़ाई जा सकती है और श्रम तथा लागत में भी बहुत बचत की जा सकती है। सरकार के 'डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म' से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ड्रोन्स चलाने की ऑनलाइन अनुमति के लिए 'सिंगल विंडो व्यवस्था' उपलब्ध कराई जाती है।

> **सरकार ने बजट प्रस्तावों में 2022-23 का ऋण-लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है जबकि विगत वर्ष में यह 16.50 लाख करोड़ रुपये था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2.70 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जा चुके हैं जिससे वे रियायती ब्याज दरों पर कर्ज़े ले सकते हैं। पशुपालन और डेयरीपालन में लगे किसानों को 14 लाख से ज़्यादा नए किसान क्रैडिट कार्ड दिए गए हैं।**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन की किफायती खरीद करने या इन्हें किराये पर उपलब्ध कराने और कृषि ड्रोनों का प्रदर्शन दिखाने में सहायता देने के दिशानिर्देश अभी हाल में जारी किए हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय ड्रोन की खरीद के लिए उसकी पूरी कीमत या 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। इस योजना में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी 75 प्रतिशत तक की मदद दी जाती है। साथ ही, विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र इसके लिए 40 प्रतिशत या 4 लाख रुपये तक की सहायता देते हैं। प्रौद्योगिकियों को खेतों तक पहुंचाने की बाधाओं को देखते हुए सरकार पीपीपी आधार पर नई योजना लाने की सोच रही है जिससे किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं मिलने लगेंगी। इसे लागू करने के काम में सार्वजनिक क्षेत्र के शोध और विस्तार संस्थानों तथा 'कृषि वैल्यू चैन' के हितार्थियों और निजी कृषि एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा।

सह-निवेश मॉडल के तहत नाबार्ड के माध्यम से पूंजीकोष की स्थापना की जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र की स्टार्ट-अप कंपनियों और ग्रामीण उद्यमों को वित्त उपलब्ध होने लगेगा। स्टार्ट-अप्स की भूमिका की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री ने कहा- ''इन स्टार्ट-अप्स से एफपीओ को मदद मिलेगी, किसानों को खेत में ही मशीनरी किराए पर मिल सकेगी और उन्हें प्रौद्योगिकी तथा सूचना टेक्नोलॉजी आधारित मदद भी मिलने लगेगी। कृषि, मत्स्यपालन और डेयरीपालन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के माध्यम से चलाया जा रहा स्टार्ट-अप विकास कार्यक्रम भी इस प्रकार और मज़बूत बन जाएगा।''

सरकार कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग रोककर फसल को रासायनिक प्रभावों से मुक्त रखने के उद्देश्य से काफी समय से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तावों में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ''पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे वाले खेतों में रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती की जाएगी। प्राकृतिक खेती से ज़मीन की उत्पादक क्षमता बरकरार रहती है और मिट्टी में कार्बन तत्व भी स्वत: बनते रहते हैं तथा इस प्रकार कृषि उत्पादन मिलता रहता है, लागत कम आती है और उपज जलवायु के अनुकूल मिलती है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की विशेष योजना चला रही है जिसका नाम है 'भारतीय कृषि पद्धति

कार्यक्रम' बीपीकेपी। इस योजना में क्लस्टर (समूह) बनाने, क्षमता निर्माण करने और प्रशिक्षित कार्मिकों से तीन वर्ष तक लगातार देखरेख की सुविधा के लिए 1,22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।''

2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 308.65 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने के बावजूद देश में खाद्य तेलों का उत्पादन खपत की अपेक्षा काफी कम है। ऐसे में खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल आयात करने पड़ रहे हैं। इनके आयात पर होने वाले अत्यधिक खर्च को देखते हुए यह काफी चिंता की बात है। वित्त मंत्री ने बताया, ''तिलहनों के आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की उपयुक्त व्यापक योजना चलाई जाएगी।'' सरकार 2018-19 से ही तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का मिशन चला रही है। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन' के तहत देशभर में तिलहन उत्पादकों की मदद के लिए उन्हें प्रमाणित बीज और अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के मिनी किट वितरित किए जाते हैं। फिर, 2021 में खाद्य तेल-पाम ऑयल के बारे में राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया जिसका उद्देश्य मूल्य प्रोत्साहन के जरिए पाम ऑयल की खेती का क्षेत्र बढ़ाना था। पाम ऑयल की फसल से अन्य तिलहन फसलों की अपेक्षा प्रति हैक्टेयर 10 से 46 गुणा उत्पादन मिलता है। इस प्रस्तावित नई व्यापक योजना से देश के तिलहन उत्पादन में निश्चय ही ज़ोरदार बढ़ोतरी होगी।

इन प्रयासों के बावजूद यह भी सही है कि देश के कुल बुवाई क्षेत्र में से सिर्फ़ 49 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नदियों को जोड़ने की संभावना पर विचार के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ''44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा संपर्क परियोजना लागू की जाएगी।'' इसका उद्देश्य 9.08 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। इससे 103 मेगावाट की पनबिजली परियोजना और 27 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चलाने के साथ ही 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस समूची परियोजना के तहत 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपये और 2022-23 के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पांच नदी संपर्क परियोजनाओं की ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ये हैं दमणगंगा-पिंजल, पर-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी। संबद्ध राज्यों में सहमति होने के बाद केंद्र इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा।

कृषि और सहायक क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं और इनका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देश की प्रगति में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान बनाए रखने के लिए बजट प्रावधान किए जाते रहेंगे। यह वर्तमान बजट 'आत्मनिर्भर भारत' का असल उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में सही कदम है क्योंकि इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में निश्चित सफलता मिलेगी। ■

फार्म-4

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	मोनीदीपा मुखर्जी
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	मोनीदीपा मुखर्जी
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	कुलश्रेष्ठ कमल
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, मोनीदीपा मुखर्जी, एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(मोनीदीपा मुखर्जी)
प्रकाशक

ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल

चरणजीत सिंह

दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से महिलाओं को देश भर में स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण संगठनों से भी जोड़ा जा रहा है। मैं महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों को आत्मनिर्भर भारत अभियान का चैंपियन मानता हूं। ये स्व-सहायता समूह वास्तव में राष्ट्रीय सहायता समूह हैं। इसलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता में पिछले सात वर्षों में, 2014 से पहले के पांच वर्षों की तुलना में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है। जहां पहले हर स्व-सहायता समूह को बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, अब इस सीमा को भी दोगुना कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए कई आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो रहा है। 2011 में शुरू किए गए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 2023-24 तक 9-10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना है। मिशन सामुदायिक संस्थानों और इनके सदस्यों को इस तरह से दीर्घकालिक सहायता प्रदान करता है कि वे अपनी आय और जीवन-स्तर में सुधार करते हुए अपनी आजीविका में विविधता लाते हैं।

प्रमुख सिद्धांत

मिशन का मानना है कि गरीब ग्रामीण महिलाओं को अपने संस्थानों में संगठित करना, आजीविका गतिविधियों को सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: -

1. गरीबों में गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है और उनमें जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं। ऐसे लोगों को आवाज देने के लिए सामाजिक लामबंदी और गरीबों की मजबूत संस्थाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है;
2. ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दीर्घकालिक और निरंतर वित्तीय और आजीविका सहायता की आवश्यकता है;
3. गरीबों का क्षमता निर्माण और पोषण जब स्वयं गरीबों द्वारा किया जाता है तब यह सबसे प्रभावी और संधारणीय होता है और
4. गरीबों के सतत विकास के लिए कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्रों में कई आजीविकाओं-संपत्ति के साथ-साथ कौशल आधारित आजीविका को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के घटक

संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण: सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और उनका क्षमता निर्माण दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य घटकों में से एक है। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल करना है। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं। इन समूहों को ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों में संघटित किया जाता है। इसके अलावा, 10 से 15 स्वैच्छिक संगठनों को क्लस्टर

लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) हैं। ईमेल: js-skills@ddugky.gov.in

सिमडेगा, झारखंड से बैंकिंग संवाददाता

स्तरीय फोरम (सीएलएफ) में शामिल किया गया है। ये सामुदायिक संस्थाएं वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करती हैं। इन संस्थानों को निरंतर तथा गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मिशन इन सामुदायिक संस्थानों को रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) आदि के रूप में इनके वित्तीय आधार को मजबूत करने और अतिरिक्त धन का लाभ उठाने में मदद करने के लिए धन प्रदान करता है। मिशन ने अब तक सामुदायिक निवेश सहायता (परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश कोष) के रूप में कुल मिलाकर 16,189 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 6,782 ब्लॉक और 706 जिलों में लागू किया जा रहा है। मिशन ने अब तक 8.09 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 73.93 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया है। इन स्व-सहायता समूहों को 4.28 लाख स्वैच्छिक संगठनों और 32,899 क्लस्टर स्तरीय फोरम में संघटित किया गया है। यह पूरे देश में कार्यक्रम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। इसके लिए मांग पक्ष पर गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके और आपूर्ति पक्ष पर, वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करके, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, बिजनेस करेस्पोंडेंट तथा सामुदायिक सुविधाकर्ताओं के साथ वित्तीय समावेशन से किया जाता है।

क्षमता निर्माण के एक अभिन्न दृष्टिकोण के रूप में, मिशन समुदाय के व्यक्तियों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित कर रहा है, ताकि वे स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को 24X7 सहायता प्रदान करें। तदनुसार, मिशन ने 3.5 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को विभिन्न क्षेत्रों - बैंकिंग, कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वन क्षेत्र आदि में प्रशिक्षित और तैनात किया है।

वित्तीय समावेशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों को सस्ती लागत एवं विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। इसके लिए मांग पक्ष पर गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके और आपूर्ति पक्ष पर, वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करके, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, बिजनेस करेस्पोंडेंट तथा सामुदायिक सुविधाकर्ताओं के साथ वित्तीय समावेशन से किया जाता है। वित्तीय समावेशन को मुख्य रूप से स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने और

ऋण सहित सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा रहा है।

स्व-सहायता समूह-बैंक क्रेडिट लिंकेज के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2021-22 में 32 लाख से अधिक समूहों को 82,092 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है। संचयी रूप से, स्व-सहायता समूहों को 21 दिसंबर तक दी गई ऋण राशि 4.61 लाख करोड़ रुपये है। इस विशाल क्रेडिट लिंकेज के अलावा, स्व-सहायता समूहों के कामकाज की शक्ति गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के अविश्वसनीय आंकड़े में परिलक्षित होती है, जो 2.34 प्रतिशत है। इसके अलावा, इसे और कम करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रत्येक समूह के लिए गारंटी मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रदान करने में भी सहायक रहा है, जहां लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच नहीं है। इसे डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करने के माध्यम से (बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता से) सुगम बनाया जा रहा है।

ब्याज सबवेंशन

महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ब्याज सबवेंशन और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। सभी महिला स्व-सहायता समूह जिनके सदस्य दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लक्ष्य समूह से हैं, वे ब्याज दर और 7 प्रतिशत के बीच अंतर के बराबर ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, 250 जिलों में, सभी महिला स्व-सहायता समूह प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3.0 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं, समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन, प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर सकती है।

वित्तीय समावेशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रदान करने में भी सहायक रहा है, जहां लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच नहीं है। इसे डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करने के माध्यम से (बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता से) सुगम बनाया जा रहा है। वर्तमान में, स्व-सहायता समूहों की 68000 से अधिक महिला सदस्यों को बीसी सखियों के रूप में पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित तथा तैनात किया गया है। बिजनेस करेस्पोंडेंट -सखियां, जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और छात्रवृत्ति के वितरण, मनरेगा मजदूरी और बीमा तथा पेंशन योजनाओं के तहत नामांकन सहित सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सखियों ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक 10,001 करोड़ रुपये के 215 लाख लेनदेन किए हैं।। वर्तमान महामारी के दौरान वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उनके योगदान की व्यापक रूप से सराहना की गई है।

आजीविका संवर्धन: वित्तीय समावेशन के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विशिष्ट पहल की जा रही है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी)

आजीविका उपायों के अंतर्गत, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना को 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप-घटक के रूप में शुरू किया गया था। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाना है, साथ ही ग्रामीण लोगों की आजीविका को भी स्थायी बनाना है। यह कार्यक्रम परियोजना के रूप में लागू किया गया है। उप-योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- कृषि में महिलाओं की लाभकारी भागीदारी को बढ़ाना;
- कृषि में महिलाओं के लिए स्थायी कृषि आजीविका के अवसर पैदा करना;
- कृषि और गैर-कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना;
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- महिलाओं को सरकार और अन्य एजेंसियों के इनपुट और सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सक्षम बनाना;
- जैव विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना।

जलवायु परिवर्तन से सामने आने वाली चुनौतियों के परिदृश्य में, महिला किसान सशक्तीकरण

परियोजना, स्थायी कृषि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह योजना सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के एक पूल के विकास में सहायक है। इससे सामुदायिक संस्थानों को उनकी गतिविधियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया जा सकता है। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं (1) सतत कृषि (2) गैर-इमारती वन उत्पाद और (3) मूल्य श्रृंखला विकास। पशुधन से जुड़े कार्यकलाप सतत कृषि और गैर-इमारती वन उत्पाद परियोजनाओं दोनों के साथ एकीकृत हैं। इस के तहत अब तक लगभग 1.47 करोड़ महिला किसानों को लाया गया है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना है।

महिला किसानों को विभिन्न कृषि उपकरण उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह न केवल महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करता है बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपकरणों की आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। अब तक 22,800 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं।

स्व-सहायता समूह परिवारों में कृषि पोषक उद्यानों की स्थापना एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है जो इन समूहों के सदस्यों के लिए पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा, सदस्य इन उत्पादों की बिक्री के साथ अपने लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हैं। स्व-सहायता समूह परिवारों में अब तक 80.44 लाख कृषि पोषक उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं।

कृषि-पारिस्थितिकी गतिविधियों से आजीविका को मजबूत करना तार्किक रूप से अगले चरण की ओर जाता है, अर्थात, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। हालांकि, स्थानीय समूहों का गठन और जैविक प्रमाणीकरण एक लंबी अवधि में फैला हुआ है, इसके बावजूद अब तक 2,41,961 किसानों को जैविक प्रमाणीकरण के दायरे में लाया जा चुका है।

यह देखा गया है कि सामूहिक रूप से बाजारों का ठीक से लाभ उठाने के लिए बेहतर संसाधन हैं। तदनुसार, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला स्वामित्व वाले उत्पादक समूह, यानी उत्पादक उद्यम/किसान उत्पादक संगठनों और उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार महिला सदस्यों को एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन और विपणन जैसे उपायों के माध्यम से अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। प्राथमिक उत्पादकों को उत्पादक संगठन बनाने से लेकर मार्केटिंग लिंकेज बनाने तक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए एक पूर्ण व्यवसाय मॉडल विकसित करने का विचार है।

मंत्रालय ने इसके अलावा, बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं के विकास में सहायता के वास्ते तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए, टाटा ट्रस्टों के समर्थन से एक सेक्शन 8 कंपनी 'फाउंडेशन फॉर डवेलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन' की स्थापना की है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य इकाइयों को बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने में सहायता करता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 3.86 लाख महिला सदस्यों वाले 183 उत्पादक उद्यमों और 14.06 लाख महिला सदस्यों वाले 1.22 लाख उत्पादक समूहों को सहायता प्रदान की गई है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उप-योजना स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करती है। इसमें व्यापार सहायता सेवाएं, विशेषज्ञता, सीड कैपिटल, व्यापार तथा तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए घटक शामिल हैं। स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए इन सेवाओं के साथ एक ब्लॉक को संतृप्त करता है। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1,86,576 उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई)

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना है। वाहनों के स्वामी, स्व-सहायता समूहों के नेटवर्क के सदस्य होते हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं। यह योजना, समूह के सदस्यों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के अलावा दूरदराज के गांवों को बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सहित सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ती है। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और दिसंबर 2021 तक, 23 राज्यों में कुल 1811 वाहन चालू थे।

ई-मार्केटिंग

देश में ई-विपणन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इसका लाभ स्व-सहायता समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जैम) पर एक विशेष उत्कृष्ट हस्तशिल्प संग्रह -सरस कलेक्शन को शामिल किया गया है। जैम और एनआरएलएम के बीच की यह अनूठी पहल ग्रामीण स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना है।

कई राज्यों, जैसे, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम और केरल आदि ने भी अपने स्व सहायता समूहों के उत्पादों के ई-विपणन में कदम उठाए हैं। मंत्रालय अपना पोर्टल विकसित करने के लिए भी कदम उठा रहा है जहां देश भर के विभिन्न स्व -सहायता समूहों के उत्पादों को अपलोड किया जाएगा।

आजीविका संवर्धन के लिए साझेदारी/अभिसरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मानता है कि स्व-सहायता समूहों के सभी सदस्यों को लाभ देने के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता है। तदनुसार, गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से सीधे तालमेल विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है।

निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच अभिसरण सुनिश्चित किया गया है -

- कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग
- पशुपालन, डेयरी विभाग (डीएएचडी) और मत्स्य पालन
- ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

इस वित्त वर्ष में छह महीने की छोटी अवधि में 256 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता के लिए कुल 86,000 लाभार्थियों को जुटाया गया है। वास्तव में, ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण आजीविका मिशन ने विभिन्न मंत्रालयों को अपनी योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराया है।

कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया: स्व-सहायता समूहों के सदस्य देश के सामने आने वाले हर परिदृश्य में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। जैसे ही देश में कोविड-19 महामारी फैली, ये इन समूहों के नेटवर्क को ग्रामीण परिवारों में कोविड-19 निवारक उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहायक समुदायों में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किए गए योगदान की देश भर में काफी सराहना की गई है। उन्होंने 16,89,27,854 मास्क, 5,29,741 सुरक्षात्मक उपकरण, 5,13,059 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया है। कोविड-19-प्रभावित समुदायों के सदस्यों और प्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1,22,682 सामुदायिक रसोई का प्रबंधन किया है। इसके अलावा, मानकीकृत मॉडल विकसित करके प्रशिक्षण के व्यापक पैटर्न का आयोजन किया गया था। तदनुसार, स्व-सहायता समूहों के 5.5 करोड़ से अधिक सदस्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए उचित व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने में सहायता के लिए प्रेरित प्रशिक्षित किया गया था।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के रूप में भी मनाए जाने वाले भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, भारत ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम के माध्यम से कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तदनुसार, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकें। ■

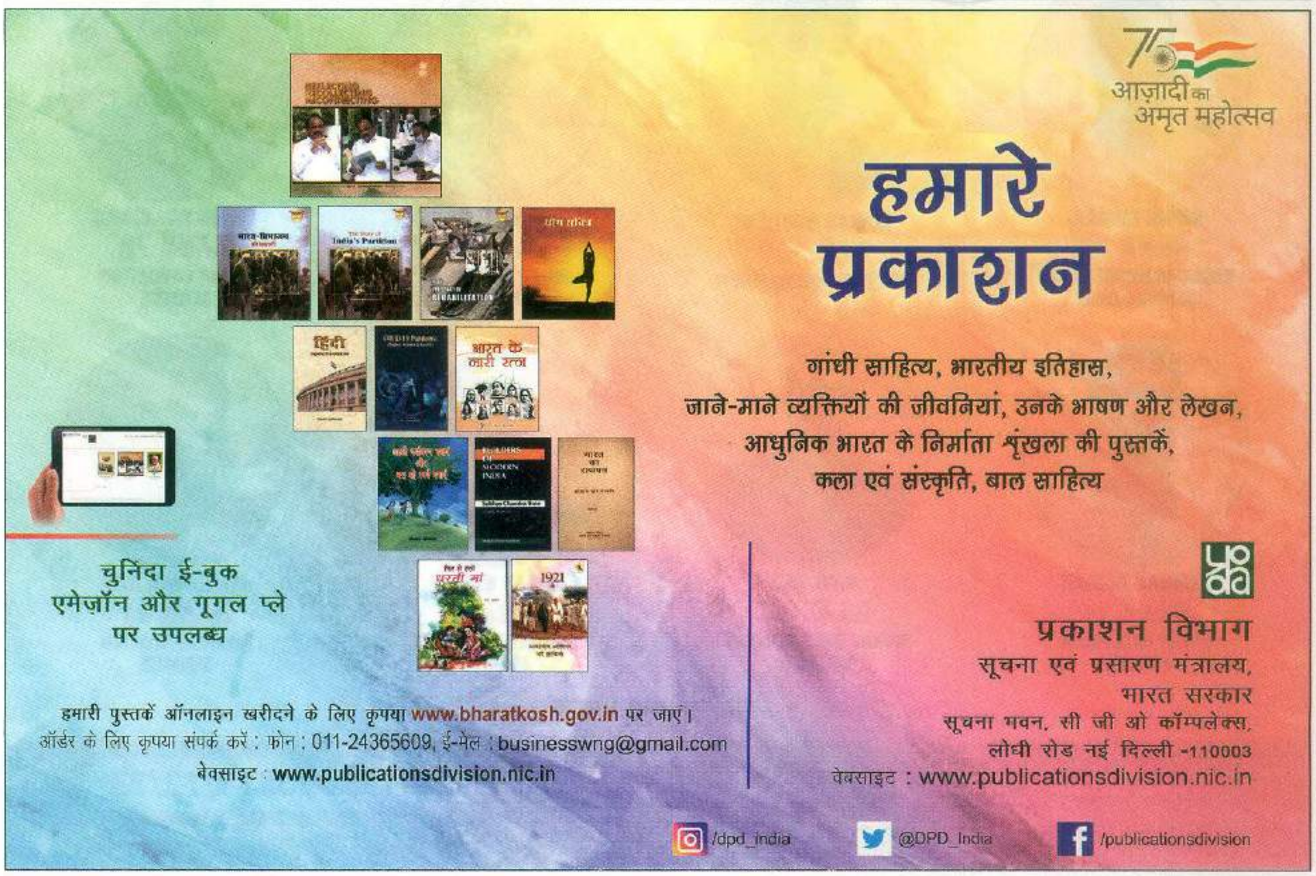

हरित अर्थव्यवस्था

डॉ एस सी लाहिड़ी

वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट भाषण में जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन देश के सामने दूसरों की करनी से उत्पन्न क्षति है और सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने की रणनीति के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न चुनौती को देखते हुए स्वच्छ वायु नीति को कार्यान्वित किया गया था।

इस साल बजट घोषणाओं से पता लगता है कि सरकार वहनीयता और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को कितना महत्व दे रही है। बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण से उत्पन्न चुनौती को देखते हुए स्वच्छ वायु नीति कार्यान्वित की गई। यह नीति प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित कर सकेगी। हालांकि प्रदूषण स्तरों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-एनसीएपी के तीन साल पूरे होने के बाद भी लक्षित शहरों में प्रदूषण के स्तर के मामूली कमी हुई है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि राज्यों ने वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया। बड़े शहरों/शहरी केंद्रों में पर्यावरण-विनियमन मानकों का पालन कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर नियमन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। एक प्रभावी विनियमन प्रणाली काफी हद तक विभिन्न स्तरों पर प्रदूषण को कम करेगी।

बजटीय आवंटन

वार्षिक बजट, आय-व्यय अनुमानों के अलावा आर्थिक नीति के उपायों को दिशा देता है और सत्तारूढ़ सरकार की प्रमुख पहलों का विवरण देता है। 2022-23 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि 2021-22 के बजट आवंटन से 5.6 प्रतिशत अधिक है। 2021-22 में मंत्रालय को 2869 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें संशोधित अनुमानों में 349 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) कमी कर दी गई। इसमें (1) पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव (96 करोड़ रुपये की कमी), (2) केंद्र के प्रतिष्ठान व्यय (71.5 करोड़ रुपये की कम), और (3) प्रदूषण नियंत्रण (80 करोड़ रुपये की कमी) के लिए बजट में कमी शामिल है। इसका कारण महामारी की स्थिति को देखते हुए साल भर में सरकार की व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष के समान है जबकि पिछले बजट में 470 करोड़ रुपये की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस साल 460 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था के प्रयोजन से प्रदूषण नियंत्रण योजना परिकल्पित की गई है। व्यय बजट में एनसीएपी के लिए आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। हांलांकि, 'खतरनाक पदार्थ प्रबंधन' के लिए पहले ही बहुत कम बजट आवंटन 6 करोड़ रुपये था जिसे और कम करके 4.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि संरक्षण और विकास योजना हेतु विकास और अनुसंधान का आवंटन भी घटाकर 4.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देश भर में प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- सीपीसीबी के लिए आवंटन पहले की तरह 100 करोड़ रुपये है। केंद्र प्रायोजित योजना- सीएसएस राष्ट्रीय

लेखक तत्कालीन योजना आयोग से 25 वर्षों से अधिक समय से जुड़े रहे और उन्होंने उद्योग और खनिज, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ईमेल: sclahiry@gmail.com

हरित भारत मिशन के लिए आवंटन 290 करोड़ रुपये (इस वित्त वर्ष में) से बढ़ाकर 361 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वन्यजीव क्षेत्र में, सरकार द्वारा शुरू किए गए – प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट में कुछ बदलाव देखे गए है। प्रोजेक्ट टाइगर के आवंटन में 30 करोड़ रुपये और प्रोजेक्ट एलीफेंट में 1 करोड़ रुपये की कटौती की गई। बाघों के संरक्षण की पहल प्रोजेक्ट टाइगर हेतु इस वित्त वर्ष में आवंटित 250 करोड़ रुपये (घटाकर 220 करोड़ रुपये) को बढ़ाकर 2022-23 में 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशभर में हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजना हेतु 33 करोड़ रुपये (2021-22 में) के आवंटन को अब बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण-एनटीसीए के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष की तरह 10 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह प्राधिकरण बाघों की गणना और उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय तटीय मिशन हेतु चालू वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट में 195 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत, मंत्रालय मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा, तटों की रक्षा करने और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

नीतिगत पहल

वित्त मंत्री ने पॉलीसिलिकॉन से सौर पीवी मॉड्यूल तक प्राथमिक से पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों में उच्च दक्षता वाले साज़ो-सामान के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 1950 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हरित अर्थव्यवस्था को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी यानि चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने से उत्पादकता बढ़ाने और रोज़गार सृजन में मदद मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार बैटरी स्वैपिंग (खत्म हुई बैटरी को, चार्ज बैटरी से बदलने संबंधी) के लिए नीति पेश करेगी। यह घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के मामले में मज़बूती देगी क्योंकि चार्जिंग की चिंता से मुक्ति के लिए किफायती समाधान मिलेगा। अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाना कार्बन उत्सर्जन कम करने की सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी उल्लिखित किया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाने और विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई के क्षेत्र में उनका उपयोग बढ़ाने के लिए ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने पॉलीसिलिकॉन से सौर पीवी मॉड्यूल तक प्राथमिक से पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों में उच्च दक्षता वाले साज़ो-सामान के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 1950 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाने और विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई के क्षेत्र में उनका उपयोग बढ़ाने के लिए ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता है।

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि बिना इथनॉल मिले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क (एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज़ ड्यूटी) लगेगा। बिना इथेनॉल मिला पेट्रोल अक्तूबर 2022 से महंगा हो जाएगा। इथनॉल मिश्रित ईंधन सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल में औसत मिश्रण अनुपात फिलहाल 8 प्रतिशत है जिसे 2025 तक बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। हालांकि देखा गया है कि इथेनॉल की उपलब्धता एक समान नहीं है और उत्पादन केंद्रों से दूर के राज्यों में औसत मिश्रण अनुपात कम रहने की संभावना है।

बजट में घोषित अन्य पहलों में : ताप बिजली घरों की भट्ठियों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पेलेट का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में सालाना 38 एमएमटी की कमी होगी। इससे उत्तरी राज्यों में पराली को जलाने से बचने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता और बचत उपायों को बढ़ावा दिया

जाएगा। इन्हें कारोबारी मॉडल के माध्यम से बड़े व्यावसायिक भवनों में अपनाया जाएगा; कोयला गैसीकरण और कोयले से रसायन बनाने के लिए चार प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, और कृषि वानिकी और निजी वानिकी को अपनाया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो योजना के तहत कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) अपनाने से उत्पादकता बढ़ाने में टिकाऊ वृद्धि करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, नियमानुसार आयु पूरी कर चुके वाहनों, इस्तेमाल किए गए तेल अपशिष्ट और जहरीले तथा खतरनाक औद्योगिक कचरे जैसे दस क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था और दस क्षेत्रों में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर जोर देने से पर्यावरण अनुकूल स्टार्टअप शुरू करने के मिलेंगे और अंततः भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने कुल मिलाकर कम कार्बन उत्सर्जक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के बारे में वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है। हालांकि, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट -सीएसई के आकलन के अनुसार कोयला गैसीकरण से वास्तव में कोयले से चलने वाले पारंपरिक ताप बिजली घरों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। साथ ही कोयला गैसीकरण संयंत्र पारंपरिक बिजली घरों की तुलना में महंगे हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) अपनाने से उत्पादकता बढ़ाने में टिकाऊ वृद्धि करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, नियमानुसार आयु पूरी कर चुके वाहनों , इस्तेमाल किए गए तेल अपशिष्ट, और जहरीले तथा खतरनाक औद्योगिक कचरे जैसे दस क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं पर काम चल रहा है।

अनुसंधान एवं विकास हेतु, क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले पेशेवरों की भर्ती और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की ज़रूरत है। (उदाहरण के लिए, सीपीसीबी के लिए बजट आवंटन पिछले 4 वर्षों से 100 करोड़ रुपये तक ही सीमित है। सीपीसीबी पर वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक या व्यावसायिक कारखानों पर अंकुश लगाने की ज़िम्मेदारी है। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों-एसपीसीबी को भी सहयोग देता है जो राज्य स्तर पर निगरानी, अनुमति और नियमों लागू कराने का काम करते हैं)। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले कोयला बिजली घरों को बंद करने की घोषणा वित्त मंत्री ने पहले की थी, लेकिन बजट 2022-2023 में अकुशल कोयला संयंत्रों को बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है। भारत ने पेरिस में 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करने एवं 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित कर सकने वाले पर्यावरणीय विकल्प तैयार करने (कार्बन सिंक) का संकल्प लिया था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण-सीईए के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 40.20 प्रतिशत थी। आईएफएसआर 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है। हालांकि, इस अवधि में देश ने 1600 वर्ग किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक वन खो दिए हैं। लेकिन नुकसान की कुछ भरपाई कुछ संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित वनों की स्थिति में सुधार करके की गई है, जबकि वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा और अधिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण का है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं देने के मामले में वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों का विकल्प नहीं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक वनों का कथित नुकसान चिंता का विषय है। उत्तम रोपण सामग्री के साथ पूरे राज्यों में आक्रामक और प्रभावी ढंग से जीआईएम को लागू किया जाना चाहिए। समूचे देश में जैव विविधता को पहले के स्तर पर लाने, प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण और जैव विविधता में कृतिक संतुलन रखने हेतु अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होगा। ■

संदर्भ

1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक बजट 22-23: बजट की विशेषताएं
2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22
3. पीआईबी, भारत सरकार, केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, 2021
5. ईशा रॉय, ट्रैकिंग एनसीएपी: मार्जिनल डिप इन पॉल्यूशन लेवल, इंडियन एक्सप्रेस, 1/2/22
6. टीम ईटी, बैटरी-स्वैप पॉलिसी टू पुश ईवी, इकोनॉमिक टाइम्स, 1/2/22
7. टीम ईटी, एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी टू प्रोमोट इथनॉल ब्लेंडिंग, इकोनॉमिक टाइम्स, 1/2/22
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2021
9. आमिश मेहता, ए ग्रीन टर्न टुवर्ड्स नेट जीरो टारगेट, इकोनॉमिक टाइम्स, 5/2/22
10. लवीश भंडारी, वी नीड वार्डनेस इन आवर इको पार्को, इकोनॉमिक टाइम्स, 4/2/22

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2023 - मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को 'मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। मोटे अनाज के प्रति विश्वभर में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखकर 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष' के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया था। 70 देशों के समर्थन से पेश इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 देशों ने अप्रैल, 2021 में सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

[stamp]

अध्ययनों से पता चलता है कि जैविक विविधता बनाए रखने, मनुष्य और पशुओं के लिए पोषण, औद्योगिक प्रयोग और भोजन में औषधीय गुणों की दृष्टि से मोटे अनाज बहुत उपयोगी हैं।

मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, उर्वरकों, खादों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत, कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इन फसलों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उन्हें चावल तथा गेहूं की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं।

मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए भी उपयोगी होता है। इसका जल व कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। मोटे अनाज काफी उच्च तापमान को सह सकते हैं और कम उपजाऊ भूमि में भी उग सकते हैं।

दुनिया के 130 से ज्यादा देशों में मोटे अनाज को उगाया जाता है। समूचे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ते लगाव के कारण मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि पैदा हो रही है।

कोविड 19 महामारी के बाद मोटे अनाज रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रचलित हो रहा है। मोटे अनाजों में फाइबर एवं अन्य पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। मोटे अनाज में गेहूं और चावल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन, क्रूड फाइबर, आयरन, जिंक तथा फॉस्फोरस होते हैं। सल्हार, कांग, ज्वार, मक्का, मडिया, कुटकी, सांवा, कोदो आदि में अगर प्रोटीन, वसा, खनिज तत्त्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फोलिक ऐसिड, जिंक तथा एमिनो एसिड की तुलना गेहूं, चावल जैसे अनाजों के साथ की जाए तो किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए यह काफी उपयोगी हैं। जई यानी ओट्स की खेती पहले आमतौर पर जानवरों के खाने के लिए चारे के रूप में की जाती थी। लेकिन, अब लोग इसका दलिया बनाकर खा रहे हैं। यह जल्दी पचने वाला फाइबर एवं पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ है।

मोटे अनाज की फसलों (ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, जई, मक्का, चीना आदि) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम उठाये गये, जिनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाज को शामिल करना और कई राज्यों में मोटा अनाज मिशन की स्थापना करना शामिल है- रागी, बाजरा और ज्वार भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं।

रागी को भारतीय मूल का माना जाता है और यह उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज होता है, जिसमें 344 मिग्रा/100 ग्राम कैल्शियम होता है। दूसरे किसी भी अनाज में कैल्शियम की इतनी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। रागी में लौह तत्त्व की मात्रा 3.9 मिग्रा/100 ग्राम होती है, जो बाजरे को छोड़कर सभी अनाजों से अधिक है। रागी खाने की सलाह मधुमेह के रोगियों को दी जाती है। बाजरे का इस्तेमाल कई औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। बाजरे के 100 ग्रा. खाद्य हिस्से में लगभग 11.6 ग्रा. प्रोटीन, 67.5 ग्रा. कार्बोहाइडेट, 8 मि.ग्रा लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन मौजूद होता है, जो हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। ज्वार का औद्योगिक उपयोग अन्य मोटे अनाजों की तुलना में अधिक होता है। इसका उपयोग शराब उद्योग, डबलरोटी उत्पादन उद्योग, गेहूं-ज्वार संयोजन में किया जाता है। ज्वार में 10.4 ग्रा. प्रीटीन, 66.2 ग्रा. कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्रा. रेशा और अन्य सूक्ष्य तथा वृहत पोषण तत्त्व मौजूद होते हैं। अप्रैल 2018 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मोटे अनाजों को उनके 'उच्च पोषक मूल्य' और 'मधुमेह विरोधी गुणों' के कारण 'पोषक तत्त्वों' के रूप में घोषित किया गया था।

आईसीएआर का हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार की ओर से अनुसंधान और विकास कार्य चला रहा है। अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने के साथ ही यह संस्थान खेती के तौर-तरीके सुधारने पर भी ध्यान देता है।

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जोत के किसानों के लिये सतत आजीविका के अवसर बनाना, जलवायु परिवर्तन को देखते हुये क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना।

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री की मोटे अनाज की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने और इनकी प्रोसेसिंग करने पर विशेष ध्यान देने की घोषणा वैश्विक मांग की पूर्ति में काफी सहायक रहेगी। "वोकल फॉर लोकल" यानी स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर ज़ोर देने से मोटे अनाज की खेती में लगे लाखों छोटे किसानों का भाग्य सुधारने में मदद मिलेगी। ■

प्रवासी क्रांतिकारी

लेखकः जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी
प्रकाशकः प्रकाशन विभाग

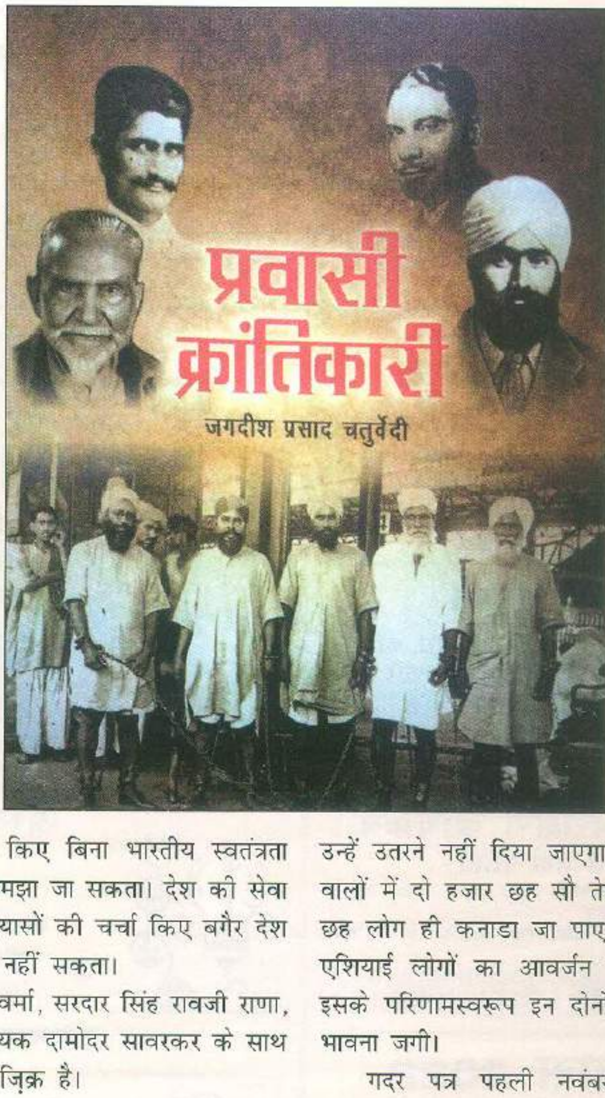

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd * Delhi *

यह पुस्तक प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है। इस पुस्तक के लेखक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार थे। पुस्तक में वर्णित स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की धरती से दूर, विदेशों में रहकर अपने पराधीन देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद की और सफलतापूर्वक उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। इस पुस्तक का उद्देश्य उन प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय देना है जिनके प्रयासों की चर्चा किए बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जा सकता। देश की सेवा के लिए समर्पित इनके साहसिक प्रयासों की चर्चा किए बगैर देश का स्वाधीनता इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता।

इस पुस्तक में श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह रावजी राणा, मादम कामा, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर के साथ दर्जनों जाने अनजाने सेनानियों का ज़िक्र है।

पुस्तक से लिए गये अंश :

पुस्तक में वर्णित सभी स्वतंत्रता सेनानी के देशभक्ति का जज़्बा अतुल्यनीय है। श्यामजी कृष्ण वर्मा अपनी योग्यता के बल पर शिक्षा, प्रशासन और वकालत तीनों क्षेत्रों में सफल हो गये थे, अपने देश के बाहर रहकर उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय स्वाधीनता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने और नवयुवकों को देश सेवा के लिए प्रेरणा देने में निकाला।

गदर पार्टी की गौरवशाली गाथा में गदर पार्टी का संगठन संघर्ष और इसमें भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों का परिचय है। 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर पाबंदियां कड़ी कर दी गईं। यह तय किया गया कि कनाडा में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जो अपने से सीधा टिकट लेकर कनाडा आएंगे और प्रत्येक भारतीय मज़दूर को कनाडा उतरने पर अपने पास दो सौ डॉलर रखने होंगे, नहीं तो उन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। 1908 में भारत से कनाडा जाने वालों में दो हजार छह सौ तेइस लोग थे जबकि 1909 में मात्र छह लोग ही कनाडा जा पाए। 1910 में अमरिका के चुनाव में एशियाई लोगों का आवर्जन चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। इसके परिणामस्वरूप इन दोनों देशों में भारतीयों में संगठन की भावना जगी।

गदर पत्र पहली नवंबर 1913 को सैन-फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ। पत्रिका के नाम से संगठन का नाम 'गदर पार्टी' चल निकला। इस संस्था के अध्यक्ष भाई सोहन सिंह भकना चुने गए। भाई केसर सिंह उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके जनरल सेक्रेटरी और लाला ठाकुर दास धूरी उपमंत्री और पंडित कांशीराम कोषाध्यक्ष चुने गये। गदर पार्टी का संगठन और उसके उद्देश्य एक ऐसे भारत की कल्पना थी जहां लोकतांत्रिक राज्य हो और भारत के सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। ■

आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी अन्य किताबों के लिए
www.publicationsdivision.nic.in *पर जाएं।*

हमारी पत्रिकाएं

रोज़गार समाचार | Employment News

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com
हमसे संपर्क करें- **फोन: 011-24367453,** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

कवर 2 से आगे...

- 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी।
- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन

- नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था।
- नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर रहे।
- भारत, विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।

कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

- पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में महत्वपूर्ण 18.8 प्रतिशत (2021-22) की वृद्धि हुई, इस तरह 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का उपयोग फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
- 2014 की एसएएस रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (एसएएस) में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पशुपालन, डेयरी तथा मछलीपालन सहित संबंधित क्षेत्र तेज़ी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।

उद्योग और बुनियादी ढांचा

- अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गया। यह अप्रैल-नवम्बर, 2020 में (-)15.3 प्रतिशत था।
- भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009-2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 155,181 करोड़ रुपये हो गया और 2021-22 में इसे 215,058 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का बजट रखा गया है, इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इस प्रकार इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
- बड़े कॉरपोरेट के बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितम्बर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है। (आरबीआई अध्ययन)
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के शुभारंभ से लेनदेन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ-साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी।

सेवाएं

- जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितम्बर तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टेक्ट इंटेन्सिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व-महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है।
- समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान रेल मालभाड़ा ने पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है जबकि हवाई मालभाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व-महामारी स्तरों तक पहुंच गये हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीर-धीरे वृद्धि हो रही है जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम थी।
- सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई है।

Elite Academy For Education & Training Delhi

- भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। नये मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है जो 2016-17 में केवल 735 थी।

सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोज़गार

- अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोज़गार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व-महामारी स्तर पर आ गए हैं।
- मार्च, 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएफएलएस) आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोज़गार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गये हैं।
- सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केन्द्र और राज्यों का व्यय जो 2014-15 में 6.2 प्रतिशत था 2021-22 (बजट अनुमान) में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार

- कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2019-21 में घटकर 2 हो गई जो 2015-16 में 2.2 थी।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों/प्रसव केन्द्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ है। ■

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय